BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
E. A. NO. 29 OF 2024
IN
APPEAL NO. 79 OF 2014

<u>IN THE MATTER OF:</u>
DEBADITYO SINHA & ORS.

...APPLICANT

VERSUS

MIRZAPUR ENERGY (UP) PVT. LTD. &ORS.

...RESPONDENT(s)

<u>INDEX</u>

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 19.02.2025 AND 23.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE TOR DATED 29.07.2024 IS BEING ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 20.02.2025 IS BEING ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	THE COPY OF THE LETTER DATED 30.04.2025 ALONG WITH THE MINUTES OF THE PUBLIC HEARING DATED 11.04.2025 IS BEING ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	
5.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 25.11.2024 IS BEING ANNEXED HEREWITH AND	

	MARKED AS **ANNEXURE-4**	
6.	A COPY OF THE NOTICE DATED 30.11.2024 IS BEING ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-5**	
7.	A COPY OF THE REPLY AFFIDAVIT DATED 21.05.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-6**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE:14.07.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

E. A. NO. 29 OF 2024

IN

APPEAL NO. 79 OF 2014

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) NOTARIAL GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

DEBADITYO SINHA & ORS.

...APPLICANT

VERSUS

MIRZAPUR ENERGY (UP) PVT. LTD. &ORS.

...RESPONDENT(s)

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 19.02.2025 AND 23.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) GOVT. OF INDIA

I, Sushant Sharma, S/o Late Hari Chand, aged about 54 years, presently posted as Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department, State of Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under;

1. That the deponent is presently posted as Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department,

Government of Uttar Pradesh and in its capacity, he is well conversant with the facts and circumstances of the case and authorized to swear this affidavit.

2. That by this execution application, the applicant has sought the compliance of the order dated 21.12.2016 passed by this Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi (herein after referred as Hon'ble Tribunal) in Appeal No. 79/2014.

3. That in the present matter this Hon'ble Tribunal vide its order dated 19.02.2025 was pleased to direct the State of UP to file the reply, if any. Further it is stated that this Hon'ble Tribunal vide its order dated 21.12.2016 passed in Appeal No. 79/2014 by disposing and allowing the appeal has passed the following directions:

"...We, therefore, allow this Appeal and pass the following directions:

1. *The Appeal is allowed and EC dated 21-08-2014 is set aside.*
2. *Respondent no. 4 shall not carry out any developmental work at the project site.*

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn. [illegible] GOVT. OF INDIA

3. The respondent no. 4 shall restore the area to its original condition.

4. Work of restoration is stayed for a period of two months..."

4. That it is most respectfully submitted that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India has issued Terms of Reference (TOR) in favour of Shri Santosh Kumar Singh, M/s Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited, Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad- 382421, Gujarat, India for proposed project of 2X800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP) at Village Dadri Khurd, Tehsil Mirzapur Sadar, District- Mirzapur, Uttar Pradesh vide File No- J-13012/12/2011-IA.II(T) dated 29.07.2024.

A copy of the TOR dated 29.07.2024 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1**.

5. That in pursuance to the TOR dated 29.07.2024, the project proponent in question has made its representation before

Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) on 08.02.2025 for public hearing of proposed project. Further, with reference to the request, UPPCB vide its letter dated 20.02.2025 has requested the District Magistrate, Mirzapur to organize public hearing for the same.

A copy of the letter dated 20.02.2025 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**.

6. That for implementation of the above, public hearing was conducted on 11.04.2025 under the Chairmanship of Additional District Magistrate, Mirzapur and the minutes of the said public hearing with photographs and video clip has been sent by UPPCB vide letter dated 30.04.2025 to MoEF&CC, New Delhi.

The copy of the letter dated 30.04.2025 along with the minutes of the public hearing dated 11.04.2025 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**.

7. That further it is stated that in compliance to the order dated 16.08.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter, to verify the factual ground status regarding establishment of project in question at concerned site i.e.

Village-Dadri Khurd, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur, the officials of the UPPCB have undertaken the site visit on 25.11.2024. During the course of visit and inspection, construction of pre-cast boundary wall and leveling work of ground was found under progress. As per information provided by the project, above construction work is being carried out by M/s Adani Thermal Energy Thermal Power Plant. The Geo-coordinates of the site are 24.980408 - Latitude and 82.8664966 - Longitude.

A copy of the inspection report dated 25.11.2024 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**.

8. That it is also submitted that UPPCB vide its Ref. No. G1054/Welpsun/P.H./2024 dated 30.11.2024 has issued a notice against M/s Adani Thermal Energy Thermal Power Plant at Village-Dadri Khurd, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur (Previous Name- M/s Welpsun Energy UP Private Ltd. (2 x 660 MW – 1320 MW) Coal Based Super Critical Technology Coal Based Thermal Power Plant), regarding establishment of above project in question without having valid Consent to Establish (CTE).

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) GOVT. OF INDIA

A copy of the notice dated 30.11.2024 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5**.

9. That with regards to the declaration of the project site as "Sloth Bear Conservation Reserve", it is submitted that the reply on behalf of Principal Chief Conservator of Forest, State of U.P. has been submitted by the reply Affidavit dated 21.05.2025 filed by the Chief Conservator of Forest, State of U.P. in *O.A. No. 883/2024 "News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times dated 03.07.2024" (Judicial page no. 326-447*. Furthermore, with respect to the alleged unauthorized constructions, it is respectfully submitted that the Divisional Forest Officer, Mirzapur has conducted a site inspection and submitted a detailed report in this regard, the same has been incorporated in the aforementioned reply filed before this Hon'ble Tribunal.

A copy of the reply affidavit dated 21.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**

10. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) GOVT. OF INDIA

11. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the approved instructions dated 05.02.2025 and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at 2Lko on this 14 day of July, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
GOVT. OF INDIA

Sworn and Verified before me 14/7/25
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 1094/3/18

I know & identify the deponent/Executant who has signed/ put his T.I. before me
S. I. Iqbal Advocate
Reg No. 6043/1999

ANNEXURE-1

File No: J-13012/12/2011-IA.II (T)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
IA Division
*****

Dated **29/07/2024**

To,

Sh. Santosh Kumar Singh
M/s MIRZAPUR THERMAL ENERGY (UP) PRIVATE LIMITED
Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited, Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad 382 421, Gujarat, India, Ahmedabad, AHMADABAD, GUJARAT, ACH, Shantigram, Vaishnodevi Circle, S.G Highway., 382421
E-mail: mirzapur.env@gmail.com

Subject: **Proposal of 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP) at Village Dadri Khurd, Tehsil, Mirzapur Sardar, District Mirzapur, Uttar Pradesh by M/s Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL). – Grant of Terms of Reference - regarding**

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Grant of Terms of Reference under the provision of the EIA Notification 2006-regarding in respect of project 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP) at Village Dadri Khurd, Tehsil, Mirzapur Sardar, District Mirzapur, Uttar Pradesh by Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL). submitted to Ministry vide proposal number IA/UP/THE/467671/2024 dated 08/05/2024.

2. The particulars of the proposal are as below :

(i) TOR Identification No.	TO24A0601UP5665287N
(ii) File No.	J-13012/12/2011-IA.II (T)
(iii) Clearance Type	TOR
(iv) Category	A
(v) Project/Activity Included Schedule No.	1(d) Thermal Power Plants
(vi) Sector	Thermal Projects
(vii) Name of Project	2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP) at Village Dadri Khurd, Tehsil, Mirzapur Sardar, District Mirzapur, Uttar Pradesh by Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL).
(viii) Name of Company/Organization	M/s MIRZAPUR THERMAL ENERGY (UP)

	PRIVATE LIMITED
(ix) Location of Project (District, State)	MIRZAPUR, UTTAR PRADESH
(x) Issuing Authority	MoEF&CC
(xii) Applicability of General Conditions	no
(xiii) Applicability of Specific Conditions	no

3. M/s Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL) has made an application online vide proposal no IA/UP/THE/467671/2024 dated 08/05/2024 in the prescribed format (Form-I) and submitted a pre-feasibility report for undertaking a detailed EIA study as per the EIA Notification, 2006 for grant of Terms of Reference (ToR) to 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP) at Village Dadri Khurd, Tehsil, Mirzapur Sardar, District Mirzapur, Uttar Pradesh by M/s Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL).

4. The project/activity is covered under category A of item 1(d) 'Thermal Power Plants' of the Schedule to the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, as amended as the power generation capacity of proposed expansion is beyond threshold capacity of 500MW i.e. 2 x 800 MW (1600 MW) and requires appraisal at Central level.

5. The instant Proposal was considered in the 10th EAC (Thermal) meeting held on 10th June 2024. The minutes of the meeting and all the project documents are available on PARIVESH portal which can be accessed at https://parivesh.nic.in.

Details submitted by the project proponent

6. Project Proponent along with the QCI NABET consultant M/s. Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd made the detailed presentation and apprised following to the EAC:

i. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL) is proposed to setup a coal based Ultra Super Critical Technology Thermal Power Project (USCTPP) of 1600(2X800) MW in Village Dadri Khurd, District Mirzapur, State Uttar Pradesh.

ii. Previously, M/s. Welspun Energy UP Pvt. Ltd. (WEUPPL) proposed to set up 2x660 MW Super Critical Coal based thermal power plant at Village Dadri Khurd, Tehsil Mirzapur, Uttar Pradesh. The Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEFCC) had granted Environmental Clearance for 1320 (2x660) MW vide F. No: J-13012/12/2011-IA II(T) dated 21.08.2014 and subsequently, name changed to Welspun Energy UP Pvt. Ltd. (WEUPPL) to Mirzapur Thermal Energy UP Pvt. Ltd. (MTEUPPL) Vide Letter No. F. No: J-13012/12/2011-IA II(T) dated 20.12.2019.

iii. Earlier, Hon'ble NGT, Principal Bench, Delhi in their judgement dated 21.12.2016 set aside the Environmental Clearance (EC) dated 21.08.2014. Further, in Judgement dated 01.05.2017, a clarification was issued, that "the Project Proponent is at liberty to approach the MoEF&CC or any other competent authority for processing of the application for grant of EC upon making up for /rectifying the defects and deficiencies pointed out in the judgement".

iv. MTEUPPL had submitted the revised Form-I & supporting documents - Study Reports as suggested by MoEFCC for EC amendment, which was appraised by the EAC (Thermal Power) in its meetings held on 24.07.2017 and 22.02.2019. The EAC in its meeting held on 22.02.2019 recommended for EC amendment.

v. The MoEFCC vide letter no. J-13012/ 12/2011-IA.II(T) dated: 20.12.2019 suggested for providing/submitting the Stage-I Forest Clearance for further issuance of EC amendment letter. MTEUPPL had not submitted the same and the EC amendment letter was not issued. PP now submitted a fresh proposal for EC.

vi. Pre-Construction activities & Planning has been completed and construction work not started yet.

vii. Now the proposal has changed from 2x660 MW to 2x800 MW and almost 10 years have lapsed, a new reference (De Novo) is being made through this application for grant of ToR.

viii. **The salient features of the project are as under:-**

Project Details

S. No.	Particulars	Details
i.	Category of the project	A
ii.	Capacity	1600 (2 X 800) MW
iii.	Location of TPP	Village Dadri Khurd, Tehsil, Mirzapur Sardar, District Mirzapur, Uttar Pradesh
iv.	Average height	(a) TPP site: 198 m above MSL (b) Ash pond site: 195 m above MSL.
v.	Accredited Consultant and certificate no.	M/s Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd. NABET Accreditation No.: NABET / EIA / 2023/SA0203
vi.	Inter- state issue involved	No
vii.	Seismic zone	Zone-III as per IS 1893.

Land Area Breakup:

Land Requirement: a) TPP Site b) Ash Pond c) Township d) Railway Siding & Others e) Raw Water Reservoir f) Green Belt g) others Total (if expansion state additional land requirement)	**365.19 ha**. 85.80 ha 49.37 ha 11.57 ha 64.14 33.18 ha 120.51 ha 0.62 Total: No additional land is required.
Status of Land Acquisition:	The land required for proposed project is already under possession except Govt. & Forest like area (Jhari)
Status of the project: If under construction phase: please specify the reasons for delay, works completed till date and balance works along with expected date of completion. If under operation phase, date of commissioning (COD) of each unit. Whether the plant was under shutdown since commissioning, details and reasons.	Proposed project is at planning stage and no construction activities have been commenced at the site.
Break-Up of land-use of TPP site: a) Total land required for project components b) Private land c) Government land Forest Land	**Total Project Land:365.19 ha** · Private Land: 364.57 ha · Forest Land: 0.62 ha (Application was submitted for same area but after the Joint inspection of DFO (Forest Office) & SDM (Revenue) was held on 03.04.2024 confirming that the above area is Non-Forest Land. This area will be used for plantation / green belt purposes only.)
Whether the project is in the Critically Polluted Area (CPA) or within 10 km of CPA. If so, the details thereof:	No, the district doesn't fall under CPA.
CRZ Clearance	Not Applicable
Whether the project is in the Critically Polluted Area (CPA)/Severally Polluted Area (SPA) or within 10 km of CPA. If so, the details thereof:	No, the district doesn't fall under CPA/SPA.

Details of fuel and Ash disposal:

Fuel to be used:	Coal and Auxiliary Fuel
Quantity of Fuel required per Annum:	Coal - 6.4 Million MTPA Auxiliary Fuel- 15000 KL per annum
Coal Linkage / Coal Block: (If Block allotted, status of EC & FC of the Block)	Coal for the Proposed project will be Domestic coal from commercial Coal Mines of NCL / SECL / CCL & Commercial Coal Mines. (Design Coal GCV of 3200-4300 KCal/kg.). Auxiliary liquid fuels, viz. LDO/HSD requirement per annum is about 15000 kilo liters.
Details of mode of transportation of coal from coal source to the plant premises along with distances	Coal shall be received from Mine to TPP through BG Rail Wagons. Total distance from the source to Rail: about 250 - 550 km.
Fly Ash Disposal System Proposed	Fly ash will be collected in dry form for utilization, while bottom ash will be collected in wet form. There would be provision for dry disposal of fly ash from storage silos to closed tankers for utilization in cement industries, abandoned mine reclamation, road construction, aggregate replacement in concrete, for manufacturing bricks, etc. as per Fly Ash Notification, 31st December’ 2021 and amendments. Provision would be kept for HCSD disposal of both bottom and fly ash to ash pond in case of exigency. In this case, both bottom ash and fly ash will be disposed through HCSD system to the proposed ash dyke.
a) Ash Pond / Dyke: (Area, Location & Co-ordinates) Average height of area above MSL (m) b) Space left in ash dyke area	Area-49.37 ha 25° 0'1.67"N 82°40'33.12"E 195 m above MSL. Area- 49.37 ha
Quantity of a) Fly Ash to be generated b) Bottom Ash to be generated:	10,035 TPD 8028 TPD 2007 TPD
Fly Ash utilization percentage with details in last 5 years	No fly ash generated in last five years as this is a green field (De Novo) project
Stack Height (m) & Type of Flue	120 (m) (new) Bi Flue

ix. The estimated project cost is Rs. 18,300 Cr. Total capital cost earmarked towards environmental pollution control measures is Rs. 3012.39 Cr. and the Recurring cost (operation and maintenance) will be about Rs 3.0 Cr per annum considering EMP.

x. Total Employment will be 275 persons as direct & 25 persons as indirect. Industry proposes to allocate Rs. 48.5 Cr. towards CER (as per Ministry’s OM dated 30.09.2020).

xi. There are no national parks, wildlife sanctuaries, Biosphere Reserves, Tiger/Elephant Reserves, Wildlife Corridors etc. within 10 km distance from the project site except Reserved forests, temples and BHU (South Campus) exist within the study area from the project site. Upper Khajuri Dam is at a distance of 6.0 km in the WEST direction and few other water bodies exist within the study area from the project site.

xii. Effluent of 1080 KLD quantity will be treated through STP & ETP. The plant will be based on a Zero Liquid discharge system.

xiii. Power requirement after will be 7.5 and will be met from self-generation, i.e. AUX consumption. The existing unit has no DG sets, additionally, no DG sets are used as standby during power failure. Stack (height-movable DG sets) will be provided as per CPCB norms for the proposed DG sets.

xiv. The existing unit has no boiler. Additionally, a 585 TPH coal-fired boiler will be installed. Electrostatic precipitator (ESP), NOx Control system and Flue gas desulphurisation system (FGD) with a stack height of 120 m will be installed for controlling particulate emissions within the statutory limit of 30 mg/Nm3 for proposed boilers.

xv. Details of Solid waste/ Hazardous waste generation and its management are given below-

Name of the waste	Source	Quantity (TPA)	Mode of Disposal	Mode of Transportation
Used/Spent oil	Plant Operation	60	Registered Recyclers/ Pre-processors with SPCB	Road
Wastes or residues containing oil	Plant Operation	10	Send to authorized recyclers	Road
Empty barrels/container/ contaminated liners	Plant Operation	12	Send to authorized recyclers	Road

xvi. Ash Pond area: As per MoEF&CC Notification S.O. 5481(E) dated 31.12.2021 and amendments stipulated ash pond area for thermal power plant 0.1 hectare per Mega Watt (MW). The proposed power plant has total ash pond area 49.37 ha i.e. 13.51% of the total project area 365.19 ha which is well within the norms.

xvii. Water Requirement: Water consumption for thermal power plants as per MoEF&CC vide Notification S.O. 3305 (E) dated 07.12.2015 for all existing CT based plants reduce specific water consumption upto maximum of 3.5 m3/MWh and as per MoEF&CC stipulated norms vide Notification GSR 593 (E) dated 28.06.2018 water allocated to the thermal power plant is 3 m3/MWhr for new plants installed after the 1st January, 2017. The total water requirement for the project is 3200 m3/h, (2m3/MWh) which will be well within the stipulated norms of Notification dated 07.12.2015/28.06.2018.

xviii. The water drawl permission of 36 MCM/year is obtained from WRD Uttar Pradesh Vide letter no. 3613/11-27-C.0-4-174/11 dated 09.10.2011.

xix. Details of Coal Linkage: Coal for the Proposed project will be Domestic coal from commercial Coal Mines of NCL / SECL / CCL & Commercial Coal Mines.

xx. Status of Litigation Pending against the proposal, if any.

Court name	Bench	Case Category	Status	Orders Directions
Local Court	Local Court	WP(Civil)	Reserved for judgement	Regulatory and Non Regulatory court caes are under hearing & consideration.
NGT court Case	NGT, Principal Bench, Delhi	Appeal	Disposed Off	In December’ 2016, NGT judgement set aside the EC of the 1320 MW TPP at Mirzapur and vide their judgment in May’2017, that Project proponent is at liberty to approach the MoEFCC or any other competent authority for processing of the applications for grant of EC upon making up for rectifying the defects and deficiencies pointed out in the judgment. However, the authorities concerned are at liberty to process the same in accordance with law while strictly adhering to the content of the judgment.

Deliberations of the Committee

7. The EAC noted the following:

i. The proposal is for the grant of Terms of Reference (ToR) to 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP) at Village Dadri Khurd, Tehsil, Mirzapur Sardar, District Mirzapur, Uttar Pradesh by Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL). The committee noted that earlier, M/s. Welspun Energy UP Pvt. Ltd. (WEUPPL) proposed to set up a 2x660 MW Super Critical Coal-based thermal power plant and MoEF&CC granted EC for 1320 (2x660) MW vide letter no. F. No: J-13012/12/2011-IA II(T) dated 21.08.2014 and subsequently, name changed to Welspun Energy UP Pvt. Ltd. (WEUPPL) to Mirzapur Thermal Energy UP Pvt. Ltd. (MTEUPPL) vide Letter No. F. No: J-13012/12/2011-IA II(T) dated 20.12.2019.

ii. It was noted by the EAC that in 2016, Hon'ble NGT, Principal Bench, Delhi vide Judgement dated 21.12.2016 set aside the Environmental Clearance (EC) dated 21.08.2014. Further, in the Judgement dated 01.05.2017, it was clarified that "the Project Proponent is at liberty to approach the MoEF&CC or any other competent authority for the processing of the application for grant of EC upon making up for rectifying the defects and deficiencies pointed out in the judgement". Accordingly, PP applied for amendment in EC in 2019 but the same was not issued due to non-submission of the Stage-I FC.

iii. It was observed by the committee that as per the KML file, no construction work has been started yet and now PP has proposed a thermal power plant with a change in capacity from 2x660 MW to 2x800 MW for obtaining prior environmental clearance (De Novo).

iv. The Committee also deliberated on the land use and observed that previous EC was granted over an area of 354.1 Ha (875 acres as per EC dated 21.08.2014) but now the proposal is for 365.19 Ha. The EAC deliberated on land use pattern and PP informed that the area is barren land, further EAC asked PP to submit existing Land Use pattern of the Project Site. Accordingly, PP vide letter dated 10.06.2024 submitted the following:
The proposed Land area for the project is 365.19 Ha. Land as per Government of Uttar Pradesh land records and land use details are as under:

S. No.	Type of Land	Area (in ha)	Remarks
a.	Industrial Land (Private Land converted for industrial use.) Currently the land is barren and under possession.	333.19	Land use map prepared using satellite imagery and GIS is enclosed as Annexure – I. Copy of order & summary of land documents is enclosed as Annexure – II. Based on the Land allotment and Land converted for industrial purpose by order of District Magistrate, Sadar Mirzapur, Govt.of U.P Order dated: 05.11.2012.
b.	Govt. Land	31.38	Application for land allotment was submitted on dated 22.03.2024 & 22.05.2024. Copy of receipt the application is enclosed Annexure - III.
c.	Forest like area	0.62	The application was submitted for diversion of forest area (forest-like area) but after the Joint inspection of DFO (Forest Office) & SDM (Revenue) held on 03.04.2024, it was confirmed that the above area is Non-Forest Land. Copy of Joint inspection report enclosed Annexure - IV. However, as per the directions of Hon'ble committee members, this area will be used for plantation / green belt purposes only

The Committee observed that PP has reported an area of 0.62 Ha (forest land) inside the plant boundary but at the same time applied for FC over an area of 4.0123 vide proposal No FP/UP/OTHERS/470227/2024 dated 22/04/2024. Further, PP submitted that application was submitted for the same area (0.62 Ha) but after joint inspection of DFO (Forest Office) & SDM (Revenue) was held on 3.04.2024 confirming that the above area is non-forest land. In addition to this PP also reported in PFR that there is a forest involvement in water pipeline (5.8162 ha) and approach road (2.5419 ha). Stage I Forest Clearance has already been applied for this vide Proposal no. FP/UP/THE/14236/2015 and the same is under due consideration with MoEF&CC. The Committee is of the view that although PP has submitted a copy of joint inspection report but for more clarity PP shall obtain a letter in this regard from concerned forest department clearly mentioning the extent of forest land involved within and outside (other activities related to plant) plant area. The EAC also suggested that while preparing the EIA/EMP report, PP shall explore the possibility of optimizing forest land requirement to the extent possible and submit a detailed note on the same at the time of EC presentation. In case of any increase in forest land PP shall obtain the amendment in ToR.
v. PP showed the KML file and Topo-Sheet of the project area. The Committee observed that as per KML the area is barren land but some water bodies/nallha passing though the project area. The Committee therefore asked the PP to submit a drainage map with contours. PP vide letter dated 10.06.2024 submitted project area drainage map with contour. The Committee is of the view that PP shall submit a plan for diversion of nallha/water body, if any, involved in the project. PP shall also obtain the permission for such diversion from the concerned authorities.

vi. The Committed observed that PP has submitted that Coal for the proposed project will be Domestic coal from commercial Coal Mines of NCL / SECL / CCL & Commercial Coal Mines. But PP has not submitted the quantity of coal that will be used for the proposed plant, accordingly, PP vide email dated 10.06.2024 submitted that the annual requirement of coal is estimated to be about 6.4 million MTPA for Ultra Super Critical Boiler based TPP (2x800 MW) Coal from Coal Mines of NCL / SECL & Commercial Coal Mines. The Coal will be transported through Rail as per the rules, regulations & terms/conditions of the Indian Railway for transportation of Coal. The Committee is of the view PP shall submit the firm coal linkage, quality of coal and propose mitigative measures in the EIA/EMP report after referring to the OMs issued by MoEF&CC in this regard.

vii. The Committee also observed that PP has submitted a PPT for expansion but it's a green field project and asked the PP to submit the revised PPT. PP vide email dated 10.06.2024 submitted the revised PPT and basic information.

viii. Further, the EAC noted that the total water requirement for the expansion project is 3200 m3/h (~2 m3 /MWh), which is well within the stipulated limits mentioned in the Notification dated 28.06.2018. The water drawl permission of 36 MCM/year is obtained from WRD Uttar Pradesh Vide letter no. 3613/11-27-C.0-4-174/11 dated 09.10.2011.

ix. Additionally, the Committee noted that total power generation will be 1600 MW (2x800 MW). Further, as per MoEF&CC Notification S.O. 5481(E) dated 31.12.2021 and amendments stipulated ash pond area for the thermal power plant is 0.1 hectare per Mega Watt (MW), which works out to be 160 Ha. The proposed power plant has a total ash pond area of 49.37 ha i.e. 13.51% of the total project area 365.19 ha which is well within the area suggested as per Notification dated 31.12.2021.

x. The Committee is also of the view that PP while preparing the EIA/EMP Report and conducting Public consultation shall take into account, the deficiency pointed out by the Hon'ble NGT Judgment 21.12.2016.

Recommendations of the Committee:

8. The EAC after detailed deliberation on the information submitted and as presented during the meeting **recommended** the proposal for grant of ToR for conducting an EIA study with Public Consultation (Public Hearing and Written submission) to the project for the construction of the 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP) at Village Dadri Khurd, Tehsil, Mirzapur Sardar, District Mirzapur, Uttar Pradesh by **M/s Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited** (MTEUPPL), under the provisions of the EIA Notification, 2006, as amended with the specific ToRs in addition to generic/standard ToR.

9. In accordance with the provisions contained in the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 & further amendments thereto and based on the recommendations of the EAC, the Ministry hereby accords Terms of Reference (ToR) to M/s Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL) for for the construction of the 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP) at Village Dadri Khurd, Tehsil, Mirzapur Sardar, District Mirzapur, Uttar Pradesh under EIA Notification, 2006 (as amended) with the specific ToRs in addition to generic/standard ToR as per **Annexure 1**.

10. The EIA/EMP report should contain the information in accordance with provisions & stipulations as given in the specific and standard ToR.

11. You are required to submit the final EIA/EMP prepared as per TORs to the Ministry within 4 years as per this Ministry's Notification vide dated 25.07.2022 for considering the proposal for environmental clearance.

12. The consultants involved in the preparation of EIA/EMP report after accreditation with Quality Council of India/National Accreditation Board of Education and Training (QCI/NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA/EMP reports prepared by them and data provided by other organization(s)/laboratories including their status of approvals etc.

13. The Ministry reserves the right to stipulate additional ToR, if found necessary.

14. The Terms of Reference to the aforementioned project is under provisions of EIA Notification, 2006. It does not tantamount to approvals/consent/permissions etc. required to be obtained under any other Act/Rule/regulation. The Project

Proponent is under obligation to obtain approvals /clearances under any other Acts/ Regulations or Statutes, as applicable, to the project.

15. This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Sundar Ramanathan)
Scientist ‘E’/Additonal Director
Tel: 011- 20819378
Email- r.sundar@nic.in;

Copy To

1. The Secretary, Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi 110001.
2. The Chairman, Central Electricity Authority, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110066.
3. The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, CBD cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi-110032.
4. The Chairman, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, Building. No. TC-12V. Vibhuti Khand, Gomti Nagar. Lucknow-226 010
4. The Deputy Director General of Forests (C), Integrated Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector “H”, Aliganj, Lucknow – 2260205.
5. The Chairman, Central Ground Water Authority, Ministry of Water Resources, Curzon Road Barracks, A-2, W-3 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.
6. Member Secretary, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, PICUP Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow – 226 010.
7. The Member Secretary, Central Ground Water Authority, Jamnagar House, 18/11, Man Singh Road Area, New Delhi, Delhi 110001
9. The District Collector, Mirzapur, Uttar Pradesh
10. Guard File/Monitoring File/PARIVESH Portal

Annexure 1

Specific Terms of Reference for (Thermal Power Plants)

1. [A] Environmental Management And Biodiversity Conservation

S. No	Terms of Reference
1.1	A Cumulative Environmental Impact Assessment study of all the existing and proposed projects in the 15-km radius of the proposed project shall be conducted and the same shall be included the in EIA/EMP report. Details of industrial units present in 15 Km radius of the power plant shall be submitted.
1.2	Radioactivity studies along with coal analysis to be provided (sulphur, ash percentage and heavy metals including Pb, Cr, As and Hg). Details of auxiliary fuel, if any including its quantity, quality, storage, etc should also be given.
1.3	A comparative chart shall be prepared with changes observed from the previous baseline study and present baseline study.

S. No	Terms of Reference
1.4	PP should submit the detailed plan in tabular format (year-wise for the life of the project) for concurrent afforestation and green belt development in and around the project site. The PP should submit the number of saplings to be planted, names of native species, area to be covered under afforestation & green belt, location of plantation, target for survival rate and budget earmarked for the afforestation & green belt development. In addition to this, PP should show on a surface plan (5-year interval for life of project) of suitable scale the area to be covered under afforestation & green belt clearly mentioning the latitude and longitude of the area to be covered during each 5 years. The capital and recurring expenditure to be incurred needs to be submitted. Plantation plan should be prepared in such a way that 80% of the plantation to be carried out in first 5 years and for the remaining years the proposal for gap filling. The seedling of height not less than 2 meters to be selected and accordingly cost of plantation needs to be decided. In addition to this, plantation in the safety zone at project boundary the plantation should be planned in such a way that it should be completed within 2 years only.
1.5	Action plan for development of Three tier plantation programme (33% of total project cover area) along the periphery of the project boundary shall be provided. Plan shall be duly approved by the local forest department.
1.6	A detailed plan need to be submitted for undertaking extensive green plantation within 10 km radius of the plant focusing on water reservoir, school, hospital and other institutional area and same need to be incorporated in EIA/EMP report.
1.7	*Detailed action plan shall be prepared for maintenance of air pollution control equipment for proposed and existing units and shall be incorporated in EIA/EMP report.*
1.8	*Details of Ash management of 5-year plan for 100 % ash utilization for proposed project shall be submitted. MoU signed for ash utilization with companies shall be submitted.*
1.9	*Details of Ash handling system along with the supplementary coal handling system shall be submitted.*
1.10	*Proper protection measures like HDPE lining, appropriate height of bund and adequate distance between the proposed Ash pond and water body (minimum 60 meters) etc. shall be planned to reduce the possibility of mixing leachate with any freshwater body for under-construction ash pond. A high-density Slurry disposal plan shall be prepared. The design of the same should as per CEA/CPCB guidelines.*
1.11	*Pond and ground water quality (10 locations within 2 km radius of the plant boundary) shall be studied and report be submitted along with EIA/EMP. Action plan for Ground water monitoring stations on all hotspots like schools/hospitals within 2 km radius of the plant boundary be submitted. Baseline Study for Heavy metals in Groundwater, Surface water and soil to be carried out and incorporated in EIA/EMP report. This is in addition to the regular baseline study of the study area.*
1.12	*Details pertaining to water source, treatment and discharge should be provided.*
1.13	*Zero Liquid Discharge plan shall be submitted.*
1.14	*PP shall submit action plan for using treated Sewage/Domestic wastewater for its operations.*

S. No	Terms of Reference
1.15	*Project Proponent to conduct Environmental Cost Benefit Analysis for the project in EIA/EMP Report.*
1.16	*An action plan shall be prepared for Water shed development within a 10 km radius of the plant boundary in consultation with a reputed government institution and incorporated in the EIA/EMP report. This should include recharge of ground water in the surrounding area of the plant.*
1.17	*PP should clearly bring out that what is the specific diesel consumption ~ (Liters/Tonne of total material handled) and steps to be taken for reduction of the same. The year-wise target for reduction in the specific diesel consumption needs to be submitted. PP shall also explore the possibility of using e-vehicles/LNG/CNG-based machinery and trucks for the operation and transportation of Coal and ash.*
1.18	*PP shall submit a plan for diversion of nallha/water body if any involved in the project. PP shall also obtain the permission for such diversion from the concerned authority.*
1.19	*PP shall obtain a letter from concerned forest department clearly mentioning the extent of forest land involved within and outside (other activities related to plant) plant area.*
1.20	*While preparing the EIA/EMP report, PP shall explore the possibility of optimizing forest land requirement to the extent possible and submit a detailed note on the same at the time of EC presentation. In case of any increase in forest land PP shall obtain the amendment in ToR.*
1.21	*List of Schedule-1 species needs to be authenticated by the concerned forest department.*
1.22	*PP shall submit the firm coal linkage, quality of coal and propose mitigative measures in the EIA/EMP report after referring to the OMs issued by MoEF&CC in this regard.*

2. [B] Disaster Management

S. No	Terms of Reference
2.1	A Disaster Management Plan shall be prepared and incorporated in the EIA/EMP report.

3. [D] Miscellaneous

S. No	Terms of Reference
3.1	*Plot the wind rose diagram using the typical meteorological year (TMY) data for the period considered for the study. The monitoring units shall be deployed in the field based on the coverage area ratio and direction of the wind. A mathematical model shall be developed for the local site rather than using the standard model available in software for both air & water quality modelling.*
3.2	*PP shall align its activities to one/few of the Sustainable Development Goals (SDG) and start working on the mission of net zero by 2050. PPs shall update the same to the EAC.*
3.3	*PP shall submit the EIA/EMP report after the plagiarism check using authenticated plagiarism software.*

S. No	Terms of Reference
3.4	*Detailed description of all the court cases including all directions given by the apex and currents status of them shall submit.*
3.5	*PP should provide in the EIA Report details of all the statutory clearances, permissions, no objection certificates, consents etc. required for this project under various Acts, Rules and regulations and their status or estimated timeline after grant of EC.*
3.6	*The PP should submit the photograph of monitoring stations & sampling locations. The photograph should bear the date, time, latitude & longitude of the monitoring station/sampling location. In addition to this PP should submit the original test reports and certificates of the labs which will analyze the samples.*
3.7	*PP should clearly bring out the details of the manpower to be engaged for this project with their roles /responsibilities/designations. In addition to this PP should mention the number and designation of persons to be engaged for the implementation of environmental management plan (EMP). The capital and recurring expenditure to be incurred needs to be submitted.*
3.8	*PP should submit the year-wise, activity-wise and time-bound budget earmarked for EMP, occupational health surveillance, and activities proposed to address the issues raised during the Public Hearing. The capital and recurring expenditures to be incurred need to be submitted.*
3.9	*Aerial view video of the project site and transportation route proposed for this project shall be recorded through drone and be submitted.*
3.10	*PP while preparing the EIA/EMP Report and conducting Public consultation shall take into account, the deficiency pointed out by the Hon'ble NGT Judgment 21.12.2016.*

4. [C] Socio-economic Study

S. No	Terms of Reference
4.1	*The Public Health Delivery Plan including the provisions for drinking water supply for the local population shall be in the EIA/EMP Report. The status of the existing medical facilities in the project area shall be discussed. Possibilities of strengthening of existing medical facilities, construction of new medical infrastructure etc. will be explored after assessing the needs of the labour force and local populace.*
4.2	*Public consultation (Public Hearing and Written submission) shall be conducted as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended) and OMs issued in this regard by MoEF&CC.*
4.3	*As per the Ministry's OM dated 30.09.2020, to address the concern raised during the Public Hearing, the Project Proponent is required to submit the detailed activities proposed with year-wise budgetary provision (Capital and recurring) for at least 10 years. Activities proposed shall be part of EMP. Tentative no. of project-affected families (if any) shall be identified and accordingly appropriate Rehabilitation &Resettlement plan shall be prepared. The recommendation Socio-economic study may also be considered while planning the activities & budget. In addition to this issues raised during previous PH shall also be taken into account.*
4.4	*Demographic details in 10 km area shall be submitted.*

Standard Terms of Reference for (Thermal Power Plants)

1. Statutory Compliance

S. No	Terms of Reference
1.1	The proposed project shall be given a unique name in consonance with the name submitted to other Government Departments etc. for its better identification and reference.
1.2	Vision document specifying prospective long term plan of the project shall be formulated and submitted.
1.3	Latest compliance report duly certified by the Regional Office of MoEF&CC for the conditions stipulated in the environmental and CRZ clearances of the previous phase(s) for the expansion projects shall be submitted.

2. Details Of The Project And Site

S. No	Terms of Reference
2.1	The project proponent needs to identify minimum three potential sites based on environmental, ecological and economic considerations, and choose one appropriate site having minimum impacts on ecology and environment. A detailed comparison of the sites in this regard shall be submitted.
2.2	Executive summary of the project indicating relevant details along with recent photographs of the proposed site (s) shall be provided. Response to the issues raised during Public Hearing and the written representations (if any), along with a time bound Action Plan and budgetary allocations to address the same, shall be provided in a tabular form, against each action proposed.
2.3	Harnessing solar power within the premises of the plant particularly at available roof tops and other available areas shall be formulated and for expansion projects, status of implementation shall also be submitted.
2.4	The geographical coordinates (WGS 84) of the proposed site (plant boundary), including location of ash pond along with topo sheet (1:50,000 scale) and IRS satellite map of the area, shall be submitted. Elevation of plant site and ash pond with respect to HFL of water body/nallah/River and high tide level from the sea shall be specified, if the site is located in proximity to them.
2.5	Layout plan indicating break-up of plant area, ash pond, green belt, infrastructure, roads etc. shall be provided.
2.6	Land requirement for the project shall be optimized and in any case not more than what has been specified by CEA from time to time. Item wise break up of land requirement shall be provided.
2.7	Present land use (including land class/kism) as per the revenue records and State Govt. records of the proposed site shall be furnished. Information on land to be acquired including coal transportation system, laying of pipeline, ROW, transmission lines etc. shall be specifically submitted. Status of land acquisition and litigation, if any, should be provided.
2.8	If the project involves forest land, details of application, including date of application, area applied for, and application registration number, for diversion under FCA and its status should be provided

S. No	Terms of Reference
	along with copies of relevant documents.
2.9	The land acquisition and R&R scheme with a time bound Action Plan should be formulated and addressed in the EIA report.
2.10	Satellite imagery and authenticated topo sheet indicating drainage, cropping pattern, water bodies (wetland, river system, stream, nallahs, ponds etc.), location of nearest habitations (villages), creeks, mangroves, rivers, reservoirs etc. in the study area shall be provided.
2.11	Topography of the study area supported by toposheet on 1:50,000 scale of Survey of India, along with a large scale map preferably of 1:25,000 scale and the specific information whether the site requires any filling shall be provided. In that case, details of filling, quantity of required fill material; its source, transportation etc. shall be submitted.

3. Ecology Biodiversity And Environment

S. No	Terms of Reference
3.1	A detailed study on land use pattern in the study area shall be carried out including identification of common property resources (such as grazing and community land, water resources etc.) available and Action Plan for its protection and management shall be formulated. If acquisition of grazing land is involved, it shall be ensured that an equal area of grazing land be acquired and developed and detailed plan submitted.
3.2	Location of any National Park, Sanctuary, Elephant/Tiger Reserve (existing as well as proposed), migratory routes / wildlife corridor, if any, within 10 km of the project site shall be specified and marked on the map duly authenticated by the Chief Wildlife Warden of the State or an officer authorized by him.
3.3	A mineralogical map of the proposed site (including soil type) and information (if available) that the site is not located on potentially mineable mineral deposit shall be submitted.
3.4	The water requirement shall be optimized (by adopting measures such as dry fly ash and dry bottom ash disposal system, air cooled condenser, concept of zero discharge) and in any case not more than that stipulated by CEA from time to time, to be submitted along with details of source of water and water balance diagram. Details of water balance calculated shall take into account reuse and re-circulation of effluents.
3.5	Water body/Nallah (if any) passing across the site should not be disturbed as far as possible. In case any Nallah / drain is proposed to be diverted, it shall be ensured that the diversion does not disturb the natural drainage pattern of the area. Details of proposed diversion shall be furnished duly approved by the concerned Department of the State.
3.6	It shall also be ensured that a minimum of 500 m distance of plant boundary is kept from the HFL of river system / streams etc. and the boundary of site should also be located 500 m away from railway track and National Highways.
3.7	Hydro-geological study of the area shall be carried out through an institute/ organization of repute to assess the impact on ground and surface water regimes. Specific mitigation measures shall be

S. No	Terms of Reference
	spelt out and time bound Action Plan for its implementation shall be submitted
3.8	Detailed Studies on the impacts of the ecology including fisheries of the River/Estuary/Sea due to the proposed withdrawal of water / discharge of treated wastewater into the River/Sea etc shall be carried out and submitted along with the EIA Report. In case of requirement of marine impact assessment study, the location of intake and outfall shall be clearly specified along with depth of water drawl and discharge into open sea.
3.9	Source of water and its sustainability even in lean season shall be provided along with details of ecological impacts arising out of withdrawal of water and taking into account inter-state shares (if any). Information on other competing sources downstream of the proposed project and commitment regarding availability of requisite quantity of water from the Competent Authority shall be provided along with letter / document stating firm allocation of water.
3.10	Detailed plan for rainwater harvesting and its proposed utilization in the plant shall be furnished.In addition, wherever ground water is drawn, PP shall submit detailed plan of Water charging activity to be undertaken.
3.11	Feasibility of near zero discharge concept shall be critically examined and its details submitted.
3.12	Optimization of Cycles of Concentration (COC) along with other water conservation measures in the project shall be specified.
3.13	Plan for recirculation of ash pond water and its implementation shall be submitted.
3.14	Detailed plan for conducting monitoring of water quality regularly with proper maintenance of records shall be formulated. Detail of methodology and identification of monitoring points (between the plant and drainage in the direction of flow of surface / ground water) shall be submitted. It shall be ensured that parameter to be monitored also include heavy metals. A provision for long-term monitoring of ground water table using Piezometer shall be incorporated in EIA, particularly from the study area.
3.15	Hazards Characterization: Past incidents of hazard events within 10km radius of project area with detailed analysis of causes and probability of reoccurrence

4. Environmental Baseline Study And Mitigation Measures

S. No	Terms of Reference
4.1	One complete season (critical season) site specific meteorological and AAQ data (except monsoon season) as per latest MoEF&CC Notification shall be collected along with past three year’s meteorological data for that particular season for wins speed analysisand the dates of monitoring shall be recorded. The parameters to be covered for AAQ shall include PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO and Hg. The location of the monitoring stations should be so decided so as to take into consideration the upwind direction, pre-dominant downwind direction, other dominant directions, habitation and sensitive receptors. There should be at least one monitoring station each in the upwind and in the pre - dominant downwind direction at a location where maximum ground level concentration is likely to occur.

S. No	Terms of Reference
4.2	In case of expansion project, air quality monitoring data of 104 observations a year for relevant parameters at air quality monitoring stations as identified/stipulated shall be submitted to assess for compliance of AAQ Standards (annual average as well as 24 hrs).
4.3	A list of industries existing and proposed in the study area shall be furnished.
4.4	Cumulative impacts of all sources of emissions including handling and transportation of existing and proposed projects on the environment of the area shall be assessed in detail. Details of the Model used and the input data used for modelling shall also be provided. The air quality contours should be plotted on a location map showing the location of project site, habitation nearby, sensitive receptors, if any. The windrose and isopleths should also be shown on the location map. The cumulative study should also include impacts on water, soil and socio-economics.
4.5	Radio activity and heavy metal contents of coal to be sourced shall be examined and submitted along with laboratory reports.
4.6	Fuel analysis shall be provided. Details of auxiliary fuel, if any, including its quantity, quality, storage etc should also be furnished.
4.7	Quantity of fuel required, its source and characteristics and documentary evidence to substantiate confirmed fuel linkage shall be furnished. The Ministry's Notification dated 02.01.2014 regarding ash content in coal shall be complied. For the expansion projects, the compliance of the existing units to the said Notification shall also be submitted
4.8	Details of transportation of fuel from the source (including port handling) to the proposed plant and its impact on ambient AAQ shall be suitably assessed and submitted. If transportation entails a long distance it shall be ensured that rail transportation to the site shall be first assessed. Wagon loading at source shall preferably be through silo/conveyor belt.
4.9	For proposals based on imported coal, inland transportation and port handling and rail movement shall be examined and details furnished. The approval of the Port and Rail Authorities shall be submitted.
4.10	Details regarding infrastructure facilities such as sanitation, fuel, restrooms, medical facilities, safety during construction phase etc. to be provided to the labour force during construction as well as to the casual workers including truck drivers during operation phase should be adequately catered for and details furnished.

5. Environmental Management Plan

S. No	Terms of Reference
5.1	EMP to mitigate the adverse impacts due to the project along with item - wise cost of its implementation in a time bound manner shall be specified.
5.2	A Disaster Management Plan (DMP) along with risk assessment study including fire and explosion issues due to storage and use of fuel should be prepared. It should take into account the maximum inventory of storage at site at any point of time. The risk contours should be plotted on the plant layout map clearly showing which of the proposed activities would be affected in case of an

S. No	Terms of Reference
	accident taking place. Based on the same, proposed safeguard measures should be provided. Measures to guard against fire hazards should also be invariably provided. Provision for mock drills shall be suitably incorporated to check the efficiency of the plans drawn.
5.3	The DMP so formulated shall include measures against likely Fires/Tsunami/Cyclones/Storm Surges/ Earthquakes etc, as applicable. It shall be ensured that DMP consists of both On-site and Off-site plans, complete with details of containing likely disaster and shall specifically mention personnel identified for the task. Smaller version of the plan for different possible disasters shall be prepared both in English and local languages and circulated widely.
5.4	Details of fly ash utilization plan as per the latest fly ash Utilization Notification of GOI along with firm agreements / MoU with contracting parties including other usages etc. shall be submitted. The plan shall also include disposal method / mechanism of bottom ash along with monitoring mechanism.

6. Green Belt Development

S. No	Terms of Reference
6.1	Detailed scheme for raising green belt of native species of appropriate width (50 to 100 m) and consisting of at least 3 tiers around plant boundary not less than 2000 tree per ha with survival rate of more than 85%shall be submitted. Photographic evidence must be created and submitted periodically including NRSA reports in case of expansion projects. A shrub layer beneath tree layer would serve as an effective sieve for dust and sink for CO_2 and other gaseous pollutants and hence a stratified green belt should be developed.
6.2	Over and above the green belt, as carbon sink, plan for additional plantation shall be drawn by identifying blocks of degraded forests, in close consultation with the District Forests Department. In pursuance to this the project proponent shall formulate time bound Action Plans along with financial allocation and shall submit status of implementation to the Ministry every six months

7. Socio-economic Activities

S. No	Terms of Reference
7.1	Socio-economic study of the study area comprising of 10 km from the plant site shall be carried out through a reputed institute / agency which shall consist of detail assessment of the impact on livelihood of the local communities.
7.2	Action Plan for identification of local employable youth for training in skills, relevant to the project, for eventual employment in the project itself shall be formulated and numbers specified during construction & operation phases of the Project.
7.3	If the area has tribal population, it shall be ensured that the rights of tribals are well protected. The project proponent shall accordingly identify tribal issues under various provisions of the law of the land.
7.4	A detailed CER plan along with activities wise break up of financial commitment shall be prepared in terms of the provisions OM No. 22-65/2017-IA.III dated 30.09.2020.CER component shall be

S. No	Terms of Reference
	identified considering need based assessment study and Public Hearing issues. Sustainable income generating measures which can help in upliftment of affected section of society, which is consistent with the traditional skills of the people shall be identified.
7.5	While formulating CER schemes it shall be ensured that an in-built monitoring mechanism for the schemes identified are in place and mechanism for conducting annual social audit from the nearest government institute of repute in the region shall be prepared. The project proponent shall also provide Action Plan for the status of implementation of the scheme from time to time and dovetail the same with any Govt. scheme(s). CERdetails done in the past should be clearly spelt out in case of expansion projects.
7.6	R&R plan, as applicable, shall be formulated wherein mechanism for protecting the rights and livelihood of the people in the region who are likely to be impacted, is taken into consideration. R&R plan shall be formulated after a detailed census of population based on socio economic surveys who were dependant on land falling in the project, as well as, population who were dependant on land not owned by them.
7.7	Assessment of occupational health and endemic diseases of environmental origin in the study area shall be carried out and Action Plan to mitigate the same shall be prepared.
7.8	Occupational health and safety measures for the workers including identification of work related health hazards shall be formulated. The company shall engage full time qualified doctors who are trained in occupational health. Health monitoring of the workers shall be conducted at periodic intervals and health records maintained. Awareness programme for workers due to likely adverse impact on their health due to working in non-conducive environment shall be carried out and precautionary measures like use of personal equipments etc. shall be provided. Review of impact of various health measures undertaken at intervals of two to three years shall be conducted with an excellent follow up plan of action wherever required.

8. Corporate Environment Policy

S. No	Terms of Reference
8.1	Does the company has a well laid down Environment Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be detailed in the EIA report.
8.2	Does the Environment Policy prescribe for standard operating process / procedures to bring into focus any infringement / deviation / violation of the environmental or forest norms / conditions? If so, it may be detailed in the EIA.
8.3	What is the hierarchical system or Administrative order of the company to deal with the environmental issues and for ensuring compliance with the environmental clearance conditions. Details of this system may be given.
8.4	Does the company has compliance management system in place wherein compliance status along with compliances / violations of environmental norms are reported to the CMD and the Board of Directors of the company and / or shareholders or stakeholders at large? This reporting mechanism should be detailed in the EIA report.

9. Miscellaneous

S. No	Terms of Reference
9.1	All the above details should be adequately brought out in the EIA report and in the presentation to the Committee.
9.2	Details of litigation pending or otherwise with respect to project in any Court, Tribunal etc. shall invariably be furnished.
9.3	In case any dismantling of old plants are envisaged, the planned land use & land reclamation of dismantled area to be furnished.

10. Additional Tor For Coastal Based Thermal Power Plants Projects (Tpps)

S. No	Terms of Reference
10.1	Low lying areas fulfilling the definition wetland as per Ramsar Convention shall be identified and clearly demarcated w.r.t the proposed site.
10.2	If the site includes or is located close to marshy areas and backwaters, these areas must be excluded from the site and the project boundary should be away from the CRZ line. Authenticated CRZ map from any of the authorized agencies shall be submitted.
10.3	The soil levelling should be minimum with no or minimal disturbance to the natural drainage of the area. If the minor canals (if any) have to be diverted, the design for diversion should be such that the diverted canals not only drains the plant area but also collect the volume of flood water from the surrounding areas and discharge into marshy areas/major canals that enter into creek. Major canals should not be altered but their embankments should be strengthened and desilted.
10.4	Additional soil required for levelling of the sites should as far as possible be generated within the site itself in such a manner that the natural drainage system of the area is protected and improved.
10.5	Marshy areas which hold large quantities of flood water to be identified and shall not be disturbed.
10.6	No waste should be discharged into Creek, Canal systems, Backwaters, Marshy areas and seas without appropriate treatment. Wherever feasible, the outfall should be first treated in a Guard Pond and then only discharged into deep sea (10 to 15 m depth). Similarly, the Intake should be from deep sea to avoid aggregation of fish and in no case shall be from the estuarine zone. The brine that comes out from Desalinization Plants (if any) should not be discharged into sea without adequate dilution.
10.7	Mangrove conservation and regeneration plan shall be formulated and Action Plan with details of time bound implementation shall be specified, if mangroves are present in Study Area.
10.8	A common Green Endowment Fund should be created by the project proponents out of EMP budgets. The interest earned out of it should be used for the development and management of green cover of the area.
10.9	Impact on fisheries at various socio economic level shall be assessed.
10.10	An endowment Fishermen Welfare Fund should be created out of CER grants not only to enhance their quality of life by creation of facilities for Fish Landing Platforms / Fishing Harbour / cold

S. No	Terms of Reference
	storage, but also to provide relief in case of emergency situations such as missing of fishermen on duty due to rough seas, tropical cyclones and storms etc.
10.11	Tsunami Emergency Management Plan shall be prepared wherever applicable and Plan submitted prior to the commencement of construction work.
10.12	There should not be any contamination of soil, ground and surface waters (canals & village pond) with sea water in and around the project sites. In other words necessary preventive measures for spillage from pipelines, such as lining of Guard Pond used for the treatment of outfall before discharging into the sea and surface RCC channels along the pipelines of outfall and intake should be adopted. This is just because the areas around the projects boundaries could be fertile agricultural land used for paddy cultivation.

PARIVESH प्रकृति रक्षति रक्षिता Nature Protects if She is Protected CPC GREEN e-KYC CAF DSS e-Processing e-Payments e-Compliance KYA

Signed by
Sundar Ramanathan
Date: 29-07-2024 20:45:51
Reason: Verified and
signed

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-2

पत्र सं० Ref. No H94458 /C-2/NOC-5506/Public hearing/25 पंजीकृत

दिनांक Date 20/02/25

महत्वपूर्ण/लोक सुनवाई हेतु

सेवा में,
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

विषय:– मैसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लि0 द्वारा प्रस्तावित 2x800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिर्जापुर थर्मल पॉवर प्लांट, ग्राम–दादरी खुर्द, तहसील–मिर्जापुर सदर, जिला–मीरजापुर, उ0प्र0 में क्षेत्रफल–365.19 हे0 में 2x800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिर्जापुर थर्मल पॉवर प्लांट की परियोजना हेतु प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P. द्वारा दिनांक 29.07.2024 को जारी TOR के अनुसार मैसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लि0 द्वारा प्रस्तावित 2x800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिर्जापुर थर्मल पॉवर प्लांट, ग्राम–दादरी खुर्द, तहसील–मिर्जापुर सदर, जिला–मीरजापुर, उ0प्र0 में क्षेत्रफल–365.19 हे0 में 2x800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिर्जापुर थर्मल पॉवर प्लांट की परियोजना प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के सम्बंध में मैसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लि0, अदानी कॉरपोरेट हाउस, शांतिग्राम, निकट वैष्णों देवी सर्कल, एस0जी0 हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद, गुजरात से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533, दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0–3067(ई) दिनांक 01.12.2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त किया जाना प्राविधानित है।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार लोक सुनवाई पैनल में जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो कि अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा लोक सुनवाई प्रक्रिया का संचालन किया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि की सूचना 30 दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने की अनिवार्यता है। इसी अनुक्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ के ***"पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के संबंध में"*** विषयक समस्त जिलाधिकारी को संबोधित पत्रांक–1138/एम/21/(पर्यावरण)/2011(II) दिनांक 08.08.2018 के अनुक्रम में एक कलस्टर में आने वाले खनन परियोजनाओं की संयुक्त सुनवाई तहसील मुख्यालय में किये जाने के शासनादेश का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु 30 दिन की नोटिस के उपरान्त की तिथि, समय एवं स्थल निर्धारित करने का कष्ट करें जिससे लोक सुनवाई की सूचना समयानुसार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर लोक सुनवाई हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

<u>प्रतिलिपि</u> :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
3. मैसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लि0, अदानी कॉरपोरेट हाउस, शांतिग्राम, निकट वैष्णों देवी सर्कल, एस0जी0 हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद, गुजरात।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

ANNEXURE-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ सं0/Ref. No 445428/C-2/NOC-5506/Public hearing/25

दिनांक/Date 30-4-25

सेवा में,

पंजीकृत

सदस्य सचिव, IA-Division (Thermal),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003।

विषयः मैसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लि0 द्वारा प्रस्तावित 2x800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिर्जापुर थर्मल पॉवर प्लांट, ग्राम–दादरी खुर्द, तहसील–मिर्जापुर सदर, जिला–मीरजापुर, उ0प्र0 में क्षेत्रफल–365.19 हे0 में 2x800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिर्जापुर थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव पर प्रस्तावित परियोजना की दिनांक 11.04.2025 को आहुत लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ लेने का कष्ट करे । उक्त के संबंध में मैसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लि0 द्वारा प्रस्तावित 2x800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिर्जापुर थर्मल पॉवर प्लांट, ग्राम–दादरी खुर्द, तहसील–मिर्जापुर सदर, जिला–मीरजापुर, उ0प्र0 में क्षेत्रफल–365.19 हे0 में 2x800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिर्जापुर थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृत के लिए लोक सुनवाई के संबंध में पर्यावरण अधिप्रभाव रिपोर्ट/प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533, दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0–3067(ई) दिनांक 01.12.2009 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर की अध्यक्षता में दिनांक 11.04.2025 को सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त एवं अन्य प्रपत्र, लोक सुनवाई की विडियोग्राफी (पेन ड्राइव में), फोटोग्राफ्स संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मैसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लि0, अदानी कॉरपोरेट हाउस, शांतिग्राम, निकट वैष्णों देवी सर्कल, एस0जी0 हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद, गुजरात को सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

SCANNED

क्षेत्रीय कार्यालय

206/2
22-04-2025

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र

पत्रांकः– G0450 /PH-1668/M2P/2025 दिनांकः– 17/04/2025

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक...22.04.2025
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर.....Seema
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी सम्पन्न हुई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित 2 X 800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व) महोदय, मिर्जापुर की अध्यक्षता में दिनांक–11.04.2025 को सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई की कार्यवृत्त, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति की छायाप्रतियाँ, लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारी/जन–समुदाय की उपस्थिति की छायाप्रति लोक सुनवाई के कार्यवाही की विडियोग्राफी (पेन ड्राइव में), फोटोग्राफ्स एवं जन सामान्य द्वारा दिये गये सुझाव/शिकायत को इस पत्र के साथ 02 प्रतियों में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि।

17/4/25

(आर0के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. पर्यावरण संघात प्राधिकरण (SEIAA), डा. भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–दादरी खुर्द, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।

क्षेत्रीय अधिकारी

ASO
23/04/25

Regional Office: H. No. 162, Uttar Mohal, Near Chandi Hotel, Sonbhadra (231216)
Phone: (05444) 222464 - Fax: 05444- 222464
Emil: rosonbhadra@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दिनांक–11.04.2025 को अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई "लोक सुनवाई" का कार्यवृत्त।

उक्त सन्दर्भित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने विषयक **मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना** सम्बन्धी आवेदन–पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 24458/सी–2/एन0ओ0सी0–5506/लोक–सुनवाई/25, दिनांक–20.02.2025 जो जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र से लोक–सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के अनुरोध पर जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर की अध्यक्षता में दिनांक–**11.04.2025** को **उच्च प्राथमिक विद्यालय मड़िहान बाजार**, मड़िहान, **जनपद–मिर्जापुर के समीप** नियत की गयी थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 (यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या एस0ओ0–3067 (ई) दिनांक–01.12.2009 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आम–सूचना हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों **अमर उजाला** एवं **दी इण्डियन एक्सप्रेस** में **दिनांक–07.03.2025** को आम–जनता से पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किया गया था। उक्त परियोजना का कार्यपालक सार एवं पर्यावरणीय प्रभाव ऑकलन रिपोर्ट (ई0आई0ए0) की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी कार्यालय जिला अधिकारी, मिर्जापुर, कार्यालय जिला पंचायत, मिर्जापुर उपायुक्त, जिला उघोग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मिर्जापुर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में जन–साधारण के अवलोकनार्थ रखवायी गयी थी। लोक सुनवाई के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक एवं निर्धारित स्थल पर बैनर लगाये गए एवं मुनादी करायी गयी। अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर की अध्यक्षता में दिनांक–11.04.2025 को **उच्च प्राथमिक विद्यालय मड़िहान बाजार, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर के समीप** लोक–सुनवाई का आयोजन किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नलिखित अधिकारी/जन–समूह उपस्थित हुए:–

1. श्री एस0पी0 शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर।
2. श्री आर0के0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
3. श्री आर0एन0 शुक्ला, प्रतिनिधि, मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड।
4. श्री अभय कुमार सिंह, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
5. श्री अभिषेक गौतम, मेसर्स गौरांग एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान।
6. लोक सुनवाई के समय उपस्थित जन–समूह की उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री आर0के0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने उपस्थित अध्यक्ष, आम जनता एवं प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 (यथासंशोधित) एस0ओ0 3067

(ई) दिनांक–01.12.2009 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर लोक–सुनवाई की प्रक्रिया अपनायी जानी आवश्यक है। लोक– सुनवाई में लगभग 1600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित निर्धारित अवधि में लिखित रूप **में 01 सुझाव/शिकायत** इस कार्यालय में दिनांक–11.04.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त हुआ है **(छायाप्रति संलग्न)**। तदोपरान्त् प्रतिनिधि, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा परियोजना का विस्तृत विवरण पर्यावरणीय संरक्षण एवं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात परियोजना प्रतिनिधि, श्री आर०एन० शुक्ला द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित अपर जिला अधिकारी, मिर्जापुर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों/सदस्यों तथा जन सामान्य का स्वागत किया गया तथा बताया गया कि **मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड** के **प्रस्तावित 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट** की स्थापना के लिए परियोजना है। उक्त परियोजना की स्थापना सम्बन्धी पर्यावरण प्रभाव आंकलन के अध्ययन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टर्म ऑफ रिफरेन्सेज (टी०ओ०आर०) स्वीकृति पत्रांक दिनांक–29.07.2024 द्वारा प्रदान की गयी।

अनुमोदित टी०ओ०आर० की शर्तो के अनुसार परियोजना स्थल के 10 कि०मी० की परिधि क्षेत्र में भौतिक, जैविक एवं सामाजिक–आर्थिक पर्यावरणीय आधारभूत सम्बन्धी अध्ययन माह–अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के मध्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पर्यावरण सलाहकार मेसर्स गौरांग एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कराया गया एवं ड्राफ्ट ई०आई०ए० रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाकर लोक–सुनवाई हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक–10.02.2025 को प्रेषित किया गया था। परियोजना के प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सम्बंध में विस्तृत विवरण उपस्थित जन–समूह को अवगत कराया गया है, जो निम्नवत् है:–

"मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड (एपीएल) विविधीकृत अडानी समूह की एक प्रमुख कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर उत्पादक कंपनी है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 17,510 मेगावाट है। ए०पी०एल० गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में थर्मल पावर प्लांट का संचालन कर रही है।

<u>परियोजना की पृष्ठिभूमि</u>

मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड ने दादरी खुर्द गांव, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में 1600 **(2X800)** मेगावाट की कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी थर्मल पावर परियोजना (यूएससीटीपीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

इससे पहले, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा फाइल संख्या जे–13012/12/2011–आईए.II(टी) दिनांक 21.08.2014 के तहत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड को 1320 (2x660) मेगावाट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई थी तत्पश्चात, पत्र संख्या एफ० सं० जे–13012/12/2011–आईए II(टी) दिनांक 20.12.2019 द्वारा नाम परिवर्तित कर **मेसर्स मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड** कर दिया गया। यूपी०पी०सी०बी० ने दिनांक 13.01.2015 को स्थापना की सहमति (सी०टी०ई०) भी प्रदान की थी। अब प्रस्ताव 2x660 मेगावाट से बदलकर **2X800** मेगावाट कर दिया गया है।

<u>लोक सुनवाई का उद्देश्यः–</u>

- प्रस्तावित परियोजना या गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित सुझाव/आपत्ति/आपेक्ष को स्थानीय लोगों एवं अन्य हितधारकों के साथ विचार करना और उनका समाधान करना

एवं संबंधित मुद्दों, सुविधाओं, संभावनाओं, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ और प्रभावों पर स्थानीय जनता के सुझावों के लिए एक मंच प्रदान करना।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

- प्रस्तावित परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता **2X800** मेगावाट परियोजना का निर्माण ग्राम दादरी खुर्द, तहसील मिर्जापुर सदर, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है।
- यह परियोजना विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत में सबसे बड़ी स्थापित परियोजना में से एक है।
- परियोजना के लिए पानी की आवश्यकता गंगा नदी से ऊपरी खजूरी बांध तक तथा ऊपरी खजूरी बांध से संयंत्र स्थल तक पाइपलाइन के माध्यम से पूरी की जाएगी।
- यह संयंत्र शून्य तरल निर्वहन (ZLD) पर आधारित है।
- प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु कुल–365.19 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित परियोजना के निर्माण चरण में लगभग 7500 कामगारों की आवश्यकता होगी, जिससे से स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार, स्वरोजगार एवं व्यवसाय के अवसर प्राप्त होंगे।
- परियोजना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जैसी बुनियादी सुविधाओं में स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा, जिससे परियोजना क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

परियोजना से लाभः–

उपलब्ध भौतिक अवसंरचना (जैसे संपर्क मार्ग, जल निकासी, संचार और परिवहन सुविधाएं आदि) और सामाजिक संरचना (जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली) में सुधार। परियोजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्र में सहायक और लघु उद्योगों का विकास। आस–पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। सीएसआर गतिविधियों/कार्यक्रमों के तहत आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जाएगा जो कंपनी अधिनियम के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद होगा। नए स्कूल और दुकानें खोलने जैसे अन्य विकास हो सकते हैं। ये अध्ययन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। इससे राज्य के साथ–साथ भारत में भी बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा, जो आर्थिक विकास के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण चरण में पर्यावरण एवं सामाजिक परिवेश पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना, वनीकरण योजना, जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन योजना, मत्स्य विकास योजना, भूमिहीन और निर्माण स्थलों की पुनर्स्थापना, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली, ऊर्जा संरक्षण उपाय, श्रमिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन योजना, ग्रीन बेल्ट विकास योजना, आपदा प्रबंधन योजना, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण योजना, वायु जल और ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण योजना, स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना एवं पर्यावरण मॉनिटरिंग कार्यक्रम के प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन आदि प्रस्तावित की गयी है।

तत्पश्चात उपस्थित जन सामान्य को परियोजना प्रतिनिधि श्री आर एन शुक्ला, प्रमुख, पर्यावरण और वन द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) के मद में **कुल रुपये 3012.39 करोड़** प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय विकास योजना (CER) में बुनियादी सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत **रू 45.75 करोड़** व्यय किया जाना प्रस्तावित है।"

तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने उपस्थित जन–सामान्य को सुझाव/आपत्ति/आक्षेप प्रकट करने हेतु आमंत्रित किया गया। लोक–सुनवाई के दौरान जन–सामान्य से निम्नलिखित मौखिक सुझाव/आपत्ति/आक्षेप के अतिरिक्त लिखित रूप से कुल 53 समर्थन पत्र MTEUPPL के पक्ष में प्राप्त हुए है, जो संलग्न है। सम्पूर्ण जन सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई है जो संलग्न है।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने उपस्थित जन–सामान्य को सुझाव/आपत्ति प्रकट करने हेतु आमन्त्रित किया गया। उपस्थित जन–सामान्य द्वारा प्रस्तुत सुझाव/आपत्ति का विवरण निम्नवत है:–

क्र सं	व्यक्ति का नाम एवं पता	सुझाव/आपत्ति/टिप्पणी
1.	श्री महेंद्र सिंह, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➢हमारे माननीय प्रधान मंत्री कहते हैं कि जब कोई बड़ी कंपनी किसी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का निर्णय लेती है, तो सबसे पहले उस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हैं। यहां जो उद्योग स्थापित किया जाएगा, वह लोगों को किसी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए और यह बहुत अच्छा होगा यदि यह बताया जाए कि स्थानीय लोगों को कितना प्रतिशत रोजगार दिया जाएगा।
2.	श्री बाबूराम यादव, ददरा पहाड़ी, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➢मैं इस जनसुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं कंपनी प्रतिनिधियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ; पहले सोनभद्र में एक पावर प्लांट स्थापित किया गया था, लेकिन उसकी बिजली का लाभ सोनभद्र के लोगों को, विशेष रूप से मिर्ज़ापुर और विंध्याचल के लोगों को नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया यह स्पष्ट करें कि उत्पन्न की जाने वाली बिजली का कितना प्रतिशत मिर्ज़ापुर को वितरित किया जाएगा। साथ ही, कृपया यह भी बताएं कि मिर्ज़ापुर के स्थानीय निवासियों को कितना रोजगार प्रदान किया जाएगा। मैं इस परियोजना का समर्थन करता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी क्षमता की परियोजना की स्थापना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है।
3.	श्री नंदन यादव, ददरा पहाड़ी, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➢हम अपने क्षेत्र में विकास देखना चाहते हैं। और यह परियोजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हम यह भी आशा करते हैं कि स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, और यह पावर प्लांट आसपास के स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के सुधार में योगदान देगा।
4.	श्री दीनदयाल सिंह (एनटीपीसी रिटायर्ड), मड़िहान, जनपद–	➢मै अदानी समूह द्वारा किए गए सीएसआर कार्यो की सराहना करता हूँ। पीने के पानी की समस्या के

	मिर्जापुर	समाधान के लिए एक बोरवेल स्थापित किया जाना चाहिए।
5.	श्री दिनेश कुमार पटेल, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➤ परियोजना की जल आवश्यकता की पूर्ति गंगा नदी से जल लेकर की जाएगी। हालांकि, इससे किसानों के लिए जल की कमी हो सकती है, जो क्षेत्र में कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।
6.	श्रीमती रिंकू देवी, देवरीकला, मड़िहान, जनपद–मिर्जापुर।	➤ मैं इस परियोजना के लिए अदानी समूह का समर्थन करती हूँ क्योंकि वे शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का विकास भी शामिल है।
7.	श्री हरि शंकर पटेल, मड़िहान, मिर्जापुर।	➤ मैं इस परियोजना का समर्थन करता हूं क्योंकि यह बिजली उत्पन्न करेगी, जो क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। पहले यहां एक सीमेंट फैक्ट्री चालू थी, लेकिन अब वह बंद हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों का कुल रोजगार कोई प्रमुख स्रोत नहीं बचा है। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 1.6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। शेष भूमि पहाड़ी, वन क्षेत्र या आबादी वाला क्षेत्र है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार, औद्योगिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस परियोजना के लिए चयनित भूमि गैर-कृषि है, इसलिए हम इस परियोजना का खुले दिल से स्वागत करते हैं। ➤ मिर्जापुर, देश की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बन रहा है, और इस विद्युत संयंत्र की स्थापना इस क्षेत्र के लिए एक आशीर्वाद के रूप में देखी जा सकती है। मिर्जापुर के लोगों को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर जब जिले की जनसंख्या 30 लाख से अधिक हो चुकी है। ➤ मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं – जब इस परियोजना के लिए खजुरी डैम से पानी की आवश्यकता होगी, तब तो पानी छोड़ा ही जाएगा, लेकिन अन्य समयों में भी इसे छोड़ा जाना चाहिए, जिससे स्थानीय लोग इस जल संसाधन का बेहतर उपयोग कर सकें।
8.	श्रीमती राम दुलारी (दादरी खुर्द), मड़िहान, मिर्जापुर।	➤ मैं इस पावर प्लांट परियोजना का समर्थन करती हूं और केवल यही अनुरोध करती हूँ कि स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जाए।
9.	श्री बैजनाथ प्रजापति, मड़िहान, मिर्जापुर।	➤ यह परियोजना मिर्जापुर के विकास में योगदान देगी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

10.	श्री पुष्पांजलि देवी, देवरी कलॉ, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ मैं अदानी पावर प्लांट परियोजना का समर्थन करता हूं क्योंकि यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना शिक्षा प्रणाली में सुधार और सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाने सहित कई अन्य लाभों में भी योगदान देगी।
11.	श्री प्रवीण कुमार पांडे, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या है। यदि यह समूह स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है, तो यह युवाओं को अपने गांवों में ही रहने और एक स्थिर व शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
12.	श्री मनीष कुमार सिंह, पटेहरा कला, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ मैं अदानी पावर लिमिटेड का समर्थन करता हूँ, क्योंकि अदानी पावर प्लांट स्थानीय समुदाय के लिए सराहनीय कल्याणकारी कार्य कर रहा है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है।
13.	श्रीमती रुकमणी, मड़िहान, मिर्जापुर।	➢ मैं अदानी पावर लिमिटेड का समर्थन करती हूँ।
14.	श्री अनिल कुमार सिंह (प्रिंसिपल शान्ति निकेतन स्कूल , गोडहोडरा)	➢ मैं इस परियोजना का वास्तव में सराहना करता हूँ। मैं पिछले 27 वर्षों से कार्यरत हूँ, और इस दौरान किसी भी निजी संस्था ने स्कूलों में एक नल तक नहीं लगाया। इसके विपरीत, इस समूह ने 40–50 स्कूलों में सोलर पैनल लगाए हैं, कॉलेजों में नवीनीकरण का कार्य किया है और खेल गतिविधियों के लिए क्रिकेट नेट प्रैक्टिस ग्राउंड भी प्रदान किया है। ➢ इस समूह ने खेल, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी मेडिकल वैन सेवा वर्तमान में चालू है, और मैं चाहता हूं कि यह सेवा निरंतर चलती रहे। ➢ कुछ लोगों का मानना है कि जब यह प्लांट स्थापित हो जाएगा, तो सभी कल्याणकारी कार्य बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आधुनिक तकनीक के कारण इस परियोजना से प्रदूषण नहीं होगा। उचित तरीके से वृक्षारोपण किया जाएगा और राख के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली जाएगा।

तत्पश्चात् मा० विधायक मड़िहान, श्री रमा शंकर सिंह पटेल द्वारा बताया गया कि लोग भाग्यशाली हैं कि मिर्जापुर जनपद में उत्तर प्रदेश की स्थिति कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 18300 करोड़ का इन्वेस्ट मिर्जापुर में हो रहा है और हमारे बगल में हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। यहाँ रोजगार करने के लिए थर्मल पावर 1600 मेगावॉट का लगा रहे हैं। इस प्लांट के लगने से हमने बताया कि लोगों को रोजगार मिलेगा।

जन सामान्य को परियोजना प्रतिनिधि श्री अभिषेक गौतम, मेसर्स गौरांग एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित पड़ोसी क्षेत्रों के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। 30 सितंबर, 2020 और 20 अक्टूबर, 2020 के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई

दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों के आधार पर सामाजिक–आर्थिक विकासात्मक गतिविधियाँ तैयार की जाएंगी, जिन्हें पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में संबोधित किया जाएगा और परियोजना के चालू होने के साथ समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

तत्पश्चात् अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर द्वारा लोक सुनवाई में अपने सुझावों को व्यक्त करने हेतु जन प्रतिनिधियों एवं उपस्थित जन सामान्य का आभार व्यक्त करते हुए बताया गया कि यह लोक–सुनवाई की कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित लोगों की आपत्ति/सुझाव को लिखित रूप से दर्ज कर सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जाना है। इस लोक सुनवाई में उपस्थित आम जनमानस द्वारा अपनी–अपनी सुझावों/आक्षेप से अवगत कराया गया। जन–मानस द्वारा जो भी सुझाव/आपत्ति/टिप्पणी रखे गये हैं, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, आपके द्वारा रखे गये विचार रिकार्ड किये गये हैं। उन्हें लिपिबद्ध कर वीडियो रिकार्डिंग के साथ उच्च स्तर पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्रेषित किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर द्वारा उम्मीद की गयी की जन सामान्य द्वारा परियोजना के विकास हेतु परियोजना प्रस्तावक का सहयोग करेगें तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थानीय लोगों की मांगो एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर द्वारा परियोजना प्रतिनिधि से कहा गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करें तथा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओ के विकास हेतु कार्य किये जाये।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा सभी उपस्थित जन–सामान्य को धन्यवाद करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि0–राजस्व), मिर्जापुर की अनुमति से लोक सुनेवाई की कार्यवाही पूर्ण करने की घोषणा की गयी।

11/4/25
(आर0के0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–सोनभद्र

11.04.025
(एस0पी0 शुक्ला)
अपर जिलाधिकारी
(वि0–राजस्व),
जनपद–मिर्जापुर

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन अपील नं0–79/2014 (ई0ए0 नं0–364/2024) देबादित्यो सिन्हा बनाम मीरजापुर एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–16.08.2024 प्रकरण मेसर्स वेल्स्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध विचाराधीन वाद के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्या:–

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन अपील नं0–79/2014 (ई0ए0 नं0–364/2024) देबादित्यो सिन्हा बनाम मीरजापुर एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–16.08.2024 प्रकरण मेसर्स वेल्स्पन एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर प्रकरण में आच्छादित है। उद्योग स्थल का अद्यतन निरीक्षण दिनांक–25.11.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री अटल पारिख, सिविल हेड उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. उक्त उद्योग ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। उद्योग का जिओ को–आर्डिनेट्स **24.980408**–अक्षांश एवं **82.664966**–देशान्तर है। निरीक्षण के समय उद्योग में प्रीकास्ट बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य एवं भूमि की लेबलिंग का कार्य प्रगति पर पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य अडानी थर्मल एनर्जी पॉवर प्लाण्ट द्वारा कराया जा रहा है।
2. उद्योग मेसर्स वेल्स्पन एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर के 2x660(1320) मेगावॉट कोयले पर आधारित तापीय विद्युत परियोजना के स्थापनार्थ दिनांक–07.04.2012 को ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर उ0प्र0 में 'लोक सुनवाई' आयोजित की गयी थी। 'लोक सुनवाई' के कार्यवाही का विवरण कार्यालय के पत्रांक–1866/वेल्स्पन/लोक सुनवाई/2012 दिनांक–10.04.2012 के द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी **(छायाप्रति संलग्न)**। कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है।
3. निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है:–

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

26/11/2024	26/11/2024
(मनोज कुमार)	(सुशील कुमार)
फील्ड अटेन्डेन्ट	**सहायक वैज्ञानिक अधिकारी**

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

26.11.24
RO

ANNEXURE-5

क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

संदर्भ संख्या:–
Ref.No.: G1054/Welpsun/P.H./2024

दिनांक:–
Date: 30.11.2024

सेवा में,

मे0 अडानी थर्मल एनर्जी पॉवर प्लाण्ट,
ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर
(पूर्वनाम–मे0 वेल्सपन एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लिमिटेड थर्मल पॉवर प्लाण्ट,
ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर,
जनपद–मीरजापुर।

विषयः– राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना मे0 अडानी थर्मल एनर्जी पॉवर प्लाण्ट, ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर (पूर्वनाम–मे0 वेल्सपन एनर्जी (यू0पी0) प्रा0लि0 थर्मल पॉवर प्लाण्ट, ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर द्वारा निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके उद्योग स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक–25.11.2024 को किया गया।

निरीक्षण के समय उक्त उद्योग ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। उद्योग का जिओ को–आर्डिनेट्स 24.980408–अक्षांश एवं 82.664966–देशान्तर है। निरीक्षण के समय उद्योग स्थल पर पर प्रीकास्ट बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य एवं समतलीकरण का कार्य प्रगति पर पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य अडानी थर्मल एनर्जी पॉवर प्लाण्ट द्वारा कराया जा रहा है।

आप द्वारा मे0 अडानी थर्मल एनर्जी पॉवर प्लाण्ट, ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर (पूर्वनाम–मे0 वेल्सपन एनर्जी (यू0पी0) प्राइवेट लिमिटेड थर्मल पॉवर प्लाण्ट, ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर का स्थापना राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ पूर्व अनापत्ति प्राप्त किये बिना किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त उद्योग की स्थापना राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना अनुमन्य नहीं है एवं उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 07 दिवस के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि दशा में पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत आपके विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्यवाही एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि:– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

ANNEXURE-6

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 883/2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "EXPERTS FLAG LARGE-SCALE CLEARING OF VEGETATION IN MIRZAPUR FOREST" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 03.07.2024

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	TRUE COPY OF THE LETTER DATED 18.03.2025 ALONG WITH COMPLIANCE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE:21.05.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 883/2024

NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "EXPERTS FLAG LARGE-SCALE CLEARING OF VEGETATION IN MIRZAPUR FOREST" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 03.07.2024

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I MANEESH MITTAL, aged about 45 years, S/o Shri RAM AUTAR MITTAL posted as Chief Conservator of Forests, Mirzapur, State of U.P., do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. That by virtue of the authorization letter dated 18.03.2025, the undersigned has been duly empowered to file the present affidavit on behalf of the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department State of Uttar Pradesh. The submissions set forth herein are solely made in accordance with the instructions dated 05.02.2025, as provided by the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, State of

Uttar Pradesh, pursuant to the aforementioned authorization letter dated 18.03.2025.

True copy of letter dated 18.03.2025 along with compliance report is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

I. **DIRECTIONS OF THE HON'BLE TRIBUNAL**

2. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 23.07.2024 directed the Respondent No. 1 to file their response to the issues raised in the present Original Application. The relevant paragraph of the order is as stated below:

> *"...10. Hence, we implead following as respondents in this matter:*
>
> *(i) Principal Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, 17, RanaPratapMarg, Lucknow, (Uttar Pradesh)- 226001*
>
> *(ii) Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh, 17, RanaPratapMarg, Lucknow 226001, Uttar Pradesh*
>
> *(iii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, KendriyaBhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020*
>
> *(iv) District Magistrate, Mirzapur, Rambagh Rd, Ramaipatti, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001*
>
> *11. Issue notice to the above Respondents for filing their response*

NOTARY GOVT. OF INDIA

atleast one week before the next date of hearing..."

3. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's Order dated 23.07.2024, the following submissions are made as per the instructions provided by the Respondent No.1 Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, State of U.P.

II. ACTIONS TAKEN PURSUANT TO ORDER DATED 23.07.2024

4. That the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow, in compliance with the order dated 23.07.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, constituted a committee via letter dated 25.10.2024.

5. That the committee held its final meeting and submitted a detailed report (Annexure-A of ANNEXURE-1) on 02.01.2025 to the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow.

6. Based on the Hon'ble NGT order dated 23.07.2024 and the committee constituted by the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow vide order dated 25.10.2024, the conclusions as mentioned in letter dated 5.02.2025 are as follows:

   i. With respect to Para-2 of the Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, based on the committee's report, it has been concluded that no land has

NOTARY ... OF INDIA

been identified as "Forest Like Area" by the district-level committee constituted as per government directives in Village DadariKhurd under Madihan Range of District Mirzapur. Further, in the proposed project by Mirzapur Thermal Energy U.P. Pvt. Ltd. in Village DadariKhurd, out of the total area of 262.16 acres notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, an area of 1.63 hectares is proposed for non-forestry purposes for access road and pipeline. The proposal for this is under due process for approval under the Forest (Conservation) Act, 1980.

ii. The committee in its report dated 02.01.2025 has stated the following with respect to Notification No. 617/XIV dated 11.10.1952:

"In compliance with the letter No. 1705/81-2-2019-800(64)/2016 dated 26.08.2019 from the Special Secretary, U.P. Government, Environment, Forest and Climate Change Section-2, Lucknow (Annexure-4), the District Magistrate, Mirzapur constituted a joint team of the Revenue Department and the Forest Department and was required to provide a clear report along with relevant records. Accordingly, a joint inspection report dated 28.02.2024, provided via District Magistrate's Letter No. 1916/Zi.Bhu.Vya.Li-2023/Thermal AUP Pvt. Ltd. dated 29 February 2024, was examined. It was clarified that all land (264.88 acres) available in Village DadariKhurd under Schedule-2 of Government Order No.

617/XIV dated 11.10.1952 was handed over to the Forest Department. The remaining land could not be handed over at that time as it was not available and is currently also not possible to be handed over. Hence, other parcels of land, including land purchased by Welspun, are not in the form of deemed forest and are not covered as forest." ***(Annexure-4 Page 43-46)***

iii. The District Magistrate, Mirzapur, in his report dated 29.02.2024 (Annexure-7), has clearly stated that in the forest department's Gazette Notification No. 617 dated 11.10.1952, for Village DadariKhurd of District Mirzapur, at page number 1225, Serial Nos: 244 and 248, an area of 800 and 843 acres respectively was recorded. However, in the revenue records (Khasra year 1359 Fasli, i.e., 1952), the total area of the said village is 1209.562 acres. ***(Annexure-7 Page 51-57)***

Therefore, it is evidently proven from the revenue records that the total area of forest land mentioned in the 1952 notification (1643 acres) is erroneous, as under no circumstances can it exceed the total village area of 1209.562 acres.

iv. It is also noteworthy that Notification No. 5564/XIV dated 27 December 1955 under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, was issued for 800 acres of land in Village DadariKhurd. This was subsequently partially revised vide Notification No. 23(2)36(b)/14-1-67 dated 24 July 1967.

under which 264.88 acres (423 Bigha 12 Biswa) of land was notified under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927.In line with this, Notification No. 4646/14-2-20(41)-77 dated 20.07.1977 was issued under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, declaring 6 plots—01 Mi, 24 Mi, 73/1, 74 Mi, 184, and 185—with a total area of 419 Bigha 09 Biswa(i.e., 262.29 acres) as reserved forest, which is duly recorded in the current Khatauni (land records).

In compliance with the letter dated 26.08.2019 (Annexure-4) from the Special Secretary, U.P. Government, Environment, Forest and Climate Change Section-2, the joint inspection report sent by the District Magistrate, Mirzapur, dated 29.02.2024 (Annexure-7), has confirmed that the land purchased by Welspun does not include any deemed forest. This report was forwarded by the Divisional Forest Officer, Mirzapur through his letter dated 02 March 2024 to the Special Secretary, U.P. Government, Environment, Forest and Climate Change Section-2, with copies sent to the Additional Chief Secretary, U.P. Government, Lucknow, and Chief Conservator of Forests/Nodal Forest Officer, U.P., Lucknow, in reference to Letter No. 398/11-C-FT/UP/Thermal/14236/2015 dated 27.08.2019.

NOTARY GOVT. OF INDIA

v. In compliance with the Government of U.P. letter dated 26.08.2019 (Annexure-4), the District Magistrate, Mirzapur / Revenue Department (Regarding Land Issues: Custodian Government / Revenue Department) has explicitly stated that the land purchased by Welspun does not include any deemed forest. Hence, the joint inspection report referred to in District Magistrate, Mirzapur's letter dated 29.02.2024 (Annexure-7) regarding notification no-617, appears.

7. That vide letter dated 15.01.2025, the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow, sought a report from the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Lucknow, on points 4, 5, 6, and 7 of the order dated 23.07.2024 issued by the Hon'ble Tribunal. The Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow submitted the report vide letter dated 03.02.2025 (Annexure-B), from which the conclusions are as follows:

i. **PARA 4**

"...4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem.

NOTARY K. Yadav Regd. No. 423 GOVT. OF INDIA

This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory..."

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that *"Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife)"* was conditionally approved by letter dated 15.10.2014.

ii. **PARA 5**

"...5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with

Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in DebadityoSinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP)..."

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that environmental clearance procedures are beyond the jurisdiction of the Forest Department. Hence, no comments are required on this point.

iii. **PARA 6**

"...6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important

NOTARY GOVT. OF INDIA

for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site…"

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that the project site at Village DadariKhurd, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur is situated adjoining Danti Reserved Forest (south), Sukhmaai Reserved Forest (north), and Dadhiram Reserved Forest (east). Hence, the presence of wildlife in the vicinity is natural. However, no specific wildlife population data is maintained for the particular location.

iv. **PARA 7**

"…7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980…"

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that No deforestation or non-forestry activity has been verified within the Reserved Forest area.

8. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

9. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the approved instructions dated 05.02.2025 and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at **NOIDA** on this 21st day of MAY, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA K.P. Yadav Regd. No. 123

ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC

21 MAY 2025

अतिमहत्वपूर्ण/नियत तिथि 21.03.2025/ई-मेल द्वारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक-को0के0 2728 /6ई-2(NGT) ,लखनऊ, दिनांक, मार्च, 18-, 2025.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर मण्डल,
मीरजापुर।

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

PRIORITY COURT CASE PRIORITY

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News item Titled "Experts Flags Large-scale clearing of vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times Dated 03.07.2024** के सम्बन्ध में।

संदर्भ- 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का शासकीय पत्र-एन0जी0टी0 39/81-2-2025, दिनांक 18.03.2025.

2. इस कार्यालय के पत्र-को0के0 2354/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 06.02.2025 एवं पत्र को0के0 2707/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 17.03.2025 (जो शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है).

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2025 द्वारा निम्न निर्देश प्राप्त हुए है, जिसका प्रभावी अंश निम्न है:-

"............2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र **दिनांक** 06.02.2025 एवं **दिनांक 17.03.2025** के क्रम में प्रस्तावित शपथ-पत्र हेतु उल्लिखित बिन्दुवार आख्या पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **अनुमति प्रदान की जाती** है:-

(क) विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा बिन्दुवार आख्या में अंकित तथ्यों को पुनः मूल अभिलेखों से मिलान करा लिया जायेगा तथा शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुए मा0 न्यायाधिकरण में समयान्तर्गत प्रतिशपथ-पत्र आदि दाखिल कराकर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जायेगी तथा मा0 न्यायाधिकरण से पारित आदेशों से, कार्यवाही प्रस्ताव सहित शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

(ख) विज्ञप्ति संख्या-617/XIV दिनांक 11.10.1952 को यदि त्रुटिपुर्ण पाया जाए तो उसके संशोधन में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।......"

अतः उक्त विषयक प्रकरण में आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

i- उक्त वर्णित शासकीय आदेश के बिन्दु-2(क) में उल्लिखित पत्र **दि0 06.02.2025** एवं दि0 **17.03.2025** (पी0डी0एफ0 प्रति ई-मेल पर पुनः प्रेषित) के अनुपालन में आप तत्काल वाद में आबद्ध श्री भवतपाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 से समन्वय स्थापित कर अधोहस्ताक्षरी की ओर से प्रति शपथ-पत्र दि0 21.03.2025 से पूर्व दायर करना सुनिश्चित करें व मा0 न्यायालय में आबद्ध अधिवक्ताओं को ब्रिफ करते हुए सुनवाई के समय सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके सहयोगार्थ उपस्थित रहे तथा कृत कार्यवाही से संसूचित करें।

ii- उक्त वर्णित शासकीय पत्र के पैरा-2(ख) पर वांछित अग्रेत्तर कार्यवाही के जो निर्देश प्राप्त हुए है इस सम्बन्ध में आपके पत्र 2672/मी0क्षे0/10रिट, दिनांक 17.03.2025 पर मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वांछित अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण है एवं शासन की प्राथमिकता में है। अतः इसमें आपका व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण एवं त्वरित कार्यवाही उक्त बिन्दु-i एवं ii पर तदनुसार की जाए।

संलग्नक-1. शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2025।
2. को0के0 2354/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 06.02.2025.
3. को0के0 2707/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 17.03.2025.

18/3/25

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

संख्या–2720/(1) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को संदर्भित पत्र दिनांक 18.03.2025 के क्रम में दिये गये निर्देश पर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री भंवरपाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 को संदर्भित शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2025 को संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र में उल्लिखित संदर्भित पत्र को0के0 2354/6ई–2 (एन0जी0टी0), दि0 05.02.2025 एवं पत्र को0के0 2707/6ई–2 (एन0जी0टी0), दि0 17.03.2025 को ई–मेल के माध्यम से आपको प्रेषित है।

इस सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर को उक्तानुसार दिये गये निर्देश की वह आपसे व्यक्तिगत समन्वय कर ब्रिफिंग करें एवं अधोहस्ताक्षरी की ओर से (मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर) को प्रति शपथ–पत्र मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। वाद **दिनांक 21.03.2025** को नियत है।

(सुनील [illegible])
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

संख्या–2720/(2) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र 2054/10–1(कोर्टकेस), दि0 03.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र 187/एन0जी0टी0, दि0 09.01.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनील [illegible])
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

संख्या–2720/(3) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र शासकीय पत्रांक–एन0जी0टी0 39/81–2–2025, दिनांक 18.03.2025 (स्कैन प्रति ई–मेल पर) के बिन्दु–2(ख) पर दिये गये निर्देश पर समुचित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम–1980 (यथा संशोधित), उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र शासकीय पत्रांक–एन0जी0टी0 39/81–2–2025, दिनांक 18.03.2025 (स्कैन प्रति ई–मेल पर) के बिन्दु–2 (ख) पर दिये गये निर्देश पर समुचित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

(सुनील [illegible])
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

कोर्टकेस/समयबद्ध
संख्या-एन.जी.टी.39/81-2-2025

प्रेषक,
शैलेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश (कोर्ट केस)
रजि0 नं0 427
शाखा C.O.N.G.T
दिनांक 18/3/2024

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18-03-2025

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-को0के0-2354/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 05.02.2025 एवं पत्रांक-को0के0-2707/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 17.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ओ0ए0 संख्या-883/2024 में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के क्रम में प्रस्तावित शपथ-पत्र हेतु बिन्दुवार आख्या पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.02.2025 एवं दिनांक 17.03.2025 के क्रम में प्रस्तावित शपथ-पत्र हेतु उल्लिखित बिन्दुवार आख्या पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

(क)- विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा बिन्दुवार आख्या में अंकित तथ्यों को पुनः मूल अभिलेखों से मिलान करा लिया जायेगा तथा शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुये मा० न्यायाधिकरण में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल कराकर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जायेगी तथा मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों से, कार्यवाही प्रस्ताव सहित शासन को समय- समय पर अवगत कराया जायेगा।

(ख)- विज्ञप्ति संख्या-617/XIV, दिनांक 11.10.1952 को यदि त्रुटिपूर्ण पाया जाए तो उसके संशोधन के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत वाद में उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

C.O.N.G.T
18.03.2025
DFO(C)
18.03.25

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

Signed by
Shailendra Kumar
Date: 18-03-2025 20:51:06

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,
(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

ई-मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–को0के0-2354/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक, लखनऊ, फरवरी 05, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024.**

संदर्भः मा0 एन0जी0टी0 का आदेश दि0 23.07.2024 (स्कैन प्रति ई-मेल पर)।

महोदय,

विषयगत प्रकरण मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दि0 23.07.2024 में जो मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ग्राम–ददरी खुर्द में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वनस्पतियों की सफाई/वन भूमि पर वनों की कटाई/सड़क–मार्ग सहित/अन्य निर्माण कार्य आदि बिन्दुओं पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 से रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी है।

2. तत्क्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1426/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25.10.2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, तथा वन्यजीव से सम्बन्धित विषयों पर मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 पर इस कार्यालय के पत्रांक–2191/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 15.01.2025 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 से आख्या मांगी गयी थी जो द्वय आख्या **(संलग्नक–अ एवं संलग्नक–ब)** संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

अतः शासन से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 (इण्टरनेट प्रति संलग्न) के अनुपालन में उक्त संलग्न प्रस्तर–2 पर की गयी कार्यवाही के क्रम में तद्नुसार संलग्न प्रस्तावित शपथ–पत्र की आख्या **(संलग्नक–स)** का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें **ताकि मा0 एन0जी0टी0 में नियत तिथि दि0 19.02.2025 से पूर्व दाखिल किया जा सके।**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2354/(1)तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन से परस्पर समन्वय कर तद्नुसार संलग्न प्रस्तावित शपथ–पत्र की आख्या **(संलग्नक–स)** पर शासन से अनुमोदन कराना सुनिश्चित करें एवं अधोहस्ताक्षरी की ओर से निर्धारित तिथि 19.02.2025 से पूर्व हस्ताक्षरोपरान्त दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

(संलग्नक–स)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के कम में आख्या–

1. मा0 न्यायाधिकरण के द्वारा दिनांक 23.07.2024 को आदेश पारित किया गया है, जो निम्नवत् है–

"..... 2.The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.

3. The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.

4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory.

5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP).

6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site. 3

7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980...."

2. उक्त प्रकरण मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ग्राम–ददरी खुर्द में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वनस्पतियों की सफाई/वन भूमि से वनों की कटाई एवं छटाई/सड़क–मार्ग सहित अन्य निर्माण कार्य आदि बिन्दुओं पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की गयी है।

3. उक्त के क्रम में–

(अ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दि0 23.07.2024 पर अपने कार्यालय के पत्रांक–1426/ 6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से समिति का गठन किया गया, जिस पर समिति द्वारा अंतिम बैठक कर दि0 02.01.2025 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को विस्तृत रिपोर्ट **(संलग्नक–अ)** प्रस्तुत की गयी। **(रिपोर्ट की प्रति संलग्न– (अ) है।**

(ब) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2191/6ई–2–एन0जी0टी0 दिनांक 15.01.2025 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), लखनऊ से मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु संख्या–4,5,6 व 7 पर आख्या मांगी

गयी थी, जिसके अनुपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), लखनऊ अपने कार्यालय के पत्रांक 2054/10-1(कोर्ट केस) दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से रिपोर्ट उपलब्ध करायी है। (रिपोर्ट की प्रति संलग्न- (ब) है।)

1- मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दि0 23.07.2024 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा गठित समिति दि0 25.10.2024 पर निष्कर्ष निम्नवत् है-

(अ) मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दि0 23.07.2024 के प्रस्तर-2 पर समिति की उक्त रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष पाया जाता है कि जनपद मीरजापुर के मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में शासकीय निर्देशों के क्रम में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्र" के रूप में कोई भी भूमि चिन्हित नहीं है। साथ ही मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना में ग्राम ददरी खुर्द में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 से आच्छादित भूमि कुल 262.16 एकड़ मे से 1.63 हे0 भाग पहुँचमार्ग एवं पाइपलाइन के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। इसकी विधिवत् अनुमति हेतु वन संरक्षण एवं संर्वधन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(ब) समिति द्वारा अपने रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 में विज्ञप्ति संख्या-617/XIV दिनांक 11.10.1952 के सम्बन्ध में निम्न रूप से उल्लेख किया है-"विज्ञप्ति संख्या- 617/XIV दिनांक 11.10.1952 के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 दि0 26.08.2019 **(संलग्नक-4)** के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। तत्क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर का पत्रांक-1916/जि0भू0व्य0 ली0-2023/थर्मल ए0यू0पी0प्रा0लि0 दिनांक 29 फरवरी, 2024 द्वारा प्रेषित संयुक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 का परीक्षण किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-617/XIV दिनांक 11.10.1952 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88 एकड़) वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भवन नही था एवं वर्तमान में भी सम्भवन नही है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है एवं वन से आच्छादित नही है।

(स) जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक-7)** के माध्यम से प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 11.10.1952 वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन सं0-617 में जिला मीरजापुर के ग्राम-ददरी खुर्द हेतु सूची के पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम सं0-244 व 248 पर ग्राम-ददरी खुर्द के सम्बन्ध में क्रमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। जबकि 1359 फसली खसरा (वर्ष 1952) में उक्त गॉव का कुल रकबा 1209.562 एकड़ है।

अतः राजस्व अभिलेख से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन में उल्लिखित वन भूमि का कुल रकबा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है यह किसी भी स्थिति में राजस्व ग्राम की कुल रकबा 1209.562 एकड़ से अधिक नही हो सकता।

(द) यह भी उल्लेखनीय है कि विज्ञप्ति सं0–5564/XIV दिनांक 27 दिसम्बर, 1955 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका पुनः आंशिक परिष्कार करते हुए विज्ञप्ति सं0–23(2)36(ब)/14–1–67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) भूमि का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसी के अनुरूप ही विज्ञप्ति सं0–4646/14–2–20(41)–77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटो–01 मि0, 24 मि0, 73/1, 74 मि0, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशित हुआ है जो वर्तमान खतौनी में दर्ज है।

विशेष सचिव उ0प्र0, शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 26.08.2019 **(संलग्नक–4)** के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक–7)** द्वारा प्रेषित संयुक्त जाँच रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है कि वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि में निहित वन सम्मिलित नहीं है। जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट को प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र दिनांक 02 मार्च, 2024 के माध्यम से विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 को सम्बोधित करते हुए प्रतिलिपि मय संलग्नक अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ व मुख्य वन संरक्षक/नोडल वन अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक 398/11–सी–एफटी/यू0पी0/थर्मल/14236/2015 लखनऊ दिनांक 27.08.2019 के क्रम में प्रेषित की गयी।

(च) उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 **(संलग्नक–4)** के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर कार्यालय/राजस्व विभाग (Regarding Land issues: Custodian Governemnt/Revenue Department) द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि में निहित वन सम्मिलित नही है। अतः विज्ञप्ति सं0–617 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक–7)** की संयुक्त रिपोर्ट प्रतीत है।

2– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दि0 23.07.2024 पर वन्यजीव से सम्बन्धित प्रस्तर–4, 5, 6 एवं 7 है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 2191/6ई–2–एन0जी0टी0 दिनांक 15.01.2025 द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट

पत्रांक–2054/10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब)** संलग्न कर प्रेषित पर निष्कर्ष निम्न है–

–पैरा–4 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक–2054/10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब) के अनुसार उल्लेख है कि** "प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 389/26–11(वेलेस्पन एनर्जी) दि0 15.10.2014 द्वारा Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (Includingwiblife) सशर्त अनुमोदित किया गया है।"

–पैरा–5 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक–2054/10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब) के अनुसार उल्लेख है कि** "पर्यावणीय अनुमति सम्बन्धित कार्यवाही से आच्छादित है, जो वन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।" अतः इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

–पैरा–6 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक–2054/10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब) के अनुसार उल्लेख है कि** "कथित कय की गयी परियोजना भूमि ग्राम दादरी खुर्द, तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर की सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन, उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढ़ीराम आरक्षित वन स्थित है। जिसमें वन्यजीवों का वास होना स्वभाविक है। परन्तु वन्यजीवों के स्थल विशेष सम्बन्धित कोई आकड़ें संधारित नहीं है।"

–पैरा–7 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक–2054/10–1(कोर्ट केस) दि0 03.02.2025 **(संलग्नक–ब) के अनुसार उल्लेख है कि** "..........आरक्षित वन क्षेत्रों से किसी प्रकार की कटान एवं गैर वानिकी की पुष्टि नहीं हुई है।"

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर तदनुसार संलग्न प्रस्तावित शपथ–पत्र की आख्या का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें जिससे मा0 एन0जी0टी0 में अधोहस्ताक्षरी की ओर से नियत तिथि दि0 19.02.2025 से पूर्व शपथ–पत्र दाखिल किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक: 187 /एन0जी0टी0 दिनांक:लखनऊ :जनवरी 09 2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक ... (कोर्ट केस)
पंजिका नं0 1849
शाखा C.O.N.G.T
दिनांक 15/01/2025

(420)

विषयः— माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0संख्या—883/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024

CCF(CC)

सन्दर्भः— आपके कार्यालय का कार्यालय आदेश संख्या—1426/6—ई—2एन0जी0टी0/दिनांक 25.10.2024

PCCF 10/01/25

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित कार्यालय आदेश द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय जाँच समिति का गठन करते हुए रिर्पाट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त गठित जांच समिति की रिर्पाट संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

COSC (NGT)

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)
अध्यक्ष,
जांच समिति/प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण एवं कार्ययोजना,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

13.01.2025
CCF(CC)/DFO(CC)
13.01.25

मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in** के सम्बन्ध में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लाखनऊ के पत्रसंख्या–1426/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से गठित समिति प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्ययोजना की अध्यक्षता में दिनांक 02.01.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	समिति
1	श्री के0 इलंगो मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त उ0प्र0	सदस्य
2	श्री नीरज कुमार मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास उ0प्र0	सदस्य
3	श्री बी0 प्रभाकर मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षण अधिनियम–1980 उ0प्र0	सदस्य
4	श्री मनीष मित्तल मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल मीरजापुर	सदस्य सचिव
श्री एन रविन्द्र मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर		(विशेष आमंत्री)

बैठक में समिति की सहायता हेतु श्री अरविंद राज मिश्रा प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग व श्री कपिल कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार–मिर्जापुर वन प्रभाग द्वारा अभिलेखों सहित उपस्थित रहे।

समिति द्वारा मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024** News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024के आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 23.07.2024 को सुनवाई के क्रम में पारित आदेश का अवलोकन किया, जो निम्नवत् है:–

1. This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in The Hindustan Times dated 03.07.2024.
2. The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.
3. The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.

4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory.
5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP).
6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originates right inside the project site.
7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980.
8. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.
9. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.
10. Hence, we implead following as respondents in this matter:
    (i) Principal Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (Uttar Pradesh)226001.
    (ii) Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow 226001, Uttar Pradesh.
    (iii) Ministry of Envieonment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020.
    (iv) District Magistrate, Mirzapur, Rambagh Rd, Ramaipatti, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001.

....

मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश में मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ग्राम–ददरी खुर्द में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा बड़े पैमाने पर वनस्पतियों की सफाई, वन भूमि से वनों की कटाई कर सड़क/मार्ग सहित अन्य निर्माण कार्य आदि बिन्दुओं पर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1426/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 द्वारा समिति का गठन किया गया, जिसकी बैठक दिनांक 29.11.2024 एवं दिनांक 02.01.2025 को योजित की गयी। बैठक में फिल्ड अभिलेखों को प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा सम्बन्धित सदस्यों द्वारा कार्यालय अभिलेखों का अवलोकन किया। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 में उल्लिखित किये गये तथ्यों पर गठित समिति द्वारा अभिलेखीय/विधिक/विधिक पहलुओं पर गहन परीक्षण किया, परीक्षणोपरान्त बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

(अ) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–3 मे उल्लिखित

"....The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects."

मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–3 में उल्लिखित तथ्य के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है –

जहां तक The Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 के अर्न्तगत प्रश्नगत प्रकरण को अधिनियम से आच्छादित होने का प्रश्न है, के संबंध में अवगत करना है कि the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 with Amendments made in 1988 and 2023 के अर्न्तगत धारा–1A में निम्नलिखित प्रावधान है–

1A. Act to cover certain land.—(1) The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—

(a) the land that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force;

(b) the land that is not covered under clause (a), but has been recorded in Government record as forest, as on or after the 25th October, 1980:

Provided that the provisions of this clause shall not apply to such land, which has been changed from forest use to use for non-forest purpose on or before the 12th December, 1996 in pursuance of an order, issued by any authority authorised by a State Government or an Union territory Administration in that behalf.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "Government record" means record held by Revenue Department or Forest Department of the State Government or Union territory Administration, or any authority, local body, community or council recognised by the State Government or Union territory Administration.

(2) The following categories of land shall not be covered under the provisions of this Act, namely:—

(a) such forest land situated alongside a rail line or a public road maintained by the Government, which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case;

(b) such tree, tree plantation or reafforestation raised on lands that are not specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1); and

(c) such forest land,—

(i) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the case may be, proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security; or

(ii) up to ten hectares, proposed to be used for construction of security related infrastructure; or (iii) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces or public utility projects, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed five hectares in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government.

(3) The exemption provided under sub-section (2) shall be subject to such terms and conditions, including the conditions of planting trees to compensate felling of trees undertaken on the lands, as the Central Government may, by guidelines, specify.

प्रश्नगत प्रकरण मीरजापुर यू0पी0 थर्मल एर्नजी प्रा0 लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के मड़िहान रेन्ज के अर्न्तगत ग्राम ददरी खुर्द में प्रस्तावित 1320 मेगावाट थर्मल एर्नजी प्लान्ट से संबंधित है। ग्राम ददरी खुर्द में वन भूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है:-

1. ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा-117 के अन्तर्गत दिनांकित 11 अक्टूबर, 1952 (संलग्नक-1) को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या-617 में जिला मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है –"इन In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act 1 of 1951), The Governor is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all lands whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in \any holding.......... and all forest within the village boundaries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, said subject to the exceptions shown in schedule and hereto, vest in Gaon Samaj established for the circle."

उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागो में विभाजित है –

Schedule-1:- Particulars of Uncultivated land and the extent to which the shall not vest in Gaon Samaj- परन्तु इस सूची में ग्राम ददरी खुर्द का नाम नही है।

Schedule-2:- Particulars of Forest and the extent to which the shall not vest in Goun Samaj- इस सूची के पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम संख्या-244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में क्रमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। उक्त विज्ञप्ति वर्तमान में प्रभावी है।

2. जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-357/जी0भू0व्यय0लि0/ वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक 01.07.2019 से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (संलग्नक-2) एवं कार्यालय पत्रांक-381/जी0भू0व्यय0लि0 /वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक 15.07.2019 से प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (संलग्नक-3) को सम्बोधित करते हुए अनुरोध किया गया कि "वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या-617 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा

4

विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के सम्बन्ध में यथोचित मार्ग दर्शन निर्गत कराने का कष्ट करें।"

3. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ के पत्र सं0–1705/81–2–2019–800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 **(संलग्नक–4)** के क्रम में प्रस्तावित परियोजना में ग्राम–ददरी खुर्द में उपयोग किये जाने वाली भूमि का सक्षम स्तर से विधिक परीक्षण कर परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि 1952 की विज्ञप्ति संख्या–617 से आच्छादित है अथवा नहीं, का शासनादेश सं0–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के आलोक में जिलाधिकारी मीरजापुर से प्रमाण पत्र की अपेक्षा की गयी।
4. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक–924/ मीरजापुर दिनांक 03.09.2019 व पत्रांक–2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10.01.2020 **(संलग्नक–5)** द्वारा जिलाधिकारी मीरजापुर से विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के क्रम में अनुरोध किया गया कि "ग्राम ददरी खुर्द जनपद–मीरजापुर में विज्ञप्ति संख्या–617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालांतर में धारा–20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ विज्ञापित हुई। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी0/2018, दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी ताकि यह समाधान हो सके कि वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं।"
5. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–8B/UP/08/38/2016/FC/2167 दिनांक 12.01.2022 जो मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र को सम्बोधित है के द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में दिनांक 17.01.2022 अपरान्ह 3:30 बजे उप महानिदेशक (वन) भारत सरकार की अध्यक्षता मीरजापुर जनपद में 1320 मेगा वॉट थर्मल पावर प्लान्ट के लिए वाटर पाइप लाईन तथा एप्रोच रोड हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग विषयक परियोजना की भूमि की वैधानिक स्थिति पर स्पष्टता बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मुख्य वन संरक्षक, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ, मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में सम्बन्धित द्वारा "समस्त बिन्दुओं से अवगत होते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वन भूमि राज्य का विषय है तथा उस पर राजस्व विभाग का विधिक मत आवश्यक है। अतः आवश्यकतानुसार अध्यक्ष राजस्व परिषद उ0प्र0 की अध्यक्षता में यह प्रकरण तथा इस तरह के कई प्रकरणों जिसका बैठक में उल्लेख किया गया, एक बैठक आयोजित हो जिसमें राजस्व विभाग, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण तथा इस कार्यालय को सम्मिलित करते हुए अनुरोध किया जाये ताकि भूमि की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जा सके"। **(संलग्नक–6)**
6. शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक–1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया। सम्यक जॉचोपरान्त विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी मीरजापुर ने अपने पत्र दिनांक 29.02.2024 **(संलग्नक–7)** द्वारा उपलब्ध करायी, जिसमें कम्पनी द्वारा क्रय की गयी निजी भूमि में वन भूमि है अथवा नही के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, जिसका उद्धृत अंश निम्नवत् है –

"..........1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग के 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम संख्या-244 व 248 पर रकबा 800 व843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है जो कि ज0वि0अधि0 की धारा-117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा-117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

7. शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1916/जि0भू0व्य0ली0-2023/थर्मल यू0पी0 प्रा0लि0 दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपलब्ध करायी गयी। उक्त के क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या-3005/मीरजापुर/15 दिनांक 02 मार्च 2024 द्वारा मय संलग्नक विशेष सचिव उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ0प्र0 शासन को सम्बोधित करते हुए प्रतिलिपि मय संलग्नक अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ व मुख्य वन संरक्षक/नोडल वन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक 398/11-सी0-FP/UP/Thurmal/14236/2015 लखनऊ दिनांक 27.08.2019 के क्रम में तथा अन्य को प्रेषित की गयी। पुनः कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या-3056/मीरजापुर/15 दिनांक 05 मार्च 2024 **(संलग्नक-8)** द्वारा मय संलग्नक एवं मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक-4457/मी0क्षे0/35/मीरजापुर, दिनांक 15.05.2024 से नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ/ मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ **(संलग्नक-9)** को अग्रसारित की गयी।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4/20 के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में की कार्यवाही निम्नवत् है-

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 का नोटिफिकेशन संख्या-5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर 1955 जारी हुआ जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नहीं है **(संलग्नक-10)**। नोटिफिकेशन दिनांक 26 नवम्बर 1955 के क्रम में विज्ञप्ति 5564/XIV दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके क्रम संख्या-57 पर ग्रामददरी खुर्द में 800 एकड़ की अधिसूचना जारी की गयी है, जिसमें अधिसूचित भूमि का गाटावार/क्षेत्रफल विवरण अंकित नहीं है। **(संलग्नक-11)**

2. पुनः दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या-23(2)-36-(ब)/14/ख-67 दिनांक 24.07.1967 **(संलग्नक-12)** द्वारा पूर्व विज्ञप्ति संख्या-5564/14 दिनांक 27.12.1955 में आंशिक परिस्कार करते हुए मात्र 264.76 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का संसोधित ग्राम ददरी खुर्द का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से गाटा/क्षे0 विवरण दिया गया है।

6

3. दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन में ग्राम ददरी खुर्द के गाटों का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है–

सेड्यूल–2 की परिभषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359 फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 बिस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 बिस्वा	पथरैल
	68	03 बीघा 02 बिस्वा	नला
	73/1	14 बीघा 15 बिस्वा	पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 बिस्वा	नदी
	184	105 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	योग	423 बीघा 12 बिस्वा या 264.88 एकड़	

4. दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा–4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या–4646/14–2–20(41)–77 दिनांक 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों–01 मि0, 24मि0, 73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 262.16 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 (संलग्नक–13) है।
5. मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पहुँच मार्ग एवं पाईप लाईन हेतु ग्राम ददरी खुर्द में 1.6300 हे0, बरकछा खुर्द 0.0026 हे0, बरकछा कलाँ में 0.4829 हे0, गोडटुटवा में 0.4324 हे0, दांती में 3.1043 हे0, बेला में 1.0176 हे0, ददरी गहिरा में 1.6883 हे0, आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जो कि प्रक्रियाधीन है।
6. ग्राम ददरी खुर्द के अन्तर्गत वन स्वरूप क्षेत्र होने के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है–
कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–275/ पी0ए0/आई0ए0 (वन स्वरूप) दिनांक 20 दिसम्बर 2007 के द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 संख्या–979 के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 19.12.2007 को आयोजित किया गया। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या–120/14–2–2008/49(एल)/04 दिनांक 18–1–2008 द्वारा जनपद मीरजापुर में चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मीरजापुर वन प्रभाग के ग्राम ददरी खुर्द में वन स्वरूप क्षेत्र चिन्हित नहीं है। (संलग्नक–14)

आख्या–

1–जनपद मीरजापुर के मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में शासकीय निर्देशों के क्रम में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्र" के रूप में कोई भी भूमि चिन्हित नहीं है।

2–मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना में ग्राम ददरी खुर्द में भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 से आच्छादित भूमि कुल 262.16 एकड़ मे से 1.63 हे0 भाग पहुँचमार्ग एवं पाइपलाइन के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। इसकी विधिवत् अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

3–उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 117 के अन्तर्गत अनुसूची 2 में ग्राम ददरी खुर्द में क्रम संख्या 244 व 248 पर क्रमशः 800 व 843 एकड़ भूमि दर्ज है, जिसके सापेक्ष भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अंतर्गत कुल 262.16 एकड़ वन भूमि अधिसूचित की गयी है।

4–इसी प्रकरण में शासन के संदर्भ के क्रम में अवशेष भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि "शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

5–विज्ञप्ति संख्या–617/XIV दिनांकित 11.10.1952 वर्तमान में भी प्रभावी है। अतः विज्ञप्ति से आच्छादित क्षेत्रफल को वन भूमि नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार ग्राम ददरी खुर्द में शासकीय विज्ञप्ति में प्रदर्शित 1643 एकड़ भूमि एवं जिलाधिकारी मीरजापुर के अनुसार वन विभाग को उपलब्ध 264.88 एकड़ भूमि के क्रम में उपजनित विसंगति को दूर करने का निर्णय सक्षम स्तर से ही लिया जा सकता है।

(ब) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–4 में उल्लिखित

"....The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory."

के सम्बन्ध में मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु–4 में उल्लिखित बिन्दु का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पर्यावरणविद् श्री देबादित्यों सिन्हा, मैनेजिंग ट्रस्टी, विन्ध्यन इकोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री फाउण्डेशन को मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मड़िहान रेंजों के कतिपय क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप व अन्य सर्वेक्षण हेतु प्राप्त अनुमति के क्रम में द्वारा जुलाई 2018 में मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मड़िहान रेंज के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर Sloth Bear Conservation Reserve का प्रस्ताव बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को उपलब्ध कराया गया था, तत्पश्चात कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक–266/मीरजापुर/23 दिनांक 16.07.2018 (संलग्नक–16) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान, सुकृत एवं चुनार रेंजों के अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र को प्रेषित किया गया। परन्तु वर्तमान में प्रश्नगत ग्राम ददरी खुर्द व आस–पास के वन क्षेत्रों को Sloth Bear Conservation Reserve घोषित करने विषयक् प्रस्ताव वन एवं वन्य जीव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

1. वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2X660) मेगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581है0 (भूमिगत वाटर पाईप लाइन हेतु 5.8162 है0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 है0) आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विभिन्न प्रजाति के 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/THE/14236/ 2015 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे

8

परीक्षणोंपरान्त कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 2635/मीरजापुर/15 दिनांक 07.03.2016 द्वारा संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/38/2016/ एफ0सी0/125 दिनांक 17.09.2014 द्वारा अपर मुख्य सचिव,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों में उल्लिखित बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि–प्रमुख वन संरक्षक,वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–272/26–11 (वेलेस्पन) दिनांक 24.06.2014 द्वारा वेलेस्पन एनर्जी प्रा0लि0 परियोजना से सम्बन्धित बायोडयवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं पर परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को प्रतिहस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसपर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–703/मी0/33 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–995/मी0/33 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–1151/मी0/33 दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के बायोडावर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–389/26–11 (वेलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा BiodiversityAssessment and Preparation of Conservation Management Plan (Includingwildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया। **(संलग्नक–16)**

2. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक 685/एन–1 दिनांक 29 अगस्त 2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क–सोनभद्र की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी। उपरोक्त के क्रम में कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक 221/10–1 दिनांक 12 सितम्बर 2024 **(संलग्नक–17)** के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है–

"समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक 06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मड़िहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज में अवस्थित है।
2. मौके पर मौजूद वन प्रभाग मीरजापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।
3. प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेराबन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेराबन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।
4. निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।

5. प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने–जाने के लिए कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।
6. निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ों की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।
7. प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं वहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।''

(स) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–6 मे उल्लिखित

''....It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site.''

कथित क्रय की गयी परियोजना भूमि मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द तहसील–सदर, जिला–मीरजापुर की सीमा से जुड़े दक्षिण में दाँती आरक्षित वन, उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढ़ीराम आरक्षित वन स्थित है। भूमि ढलान युक्त, असमतल एवं पथरीला है तथा वर्षाकाल में छोटी–छोटी स्ट्रीम्स के रूप में बहती है। वन्य जीवों के कुशल प्रबन्धन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–389/26–11 (वेलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा BiodiversityAssessment and Preparation of Conservation Management Plan (Includingwildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया है।

(द) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के अन्य पैरा–2, 5, 7, 8 एवं 9 के अतिरिक्त अन्य बिन्दु–

Para 02 of Order dated 23.07.2024 "The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh." के सम्बन्ध में:–

1. मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 में उल्लिखित तथ्यों की जाँच हेतु मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक 793/मी0/10–रिट दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय आदेश दिनांक 23.08.2024 के क्रम में कुल चार कॉम्बिंग टीम का गठन करते हुए विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित स्थल व आस–पास के वन क्षेत्रों का गहन स्थलीय जाँच कराया गया।गठित टीमों द्वारा दिनांक 31.08.2024 को काम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दिनांक 10.09.2024 को संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। **(संलग्नक–18)** जिसका अंश बिन्दु निम्नवत् है–
   1. "सघन काम्बिंग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा–ठूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ–डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
   2. सघन काम्बिग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस–पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
   3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान में अडानी पॉवर की सहायक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 (पूर्व में वेल्सपन एनर्जी यूपी

प्रा०लि० के नाम से) के स्वामित्व मे है, द्वारा परियोजना भूमि को चारो ओर से घेर–बाड़ करने हेतु प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।

4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि/वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

5. जाँच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर–रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेल्सपन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011–12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।

6. प्रश्नगत स्थल पर पहुचने के लिए मीरजापुर–राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) मार्ग से 1.7 किमी० लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों–कुनवियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस–पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलभ आवा–गमन हेतु मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र द्वारा गठित जाँच समिति के सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया **(संलग्नक–19)** एवं प्रकरण के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे लेख का अवलोकन सहित अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये, जिनका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है–

1. प्रश्नगत स्थल मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में स्थित है, जिसे वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा वर्ष 2011 से 2013 के मध्य विभिन्न काश्तकारों से क्रय किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 834.68 एकड़ है।

2. अगस्त 2019 में उक्त कम्पनी का विधिवत हस्तानान्तरण करते हुए अडानी इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड द्वारा समग्र रूप से अधिग्रहित कर लिया गया, जो वर्तमान में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० के नाम पंजीकृत हो गया है।

3. कम्पनी द्वारा क्रय की गयी समस्त भूमि (834.68 एकड़) को नामांतरण के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया। स्पष्ट है कि वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी भूमि (परियोजना भूमि) में आरक्षित/संरक्षित/निहित वन सम्मिलित नहीं है।

4. काम्बिग आपरेशन्स में आरक्षित वन क्षेत्र से कही भी वृक्षों के कटान की पुष्टि नहीं हुयी है।

5. कम्पनी द्वारा प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब का उपयोग कर मौके पर जो भी बाउण्ड्री कार्य कराया गया है वह परियोजना भूमि में स्थित है। आरक्षित/वन भूमि में इस प्रकार का कोई कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

11

6. कतिपय स्थलों पर बाउण्ड्री कार्य के दौरान लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई कर एकत्रित किया हुआ पाया गया, आरक्षित भूमि से लैण्टाना आदि के कटान की पुष्टि नहीं हुयी।
7. एप्रोच वन मार्ग पर लगभग 250 मीटर लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य किया गया था जो वर्षा के कारण लगभग बह गये है।
8. कम्पनी द्वारा परियोजना भूमि में पूर्व में निर्मित एक कमरा सुरक्षा गार्ड तथा वर्तमान में प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर रूम पाया गया। आरक्षित/वन भूमि में कम्पनी द्वारा कोई अवसंरचनात्मक कार्य किया जाना नहीं पाया गया।"

2. वन मार्ग पर मिट्टी डालने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय वनाधिकारी मड़िहान रेंज द्वारा प्रश्नगत स्थल के पास वृहद वृक्षारोपण अभियान–2024 अन्तर्गत ददरी क०नं०–3 (पैच–1 व पैच–2) स्थलों पर वृक्षारोपण के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त सरसों–कुनबियार वन मार्ग पर दैनिक श्रमिकों/वाचरों की सहायता से मिट्टी डालकर समतल किया गया था।

(च) **शासकीय पत्र 417/पी0पी0एस0/ए0सी0एस0–1/2024–25 दिनांक 21.10.2024 द्वारा प्रकरण में मांगी गयी आख्या जो इस कार्यालय के पत्रांक– को0के0–1346/6 ई–2(एन0जी0टी0) दिनांक 21.10.2024 से मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर मण्डल से मांगी गयी है पर सुस्पष्ट आख्या के सम्बन्ध में–**

अपेक्षित आख्या कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या–4419/मीरजापुर/10रिट दिनांक 21 अक्टूबर 2024 (संलग्नक–20) द्वारा मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसे उपरोक्त आख्याओं में समावेशित किया गया है।

अतः मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024** में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के समादर में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के क्रम में अपेक्षित आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सदस्य)
मुख्य वन संरक्षक
ईको विकास
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(सदस्य)
मुख्य वन संरक्षक
भू–अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

2.1.2025
(सदस्य)
मुख्य वन संरक्षक
वन संरक्षण अधिनियम–1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(सदस्य/सचिव)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर मण्डल,
मीरजापुर

(अध्यक्ष)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं कार्य योजना,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

GAZETTE 617

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

October 11, 1952

No. 617/XIV—In exercise of the powers conferred by section 117 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U. P. Act I of 1951), the Governor is pleased to declare that as from the first day of November, 1952,

(1) all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprised in any holding or grove, and

(2) all forests within the village boundaries,

[illegible] in a circle, which have vested in the State under the said Act, shall, subject to the exceptions shown in Schedules I and II hereto, vest in the Gaon Samaj established for the Circle.

Schedule I

Particulars of unallotted land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs

District	Tahsil	Pargana	Village	Extent to which the unallotted land (to be demarcated) shall not vest
1	2	3	4	5
				Area in acres
Dehra Dun	Dehra Dun	Western Doon	1. Kaparkuli Bhatta	2,087
			2. [illegible]	118
		Eastern Doon	3. Chaleth	181
			4. Khaswan	183
			5. Garhi Mahbak	198
			6. Gumaniwala	114
			7. Dadesia	302
			8. Badarna	283
			9. Gadul	4,255
			10. Nali	149
			11. Simyari	312
			12. Gills	240
Saharanpur	Nakur	Gangoh	1. Ram Bakhari	165
			2. Rajpur Latifpur	173
			3. Gaisara	340
			4. Ber Khurd Musalman	238
			5. Khairaul	188
			6. Haidarpur	307
			7. Khatalpur	206
			8. Sherpur	478
		Nakur	9. Rampur Burzi (Aliwad)	299
		Sarsawa	10. Tajpura	322
		Sultanpur	11. Darya [illegible]	113
	Deoband	Rampur	12. Jandheri	134
Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	Gordhanpur	1. Khanpur	330 (in Alki).
			2. Idrispur	212 (in Chakheri).
			3. Mora Bala	1,673 (in Banniwala).
			4. Farakhpur	263 (in Pamshi).
			5. Farakhpur	229 (in Gastanauli).
			6. Abdipur	184
			7. Khurd	254 (in Marakhpur).
			8. Khurd	232 (in Rahmatpur).
			9. Husainpur	178
			10. Bhuiwala	149 (in Bahlolpur).
			11. Kaleiya	244
			12. Jogewala	418 (in Udlawali).
			13. Barkhera	146
			14. Barkhwala	339 (in Bharaulheria).
			15. Almawala	123
			16. Rahamtpur	431 (in Zhinwarheri).
			17. Dharmapur	410
			18. Yahyapur	231
			19. Sadipur	283 (in Madarpur).
			20. Mahtimdpur	188 (in Dhamali).
			21. Farakhpur	331
			22. Shahpur	306 (in Rikhalpur).
			23. Dahawali	197 (in Shahpur Khadar).
			24. Dauladpur	700 (in Hammatpur [illegible])
			25. Rasulalpur	245 (in Rasulalwala).
	Kairana	Jhinjhana	26. Begara	173
			27. Siddpur Jalaspur	299
			28. Thanati Khurd	473
			29. Kheri Khushhal	328
			30. Gadhi Hasanpur	165
		Budhana	31. Khaderkha	889
			32. Sahnati	675
			33. Hasanan	285
			34. Dalhera	880
			35. [illegible]	197
			36. [illegible]	1,354

छाया प्रति प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

SCHEDULE II

Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs

District	Tahsil	Pargana	Village	Extent to which the forest to be demarcated shall not vest
1	2	3	4	5
				Area in acres
Dehra Dun ..	Dehra ..	Pachhwa Dun (Western Dun)	1. Amolaki Gran[illegible] ..	330
			2. Ambari Tea Co. Jungle ..	414
			3. Danda Jungle ..	453
			4. Langha ..	300
			5. Tauli ..	130
			6. Mohar West ..	2,254
			7. Barkwa ..	140
			8. Sarna ..	1,024
			9. Kaisrpur ..	278
			10. Kedarwala ..	143
			11. Dhariawala ..	200
			12. Chhiba ..	1,617
			13. Tirthipur Jungle ..	2,227
			14. Ambari Jungle ..	222
			15. Shankarpur Hukumatpur ..	287
			16. Dhalani ..	183
			17. Harrawala ..	1,078
			18. Chandpur ..	72
			19. Dharmnagar ..	204
			20. Tilwari ..	286
			21. Jagatpur ..	244
			22. Bhiwal ..	548
			23. Katta Kalyanpur ..	174
			24. Kunja ..	68
			25. Kunja Grant ..	122
			26. Adowala ..	14
			27. Matak Majri ..	87
			28. Tauli ..	68
			29. Khushalpur ..	71
			30. Fatehpur ..	21
			31. Dedhipur Kalyanpur ..	61
			32. West Hope Town ..	106
			33. Alak Farm ..	1,230
			34. Bakhtawarpur Grant ..	30
			35. Bajawala ..	71
			36. Tanhan ..	80
			37. Central Hope Town ..	600
			38. Rampur Bhowarwala ..	186
			39. Chak Nanghal ..	72
			40. Mandhirwala ..	441
			41. Nangawa ..	42
			42. Sabhawala ..	17
			43. Dhalkot Khalsa ..	[illegible]
			44. Rambhawala ..	44
			45. Dhalkot Maafi ..	79
			46. Tepla ..	108
			47. Kaulmauli ..	2,000
			48. Kalliperi ..	177
			49. Katta Pathar ..	118
			50. Tandha ..	340
			51. Annwala ..	363
			52. Phulswal ..	16
			53. Majhaun ..	455
			54. Kanaswala Khirl ..	200
			55. Bidholi ..	117
			56. Mansa Pasi ..	53
			57. Thani Gaon ..	62
			58. Khandkhet ..	280
			59. Khera Pathar ..	148
			60. Kariswala Kalan ..	105
			61. Dharhpo ..	445
			62. Chawai ..	413
			63. Sikholi ..	2,224
			64. Dhikaul ..	2,122
			65. Gangal Pundit[illegible] ..	83
			66. Salaywari ..	1,466
			67. Purohitwala ..	136
			68. Dhangora ..	10
			69. Khera Gopiwala ..	275
			70. Chandroli ..	55
			71. Jahri ..	40
			72. Sarasia ..	252
			73. Maial ..	131
			74. Dhak Patti ..	243
			75. Haurati ..	87
			76. Dhura Gaon ..	[illegible]
			77. Kharkoti Khadra ..	380
			78. Dhariyal ..	500
			79. Kwandar Gaon ..	73
			80. Khala Gaon ..	138
			81. Singli ..	33
			82. Sonal Gaon ..	37
			83. Salgaiwala ..	39
			84. Mahanwala ..	178
			85. Stahi Gaon ..	146
			86. Dishampur ..	84
			87. Dadan [illegible] Dande ..	160

				Area in acres
Mirzapur	Kantit	215.	Pathak	140
		216.	Sumra Pratap Singh	182
		217.	Tulsi	271
		218.	Bali	253
		219.	Mandi	159
		220.	Pandaria Khurd	118
		221.	Semrai	180
		222.	Aunai	871
		223.	Sharan	1,420
		224.	Marihan	300
		225.	Deori Kalan	219
		226.	Khashahar	410
		227.	Kuberi Pahhari	708
		228.	Karonda	213
		229.	Dachroo	317
		230.	Dalkora	721
		231.	Piprad	102
		232.	Hardi Kalan	1,381
		233.	Hanai	184
		234.	Hardi Khas	148
		235.	Kaloaki	180
		236.	Anoi	281
		237.	Patewar	229
		238.	Neemdih	188
		239.	Deori Duwar	282
		240.	Khandwar Mishan	144
		241.	Deori Uthar	1,180
		242.	Hinauti Raja	234
		243.	Bedauli	374
		244.	Dadri Khurd	[illegible]
		245.	Chandiwan Khurd	220
		246.	Qanaea	1,220
		247.	Hinauti	1,338
		248.	Dadri Khurd	843
		249.	Umariya Sardar	622
		250.	Tenga	481
		251.	Garaha	683
		252.	Pathiyar	189
		253.	Sagar Samar	125
		254.	Semari Magarda	313
		255.	Qupalpur	2,131
Chunar	Ahraura	256.	Bajhaur, Bajhauri, Kotlapur, Qutarla	433
		257.	[illegible]	561
		258.	Raghunathsaraiya	210
		259.	Dassara	10
		260.	Chhoto Hinauta	1,342
		261.	Jamaiyatpur, Sur	2,451
		262.	Rampur Dhabai	1,310
		263.	Lalipur/Nandapur	2,144
	Bhuili	264.	Lalaura, Gopadara	218
		265.	Rajapur Dhakwah	2,867
		266.	Nahdiha Lalpur	75
		267.	Daihia, Bishunpur, Motihari	600
		268.	Dadrah	143
		269.	Bahura	183
		270.	Chandalara	211
		271.	Barsa	1,250
		272.	Bamri	431
		273.	Nikarika	2,270
		274.	Bhabhar	237
		275.	Tilwa	140
		276.	Kusha Khurd, Kusha Kalan	1,358
		277.	Bhairoganj, Khamwa Jaypal	1,292
		278.	Madpha	380
		279.	Dumari	750
		280.	Lhorihara	406
		281.	Deopur	156
		282.	Kalwari Mal	1,143
		283.	Dhuntar	400
		284.	Dinsarah	66
		285.	Kandi	130
[Robertsganj]	Barhar	286.	Khoriauta	116
		287.	Dumahari	368
		288.	Dasaki	128
		289.	Indi Pokhar	211
		290.	Dhoti	220
		291.	Bahkauli	201
		292.	Kandari	2,473
		293.	Majurah	184
		294.	Lali	225
	Bijaigarh	295.	Kasaria	238
		296.	Bakhaia Goen	148
		297.	Pipri	165
		298.	Charkhowa	133
		299.	Kalar	550
		300.	Dharmdaspur	183

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

संख्या-357 /जि0मु0[illegible]/वेलस्पन एनर्जी-का भूमि/2019 दिनांक जुलाई 01 [illegible] 2019

विषय:- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320मेगावाट थर्मल पावर प्लान्ट के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सुधीर कुमार [illegible], अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 19.06.2019 पर पृष्ठांकित अपने आदेश दिनांक 19.06.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण के संबंध में [illegible] कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रकरण के संबंध में [illegible] है कि [illegible] के आदेश दिनांक 19.06.2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं [illegible] मीरजापुर [illegible] मीरजापुर से [illegible] आख्या [illegible] की अपेक्षा की गयी । उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर ने अपने [illegible] के पत्रांक [illegible] दिनांक 25.06.2019 द्वारा [illegible] कि ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के [illegible] 1425-1431 [illegible] कुल रकबा 431.76260 है जिसमें से 104.85 है0 भूमि [illegible] 2.13620 [illegible] मीरजापुर के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त 337.79530 भूमि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 के नाम [illegible] (क) के रूप में दर्ज है। [illegible] 1359 फसली के अनुसार ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1321 [illegible] 15 [illegible] है। [illegible] दिनांक 16.10.1957 के [illegible] संख्या 617 दिनांक 11.10.1957 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में [illegible] 244 पर 000 एकड़ [illegible] 240 पर 635 एकड़ भूमि को [illegible] है। जिसमें [illegible] अधिनियम की धारा-4 के [illegible] 000 एकड़ भूमि [illegible] संख्या 3564/ दिनांक 27.12.1955 द्वारा प्रकाशित हुयी। पुनः [illegible] संख्या 3564/ दिनांक 27.12.1955 का [illegible] करते हुये उत्तर प्रदेश सरकार के [illegible] संख्या 23(7)[illegible]/14-[illegible]-67 दिनांक 04.11.1967 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द के [illegible] रकबा 493 [illegible] 12 [illegible] भूमि के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित हुयी। [illegible] दिनांक 04.11.1967 के क्रम में [illegible] दिनांक 14.01.1976 द्वारा अधिसूचना संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांक 20.07.1977 से ग्राम ददरी खुर्द के [illegible] रकबा 419 [illegible] 09 [illegible] भूमि के संबंध में धारा-20 के अधीन [illegible] का प्रयोग करते हुये [illegible] किया गया है। [illegible] प्रपत्र-15 में भी [illegible] का कुल क्षेत्रफल 104.0320 [illegible] है जो [illegible] में भी अंकित है।

प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 846/[illegible] दिनांक 26.06.2019 द्वारा [illegible] अधिकारी, मीरजापुर एवं [illegible], मीरजापुर से तीन दिवस के अन्दर आख्या [illegible] कराये जाने की

86

प्रेषित की गयी। उनके द्वारा बिना किसी ठोस आधार उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या 232/शिका/प्रा०वि०/भूमि/2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 5041/गोरखपुर दिनांक 28.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया जिसमें उप जिलाधिकारी सदर गोरखपुर के पत्र दिनांक 24.06.2019 में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना [illegible] सदर गोरखपुर के [illegible] से जुड़े दक्षिण में [illegible] आरक्षित वन (आरक्षित वन 7895.00 एकड़), उत्तर में [illegible] आरक्षित वन तथा पूरब में [illegible] आरक्षित वन (क्षेत्रफल 5309.52 एकड़) स्थित है। उक्त परियोजना तीन ओर से तमाम आरक्षित वन से घिरी हुयी है। परियोजना की स्थापना के संबंध में Biodiversity Assesment and Preparition of Conservation Management Plant (including wildlife) के अनुमोदन के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 209/26-11(शिकायत एनजी) लखनऊ दिनांक 15.10.2014 द्वारा सशर्त अनुमोदित किया गया है। मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक 21.12.2016 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना का [illegible] भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विचाराधीन है। मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के [illegible] में [illegible] के [illegible] स्पष्ट करते हुये आख्या प्रेषित किया गया है। परियोजना की स्थापना हेतु [illegible] हेतु प्रस्तावित [illegible] से जुड़े [illegible] हे० वन भूमि एवं [illegible] की अनुमति के संबंध में उनके द्वारा किसी प्रकार की [illegible] नहीं की गयी है।

उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम [illegible] में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा कुल 1643 एकड़ भूमि का [illegible] प्रकाशन किया गया है जबकि गांव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है। इस प्रकार 617 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत ग्राम के क्षेत्रफल से 440.50 एकड़ अधिक भूमि का प्रकाशन हुआ है। वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गजट दिनांक 27.12.1955 द्वारा 800 एकड़ भूमि की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है और गजट दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये गजट दिनांक 04.11.1967 द्वारा वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 264.75 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी जिसके सापेक्ष वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.14 एकड़ (415 बीघा 09 बिस्वा) भूमि का भूमि [illegible] हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4509/गोरखपुर/13 दिनांक 25.05.2019 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है कि परियोजना हेतु कब्जे की गयी भूमि विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि से आच्छादित हो रही है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि श्री सुधीर कुमार [illegible], [illegible] मेसर्स एमजी मूवीज प्रा०लि० ने अपने पत्र दिनांक 13.06.2017 के साथ संलग्न किये गये तत्कालीन जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्र संख्या 498/गोरखपुर/33 दिनांक 19.08.2013 के बिन्दु (ख) में [illegible]

97 (108)

[illegible] प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि [illegible] द्वारा उपयोग हेतु जो जानकारी दी गयी है या समय समय पर मांगी गयी है वह [illegible] या किसी [illegible] जाती है जबकि वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर श्री राकेश चौधरी द्वारा वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा० लि० द्वारा क्रय की गयी भूमि के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी एवं वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी के कथन में अन्तर है जिसमें से किसी एक अधिकारी का कथन ही सत्य हो सकता है। इस प्रकार वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी 337.76280 भूमि, वन भूमि है अथवा नहीं इसे सिद्ध करने का दायित्व वन विभाग का है।

उपर्युक्त आख्या के आधार पर प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय है :-

1. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी है जबकि गांव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 में विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुयी शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुयी है।
3. वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में 834.60 एकड़ (337.79280) भूमि क्रय की गयी है जो तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 16.08.2013 के अन्तर्गत वन भूमि नहीं है।
4. ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक क्रमशः 26.06.2015 एवं 28.06.2019 की छायाप्रति संलग्न कर उपर्युक्तानुसार आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के संबंध में यथोचित मार्ग-दर्शन निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव वन,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

संख्या-381 /जि0भू0व्यव0लि0/वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019

दिनांक 15 जुलाई 2019

विषयः- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320मेगावाट थर्मल पावर प्लाण्ट के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 19.06.2019 पर पृष्ठांकित मुख्य सचिव महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण के संबंध में यथोचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 357/जि0भू0व्य0लि0/वेलस्पन एनर्जी-वन भसूमि/2019 दिनांक 01.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आख्या प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के संबंध में सादर अवगत कराना है महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर से आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक 6975/एस0टी0/19 दिनांक 26.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया कि ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के वर्तमान खतौनी 1425-1431 फसली के ग्राम का कुल रकबा 495.762हे0 है जिसमें से 104.85 हे0 भूमि रक्षित वन तथा 2.180हे0 वन विभाग उत्तर मीरजुपर के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त 337.792हे0 भूमि वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी-1(क)- के रूप में दर्ज है। खसरा 1359 फसली के अनुसार ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1923 बीघा 19 बिस्वा है। उ0प्र0 सरकार, वन विभाग के गजट दिनांक 18.10.1952 के विज्ञप्ति संख्या 617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ तथा क्रमांक 248 पर 843 एकड़ भूमि के विज्ञापित हुआ है। जिसके सापेक्ष भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 800 एकड़ भूमि विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 द्वारा प्रकाशित हुयी। पुनः विज्ञप्ति संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 सरकार के गजट संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 दिनांक 04.11.1967 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द के 7 गाटा रकबा 423 बीघा 12 बिस्वा रक्षित वन भूमि के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित हुयी। गजट दिनांक 04.11.1967 के क्रम में गजट दिनांक 14.01.1978 द्वारा अधिसूचना संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांक 20.07.1977 से ग्राम ददरी खुर्द के कुल 06 गाटा रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा-20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये आरक्षित वन घोषित किया गया है। सर्वेक्षण प्रपत्र-15 में भी रक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 104.85हे0 दर्ज है जो वर्तमान खतौनी में भी अंकित है।

प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 846/एस0टी-शि0 दिनांक 26.06.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर से तीन दिवस के अन्दर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। उनके द्वारा नियत तिथि तक आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या 352/जि0भू0व्य0लि0/भूमि/2018 दिनांक 27.06.2019 द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उन्होने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 5041/मीरजापुर दिनांक 28.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया जिसमें उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्र दिनांक 26.06.2019 में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित किया गया

कि प्रस्तावित परियोजना ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन (आरक्षित वन 7895.00 एकड़), उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढ़ीराम आरक्षित वन (क्षेत्रफल 9309.52 एकड़) स्थित है। उक्त परियोजना तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरी हुयी है। परियोजना की स्थापना के संबंध में Biodiversity Assesment and Preparition of Conservation Management Plant (Including wildlife) के अनुमोदन के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 389/26-11(वेलस्पन एनर्जी) लखनऊ दिनांक 15.10.2014 द्वारा सशर्त अनुमोदित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक 21.12.2016 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना का आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आलोक में विभाग के स्तर से क्षेत्र की पर्यावरणीय महत्व के क्रम में स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या प्रेषित किया जाना है। परियोजना की स्थापना हेतु भूमिगत वाटर पाईप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरिखड़ मार्ग में पड़ने वाली 8.3581 हे0 वन भूमि एवं वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

उप जिलाधिकारी सदर एंव प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम ददरी खुर्द में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा कुल 1643 एकड़ भूमि का प्रकाशन किया गया है जबकि गॉव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है। इस प्रकार 617 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत ग्राम के क्षेत्रफल से 440.50 एकड़ अधिक भूमि का प्रकाशन हुआ है। वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गजट दिनांक 27.12.1955 द्वारा 800 एकड़ भूमि की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है और गजट दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये गजट दिनांक 04.11.1967 द्वारा वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 264.75 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी जिसके सापेक्ष वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि वन भूमि घोषित हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर/15 दिनांक 25.05.2019 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है कि परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि से आच्छादित तो नहीं है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 ने अपने पत्र दिनांक 19.06.2017 के साथ संलग्न किये गये प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 698/मीरजापुर/33 दिनांक 16.08.2013 के बिन्दु (क) में श्री एस0एन मिश्रा तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया है कि वेलस्पन द्वारा उपयोग हेतु जो जमीन ली गयी है या राज्य सरकार से मांगी गयी है वह आरक्षित/संरक्षित या निजी वन नहीं है जबकि वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर श्री राकेश चौधरी द्वारा वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा क्रय की गयी भूमि के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी एवं वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी के कथन में अन्तर है जिसमें से किसी एक अधिकारी का कथन ही सत्य हो सकता है। इस प्रकार वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा क्रय की गयी 337.762हे0 भूमि, वन भूमि है अथवा नहीं इसे सिद्ध करने का दायित्व वन विभाग का है।

उपर्युक्त आख्या के आधार पर प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय है :-

1. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी है जबकि गॉव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है ।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 में विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुयी शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुयी है।

3. वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में 834.68 एकड़ (337.792हे0) भूमि क्रय की गयी है जो तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 16.08.2013 के अन्तर्गत वन भूमि नहीं है।
4. ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एंव प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक क्रमशः 26.06.2019 एवं 28.06.2019 की छायाप्रति संलग्न कर उपर्युक्तानुसार आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

पत्र पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण के संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर दिनांक 25.05.2019 के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-1205/81-2-2019-800(64)/2016

प्रेषक,

अनिल तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2019

विषय- मेसर्स वेलस्पन एनर्जी यूपी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति वास्ते भूमिगत वाटर पाइपलाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3561 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मात्र 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-1674/81-2-2019-800(64)/2016, दिनांक 26.07.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक-149/11-सी-एफ0पी0/यूपी/थर्मल/14236/2016, दिनांक 19.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्याओं में अंकित है कि ग्राम-ददरी खुर्द, जनपद-मीरजापुर में विज्ञप्ति सं0-917, दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के संबंध में अभिलेखों की विधिवत जांच कर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार संयुक्त आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलस्पन द्वारा चाही गयी भूमि 1380.84 एकड़ में वन भूमि निहित तो नहीं है?

3. कृपया उपर्युक्तानुसार विस्तृत आख्या/टिप्पणी अपनी संस्तुति सहित शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल तिवारी)
विशेष सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 370/11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 27 ,2019

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों सहित मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को प्रेषित करते हुये इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/सुस्पष्ट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी यूपी0 प्रा0लि0, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक /मीरजापुर/ दिनांक, मीरजापुर, सितम्बर 03 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

विषय:- वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में

संदर्भ- उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-20-800(64)/2016 दिनांक 20.08.2019।

महोदय,

वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर मे प्रस्तावित
1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8
.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित
पत्र (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम ददरी खुर्द जनपद मीरजापुर में विज्ञप्ति संख्या-617
दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी एवं कालान्तर मे धारा-20 के अर्न्तगत वर्ष 1977 मे 262
एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध मे शासन के पत्रांक-पी0आई0पी0-23/
14-2-2019-190जी0/2018, दिनांक 28.06.2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया अनुसार
परीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है ताकि यह समाधान हो सके कि वेलेस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गयी 843.68
एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

1417
33
4-9-19

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 924 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रतिलिपि श्री सुधीर श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि, वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 प्लाट नम्बर - 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रहमपुरी कालोनी मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर शासनादेशानुसार उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

Bandobasat file / Letter vicspaa

महत्वपूर्ण

प्रेषक, संख्या– V I P - 23 /14-2-2015-150 जी/2015

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 2£ जून, 2015

विषय– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित/चयनित समतुल्य गैर वनभूमि के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन को प्रेषित किये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की व्यवस्थानुसार गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के बदले प्राप्त होने वाली वनीकरण हेतु गैर वनभूमि के प्रकरणों में गंभीर त्रुटियां शासन के संज्ञान में आयी हैं, जिससे प्रकरण का सम्यक निस्तारण किये जाने में कठिनाई होती है एवं प्रकरण का समयबद्ध रूप से निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है। इससे जहां एक ओर फारेस्ट क्लीयरेंस के सन्दर्भ शासन स्तर पर लम्बित प्रदर्शित होते हैं वहीं दूसरी ओर प्रस्ताव के त्रुटिपूर्ण होने के कारण भविष्य में विवाद की सम्भावनायें भी बनी रहती है।

2– अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को प्रेषित किये जाने वाले ऐसे प्रस्तावों के संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर परीक्षण कर गैर वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव प्रमाण–पत्र पर अंकित कर प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय तथा सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी उक्त का अपने कार्यालय अभिलेखों व यथा आवश्यक राजस्व अभिलेखों से परीक्षण कराते हुए प्रस्ताव को प्रमाणित करने के उपरान्त ही सुसंगत त्रुटिरहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे :–

(1) प्रस्तावित गैर वनभूमि की गाटा संख्या का सत्यापन आधार वर्ष (1359 फसली) की खतौनी एवं क्रमागत अगले फसली वर्षों की खतौनी से मिलान इस प्रकार कर लिया जाय कि प्रश्नगत गाटा संख्या वन विभाग के प्रबन्धन में दी गयी अथवा श्रेणी–5(3)(1) की भूमि नहीं थी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/धारा–20 में विज्ञापित नहीं है। यह भी परीक्षण कर सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार से वन के पक्ष में निर्णीत हुई हो या वन को प्राप्त हुई हो किन्तु कतिपय कारणों से राजस्व अभिलेखों में वन के खाते में इन्द्राज न हुआ हो और वह वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में किसी अन्य खाते में दर्शित हो रहा हो, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वन भूमि, गैर वन भूमि के रूप में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित न की जाय।

(2) प्रस्तावित गैर वनभूमि जिस गांव में प्रस्तावित है यदि उक्त ग्राम में चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही हो या हो चुकी हो तो प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित जोत चकबन्दी आकार–पत्र 41 (खसरा मुकाबिलान/तुलनात्मक खसरा) एवं जोत चकबन्दी आकार–पत्र 45 की प्रविष्टियों का मिलान कर लिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है। यदि

गॉव में चकबन्दी प्रकिया समाप्त हो चुकी है तो प्रस्तावित गाटे के सापेक्ष पुराने गाटे की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

(3) प्रस्तावित गैर वनभूमि जिस गॉव में प्रस्तावित है यदि उक्त ग्राम में सर्वे की प्रक्रिया चल रही हो या हो चुकी हो तो प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित सर्वेक्षण प्रपत्र-7 (कर्द मुताबिकात), सर्वेक्षण प्रपत्र-8 (खसरा मुताबिकात), सर्वेक्षण प्रपत्र-14 (पुनरीक्षित खसरा) एवं सर्वेक्षण प्रपत्र-15 (पुनरीक्षित खतौनी) की प्रविष्टियों का मिलान कर लिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है। यदि गॉव में सर्वे प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तो प्रस्तावित गाटे के सापेक्ष पुराने गाटे की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

3— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी गैर वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से शासन को निम्न प्रमाण-पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगे :-

"प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23 /14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून, 2019 के प्रस्तर-2 में दर्शित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।"

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या- VIP-23 (1)/14-2-2019 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

2- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
सचिव।

95 (116)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक /मीरजापुर/ 15 दिनांक, मीरजापुर, जनवरी 10, 2020

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

विषयः– वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

संदर्भ– उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1705/81–2–2019–20–800(34)/2016 दिनांक 26.08.2019 इस कार्यालय का पत्रांक–924/मीरजापुर/15 दिनांक 03.09.2019।

महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि ग्राम ददरी खुर्द जनपद मीरजापुर में विज्ञप्ति संख्या–617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी एवं कालान्तर में धारा–20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–बी0आई0पी0–23/14–2–2019–190जी0/2018, दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया अनुसार परीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है ताकि यह समाधान हो सके कि वेलेस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं।

सामान्य

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 2585 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रतिलिपि श्री सुधीर श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि , वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 प्लाट नम्बर– 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रह्मपुरी कालोनी मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर शासनादेशानुसार उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

4024
33
20-1-2020

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

[illegible] 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: [illegible]

File No.: 8B/UP/08/38/2016/FC/481 Date: 20.01.2022

Subject: Diversion of 8.3581 ha. Reserve Forest land for Water Pipeline corridor & Approach road for Mirzapur 1320 MW Thermal Power Project (FP/UP/THE/14236/2015).

<u>Minutes of Meeting dated 17-01-2022</u>

दिनांक 17.01.2022 को अपराह्न 3:30 बजे उप महानिदेशक(वन) भारत सरकार, लखनऊ की अध्यक्षता में मिर्जापुर जनपद में 1320 MW थर्मल पॉवर प्लांट के लिए वाटर पाईप लाईन तथा एप्रोच रोड हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग विषयक परियोजना की भूमि के वैधानिक स्थिति पर स्पष्टता हेतु आयोजित की गई है। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री सुनील दुबे, मुख्य वन संरक्षक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त, लखनऊ।
2. श्री रमेश चन्द्र झा, मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर।
3. श्री पी०एस० त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर।
4. श्री पी०के० शुक्ला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार।

बैठक में प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर में उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117 के अन्तर्गत विज्ञप्ति सं०-617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ सं०-1225 के क्रम सं०-244 पर 800 एकड़ एवं पृष्ठ सं०-1225 के क्रम सं०-246 पर 643 एकड़ भूमि शेड्यूल-II में विज्ञापित की गई है तथा शेड्यूल-II में निम्न उल्लिखित है **"Particulars of Forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs."**
2. यह भी अवगत कराया कि ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर एक गैर चिरागी ग्राम है तथा आधार वर्ष अर्थात् 1359 फसली खसरा के मुताबिक कुल 185 बीघा 03 बिस्वा में मात्र दो सीरदार है। धारा-4 उप धारा-1(सी) विज्ञप्ति सं०-5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम की मात्र 800 एकड़ भूमि धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ०प्र० गजट में विज्ञापित एवं प्रकाशित की गई। पुनः आंशिक परिष्कार करते हुए विज्ञप्ति सं०-23(2)39(ब)/14-स-67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा (264.89 एकड़) रक्षित वन धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं

प्रकाशित की गई है। विज्ञप्ति सं0–4646/14–2–20(41)–77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा (262.29 एकड़) अन्तर्गत धारा–20 भारतीय वन अधिनियम 1927 आरक्षित वन विज्ञप्ति किया गया।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, मिर्जापुर के पत्रांक–361/जि0भू0अध्य0लि0/वेलस्पेन एनर्जी, दिनांक 15.07.2019, उप जिलाधिकारी, सदर, जिला–मिर्जापुर के पत्रांक–6957/एस0टी0–उप जि0अ0/19 दिनांक 26.06.2019 में उल्लेख है कि खतौनी 1359 फसली वर्ष के अनुसार ग्राम–ददरी खुर्द का कुल रकबा 1923 बीघा 19 बिस्वा है परन्तु उ0प्र0 जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत विज्ञप्ति–617-XIV वन विभाग (सिविल) दिनांक 11.10.1952 में शेड्यूल-II में वर्णित क्रमांक–244 पर 800 एकड़ व क्रमांक–248 पर 843 एकड़ वन के रूप में अधिसूचित है।

उपरोक्त अधिसूचित रकबे 1643 एकड़ के सापेक्ष धारा–4 भारतीय वन अधिनियम अन्तर्गत प्रारम्भ में 800 एकड़ पुनः परिष्कृत रूप में 264.88 एकड़ तथा धारा–20 भारतीय वन अधिनियम अन्तर्गत 262.29 एकड़ विज्ञप्ति एवं प्रकाशित की गई है। इस प्रकार 1643 एकड़ के सापेक्ष पूर्ण रूपेण अनुपालन अभी भी शेष है।

7. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0–7017/2009 में दिए गए निर्णय दिनांक 05.10.2021 के अन्तर्गत कि–

"16- ...therefore the land comprising in notification dated 11-10-1952 unequivocally vests with the state.

27-... the revenue record is not a document of title. Therefore even in the name of the lessee finds mention in the revenue record but such entry without any supporting documents of create any right title of interest....

28-.... the land vests in the forest department by virtue of notification published under a statute...."

8. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरा हुआ है तथा जैव–विविधता से परिपूर्ण है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी, विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम–1950 के अनुसार धारा–4 में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरांत धारा–117 में विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की प्रक्रिया की जाती है। उक्त प्रकरण में अधिसूचना सं0–617 का प्रकाशन बिना धारा चार की प्रक्रिया अपनाए किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त भूमि का क्रय उत्तर प्रदेश लैण्ड सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत विधिक रूप से पूर्ण कार्यवाई करते हुए किया गया है।

7. मुख्य वन संरक्षक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा पुनः इस बात पर जोर दिया गया कि क्योंकि उक्त भूमि ग्राम-दरदी खुर्द में स्थित है जो कि अधिसूचना सं0-917 के दिनांक 11.10.1952 के शेड्यूल-II में इंगित है, जो वन के रूप में अधिसूचित है। अतः भूमि की वैधानिक स्थिति निःसंदेह वन है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि क्योंकि Mutation does not entitle to title, अतः भले ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त भूमि का क्रय विधिक रूप से किया गया है, परन्तु उक्त भूमि वन भूमि होने के कारण क्रय-विक्रय नहीं की जा सकती थी, अतः उनका उक्त भूमि पर कोई विधिक दावा नहीं बनता है।

8. समस्त बिन्दुओं से अवगत होते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वन भूमि राज्य का विषय है तथा उस पर राजस्व विभाग का विधिक मत आवश्यक है, अतः आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 की अध्यक्षता में यह प्रकरण तथा इस तरह के कई प्रकरणों जिसका बैठक में उल्लेख किया गया, एक बैठक आयोजित हो जिसमें राजस्व विभाग, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण तथा इस कार्यालय को सम्मिलित करते हुए अनुरोध किया जाए ताकि भूमि की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जा सके।

बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

20/01/2022
(डॉ0प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित आवश्यक को सूचनार्थ-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
4. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर।
6. श्री नवनीत चड्ढा, प्रतिनिधि, वेलेस्पन एनर्जी, यू0पी0 प्रा0 लि0, मिर्जापुर, उ0 प्र0।

(डॉ0प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

<u>शीर्ष प्राथमिकता/आवश्यक/तत्काल</u>

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर ।

पत्रांक:- 1916 /जि0भू0व्य0लि0-2023/थर्मल्स0यू0पी0प्रा0लि0 दिनांक: 29 .02.2024

विषय:- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलपूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर
<u>वन प्रभाग, मीरजापुर ।</u>

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वार पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के संबंध में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा-20 के अंतर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई । अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के संबंध में शासन के पत्रांक-VIP-23/14—2019-190जी/2018 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में आख्या की अपेक्षा की गई है ।

विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के पत्र संख्या-3123/मीरजापुर/5 दिनांक 10 फरवरी 2020 व अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता, मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट केन्द्र 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रह्मपुरी कालोनी मीरजापुर के पत्र दिनांक 08.02.2024 के क्रम में वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जॉचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा किया गया ।

उपरोक्त के क्रम में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 प्राप्त की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत ग्राम ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना संभव नहीं था एवं वर्तमान में भी संभव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलस्पन के द्वारा क्रय की गई भूमि सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है एवं वन से आच्छादित नहीं है ।

अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 के क्रम में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने कष्ट करें ।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

जिलाधिकारी महोदया,

शासन के पत्र संख्या–1705/81–2–2019–800(64)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 दिनांक 28 अगस्त, 2019 में की गयी प्रेच्छा– प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं जिलाधिकारी मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रकियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलस्पन द्वारा कय की गयी भूमि 834.68 एकड़ मे वन भूमि निहित तो नही है के कम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्र संख्या 2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके कम में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 1869/जि0भू0व्य0 लि0/गैर वन भूमि–टीम गठन/2024 दिनांक 12 फरवरी, 2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0) मीरजापुर, उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर, उपप्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर, मीरजापुर की संयुक्त टीम गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में राजस्व व वन विभाग के विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण की प्रकिया के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये –

1. दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर क़े ददरी खुर्द ग्राम में तथाकथित वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है–"In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act I of 1951), the Governess is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in any holding ....and all forest within the village boundries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, shall subject to the exceptions shown in schedule and hereto. vest in Gaon Samaj established for the circle.

उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागों में विभाजित है–

Sehedule-1 :- Particulars of uncultivated Land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs – परन्तु इस सूची में ददरी खुर्द का नाम नही है।

Sehedule-2 :- Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs.

इस सूची के पृष्ठ संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर ग्राम ददरी. खुर्द के संदर्भ में कमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। दिनांक 18.10.1952 का वन विभाग का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक–1 है।

2. ततपश्चात् वन विभाग की धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर, 1955 में जारी हुआ, जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नहीं है। दिनांक 26 नवम्बर 1955 का नोटिफिकेशन संलग्नक–2 है।

3. वन विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर 1955 के धारा 4 के संबंध में जारी नोटिफिकेशन के कम में विज्ञप्ति 5564/XIV

दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः धारा 4 का अग्रिम नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिसके कम संख्या 57 पर ग्राम ददरी खुर्द के संबंध में मात्र 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन है, जिसकी सीमा दक्षिण दांती वन पश्चिम ददरी खुर्द व ददरी गहिरा की कृषिक भूमि व उत्तर सुखनई वन व पूरब दाढीराम वन है। दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का धारा-4 का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक-3 है।

4. पुनः वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन में ग्राम ददरी खुर्द के गाटों का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है:-

सेड्यूल-2 की परिभाषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 बिस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 बिस्वा	पथरैल
	68	03 बीघा 02 बिस्वा	नाला
	73/1	14 बीघा 15 बिस्वा	पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 बिस्वा	नदी
	184	105 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	योग	423 बीघा 12 बिस्वा या	264.88 एकड़

इस प्रकार वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के शेड्यूल-2 की परिभाषा एवं 1967 मे धारा-4 मे प्रकाशित ददरी खुर्द के वन भूमि का विवरण एवं 1359फसली खसरा (वर्ष 1952) मे भूमि की प्रकृति से स्पष्ट है कि 1359 फसली खसरे मे पथरैल, नदी, पहाड व नाला की भूमि ही वन भूमि के रूप मे प्रकाशित की गयी थी। जो तत्समय मे वन भूमि के रूप मे थी। दिनांक 24 जुलाई 1967 का नोटिफिकेशन संलग्नक-4 है।

5. दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों-01मि0, ,24मि0 ,73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 संलग्नक-5 है। इसी धारा 20 के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी में 264.23 एकड़ अर्थात 107.030 हे0 रकबा वन विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान खतौनी संलग्नक-6 है।

जहाँ तक वन विभाग द्वारा जारी 1952 की विज्ञप्ति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वन विभाग व राजस्व विभाग मे उपलब्ध अभिलेखो का परीक्षण किया गया, जिसमे निम्नलिखित तथ्य प्रकटित हुए :-

(क) वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के पृष्ट संख्या 1225 के कमांक 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे कमशः 800 एकड़ व 843 एकड़ क्षेत्रफल का उल्लेख है। जो कि कुल मिलाकर 1643एकड़ हो जाता है।

राजस्व विभाग के उपलब्ध अभिलेख 1306फ0 के खेवट मे भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

भूमि का प्रकार	कुल रकवा
परती जजीद व परती कदीम	432.84 एकड़
तालाब	1.18 एकड़
नदी नाला	16.93 एकड़
पथरैल	196 एकड़
जंगल	107.40 एकड़
पहाड़	77.15 एकड़
काश्तकारी भूमि	347.38 एकड़

इस प्रकार 1306फसली खेवट मे तालाब, नदी, नाला, पथरैल व पहाड की भूमि का कुल 291.26 एकड़ है। इसी प्रकार 1334फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1202.5 एकड़ है, जिसमे 229.375 एकड़ भूमिधरो के नाम तथा 179.375 एकड़ सीरदारो के नाम भूमि है। तहसील अभिलेखागार में 1359 फसली की खतौनी नहीं मिली परन्तु अभिलेखागार मे उपलब्ध 1359फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1209.562 एकड़ है। जिसमे सीर काश्तकार 118.025 एकड़, बजंर 803.718 एकड़, पथरैल 193.062 एकड़, बाध 1.5 एकड़ व रास्ता 0.25 एकड़ व तालाब 1.187 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व पहाड़ 74.5 एकड़ भूमि है। 1359फ0 खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1209.562 एकड है। अतः राजस्वं अभिलेख 1306फसली खेवट, 1334फसली खसरा व 1359फसली खसरा से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन मे उल्लिखित वन भूमि का कुल रकवा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है। यह किसी भी स्थिति मे राजस्व ग्राम के कुल रकबा 1209.562 एकड़ से अधिक नही हो सकता।

ख. जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध अभिलेख 1362फ0 की खतौनी का परीक्षण किया गया जो जीर्ण–शीर्ण है। जिसमे कुछ खातो का विवरण उपलब्ध है। इस खतौनी मे श्रेणी–02 – जो सीरदारो के अधिकार मे है, कुल 168गाटा कुल रकबा 901.875 एकड़ पर सीरदारो का नाम अंकित है। जिसपर भौमिक वर्ष 01वर्ष लिखा गया है। जिसका अर्थ यह है कि 1362फ0 खतौनी के निर्माण वर्ष 1955 से 01वर्ष पूर्व 1954 से ही उक्त भूमि 901.875 एकड़ सीरदारो के अधिकार मे थी। अतः स्पष्ट है कि तत्समय नदी, नाला, पहाड़ व पथरैल की भूमि जो 1952 नोटिफिकेशन के सेड्यूल–2 Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. के रूप मे परिभाषित है जिसका रकवा मात्र 264 एकड़ ही है।

ग. वन विभाग के दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर रकवा कमशः 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ को सेड्यूल 02 मे रखा गया है तथा सेड्यूल 02 को परिभाषित

करते हुए कहा गया है कि – Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. अर्थात उस भूमि का विवरण जो ग्राम सभा मे नही है तथा तत्समय वन के रूप मे है। राजस्व विभाग का 1359फ0 खसरा जमीदारी विनाश अधिनियम के समय तैयार किया गया आधार वर्ष खसरा है खसरा वह राजस्व दस्तावेज है जो प्रति कृषि वर्ष भूमि की प्रकृति, उसपर लगी फसल, भूमि का स्वामित्व आदि प्रदर्शित करता है। 1359फ0 के खसरा मे 803.718एकड़ बजंर भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बजर भूमि रकवा 803.718एकड़ वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के सेड्यूल–2 के अन्तर्गत नही हैं। 1359फ0 खसरा मे 803.718 एकड़ रकवा बजर भूमि होना यह प्रदर्शित करता है कि तत्समय उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया था। किन्तु इस का अर्थ यह नही है कि उक्त भूमि तत्समय किसी स्वामित्व के अन्तर्गत नही थी। 1359फ0 खसरा मे पथरैल भूमि का रकवा 193.162 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व नाला 6.375 एकड़ व पहाड 74.5 एकड़ कुल रकवा 284.599 एकड़ था।

घ. वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14–ख–67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये गाटा संख्या 1, 24, 68, 73/1, 74मि, 184, 185 कुल रकवा मात्र 264 88 एकड़(423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1366 से 1368फसली खतौनी मे उक्त गाटो का विवरण व नवैयत निम्नवत् है–

गाटा संख्या	क्षेत्रफल	नवैयत
1	151बीघा 1विस्वा	पथरैल
24	131बीघा 10विस्वा	पथरैल
68	3बीघा 2विस्वा	नाला
73/1	14बीघा 15विस्वा	पथरैल
74मि0	9बीघा 14विस्वा	नदी
184	105बीघा 12विस्वा	पहाड
185	13बीघा 12विस्वा	पहाड
योग–	429 बीघा 6विस्वा या 268.31 एकड़	

उपरोक्त गाटो मे से गाटा संख्या 1,24,73/1, 74,184 व 185 कुल रकवा 423बीघा 12विस्वा अर्थात 264.88 एकड़ की विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 विज्ञप्ति संख्या 4646/14–02–20 (41)–77 भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ। जिससे स्पष्ट है कि वन विभाग के 1977 के धारा–20 के प्रकाशन मे केवंल पथरैल व नदी व पहाड़ की ही भूमि का प्रकाशन किया गया था। जिसमे पूर्व की किसी भी बजर भूमि या सीरदारो की भूमि का प्रकाशन नही था। वन विभाग की धारा–20 की विज्ञप्ति के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी मे भी भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

वर्तमान गाटा संख्या	क्षेत्रफल. हेक्टेयर मे	पुराना नम्बर
1	13.600हे0	1मि
2	13.380हे0	1मि
3	4.750हे0	1मि
4क	6.000हे0	1मि
4ख	0.250हे0	1मि
5	16.700हे0	24मि
6	10.400हे0	25मि
23छ	2.010हे0	73मि
30	1.750हे0	73मि
31ख	1.010हे0	74मि
32	0.170हे0	68मि
53	6.150हे0	24मि
74	0.450हे0	68मि
198छ	1.310हे0	131मि
219	9.050हे0	184मि
232	9.000हे0	184मि
233	8.000हे0	184मि
234	2.850हे0	185
योग	107.030हे0 अर्थात 423 बीघा 3बिस्वा 3धूर अर्थात 264.23 एकड़	

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–20 के प्रकाशन के समय मात्र 264.88 एकड़ भूमि ही वन भूमि थी। जो 1952 के नोटिफिकेशन मे प्रकाशित कुल रकबा 1643एकड़ की सत्यता को संदिग्ध करता है।

च. जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा–117– कुछ भूमि आदि का ग्रामसभाओ तथा अन्य स्थानिक अधिकारियो मे निहित होना–धारा–01, धारा–04 मे उल्लेखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राजस्य सकार, (सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा) यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ विनिर्दिष्ट किये जाने के दिनांक से निम्न लिखित सभी या कोई वस्तु अर्थात–

(1) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोडकर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नही,
(2) जंगल,
(3) स्रोत मे अथवा जोत की मेड पर या बाग अथवा आबादी मे स्थित पेडो को छोडकर सभी पेड,
(4) मीनाशय
(5) ऐसी भूमि जिनपर धारा–18 की उपधारा 1 के खण्ड क से ग के उपबन्द लागू होते हो अथवा धारा–9 मे उल्लेखित स्थलो तथा क्षेत्रो पर लगने वाले हाटो, बाजारो और मेलो से भिन्न हाट, बाजार और मेले,
(6) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालिया, रास्ते व आबादी के स्थल

जो इस अधिनियम मे अधीन राज्य मे निहित हो गये हो, उस सम्पूर्ण गाव या उसके भाग के लिए जिसमे उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित ग्राम सभा या किसी अन्य अधिकारिकी मे अथवा एक ऐसे स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा भी है), और अंशतः दूसरे मे निहित हो जायेगे।

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–117 की उपधारा–2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके कम मे वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा–20 के अन्तर्गत श्रेणी–6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359फसली खसरा मे बंजर भूमि जिसका रकवा 803.718एकड़ है, उक्त भूमि 1362फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख मे वर्ष 1954 से ही सीरदारो के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नही है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति मे ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 मे निहित/प्रदत्त शाक्तियो से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 मे उपरिलिखित 6 श्रेणियो की भूमि मे नही आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नही था एवं वर्तमान में भी सम्भव नही है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा कय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नही है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।

तहसीलदार सदर, मीरजापुर

उप जिलाधिकारी सदर, मीरजापुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार, मीरजापुर

अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0) मीरजापुर
23.03.2024

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर

Annexure-8

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 3056 /मीरजापुर/15 दिनांक मीरजापुर मार्च 5, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय– वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–1– विशेष सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या–1705/81–2–2019–800(64)/2016 लखनऊ दिनांक 26.08.2019।

2– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या–398/11–सी–FP/UP/THERMAL/14236/2015, दिनांक 27.08.2019।

3– आपका पत्रांक– 990/मी0/33 दिनांक 29.08.2019।

महोदय,

वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, जनपद–मीरजापुर में विज्ञप्ति सं0–617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा–20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों की विधिवत जांच कर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मै0 वेलेस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि 834.68 एकड़ में वन भूमि निहित तो नहीं है।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे शासन द्वारा विस्तृत आख्या/टिप्पणी की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या/टिप्पणी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 924/मी0/15 दिनांक 03.09.2019 एवं पत्रांक 2585/मी0/15 दिनांक 10.01.2020 द्वारा जिलाधिकारी, मीरजापुर से अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक 1869 दिनांक 12.02.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जांचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन किया गया।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 1916/जि0भू0व्य0लि0–2023/थर्मल ए0 यू0 पी0 प्रा0लि0/दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक–1) द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट/विस्तृत

(136)

आख्या/टिप्पणी उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उल्लिखित है कि "धारा–117 की उपधारा–2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम में वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा–20 के अन्तर्गत श्रेणी–6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम–ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनदेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्नकर संस्तुति सहित मय संलग्न को संलग्नकर 04 प्रतियो में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 3056 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, महोदया मीरजापुर को उनके पत्र संख्या–1916/जि0भू0व्य0लि0–2023/थर्मल ए0यू0पी0प्रा0लि0/दिनांक 29.02.2024 एवं पत्रांक–1917/जि0भू0व्य0लि0–2023/थर्मल ए0 यू0 पी0 प्रा0लि0/दिनांक 29.02.2024 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

Annexure-9

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– ५४५७ /मी०क्षे०/33/मीरजापुर, दिनांक, मई, 15– 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ ।

विषय– वैलेस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा० लि० द्वारा ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर,जनपद–मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– 1–विशेष सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक–1705/81–2–2019–800(64)/2016 लखनऊ दिनांक 26.08.2019

2–आपका पत्रांक–398/11–सी–FP/UP/Thermal/14236/2015 दिनांक 27.08.2019

3–प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर का पत्र संख्या–3056/मीरजापुर/15 दिनांक 05.03. 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.08. 2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–3056/मीरजापुर/15 दिनांक 05.03.2024 (छाया प्रति संलग्न) है, द्वारा आख्या मय अभिलेखीय साक्ष्य सहित संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्तगत प्रकरण आख्या एतद सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजीव सिंघल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या– ५४५७–/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ को उ०प्र०, शासन के सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्नगत प्रकरण की आख्या एतद सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ०प्र०,लखनऊ को उ०प्र०, शासन के सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्नगत प्रकरण की आख्या एतद सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को सन्दर्भित पत्र क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(संजीव सिंघल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

वन विभाग

विज्ञप्ति

[illegible]

[illegible]

जिला मिर्जापुर

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	गांव	ब्लाक सं०	ब्लाक की चौहद्दी	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१	[illegible]	[illegible]	[illegible]	१	[illegible]	[illegible]	
२	[illegible]	[illegible]	[illegible]	२	[illegible]	[illegible]	
३	[illegible]	[illegible]	[illegible]	३	[illegible]	[illegible]	
४	[illegible]	[illegible]	[illegible]	४	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

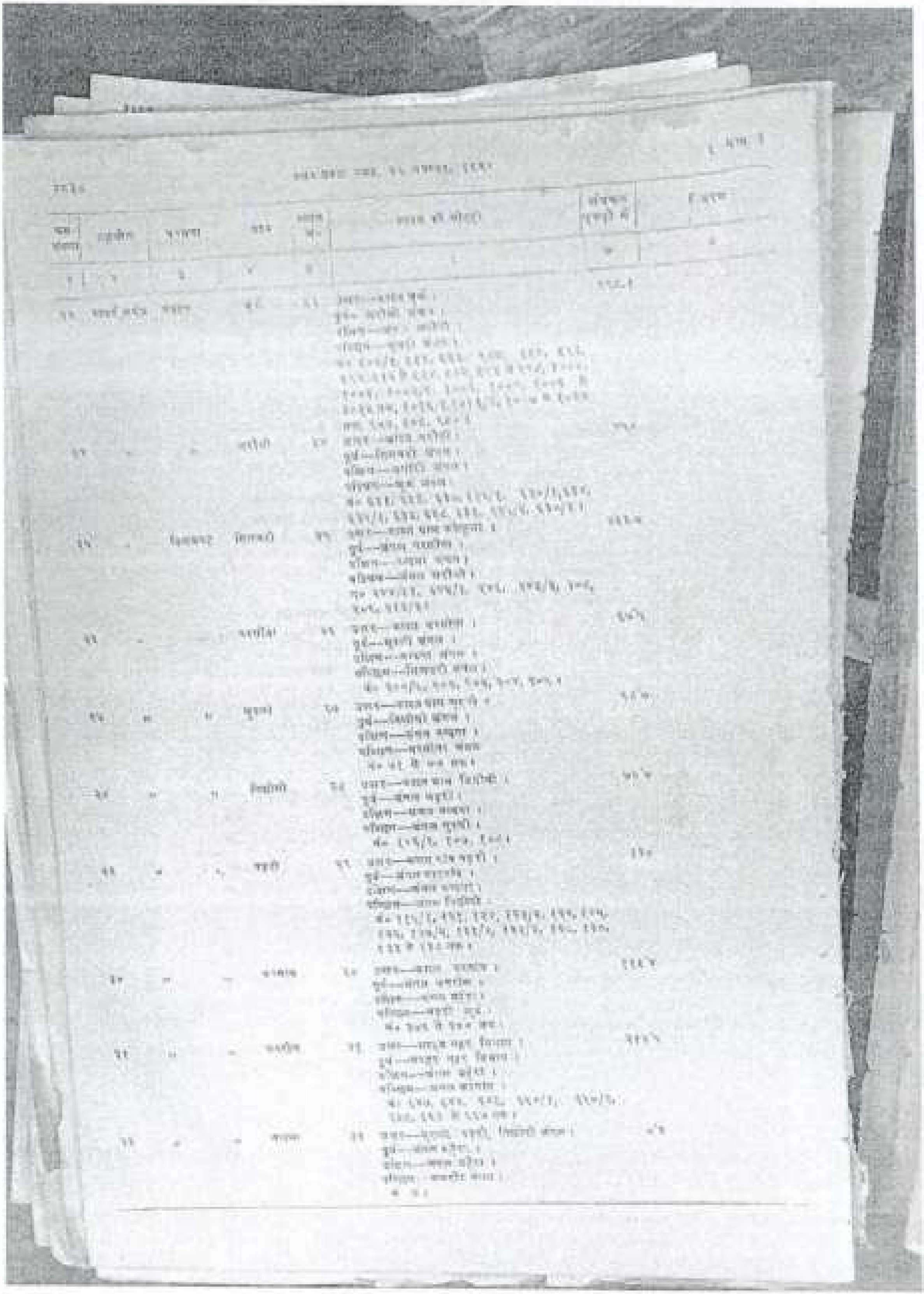

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	गाँव	[illegible]	स्थान की चौहद्दी	क्षेत्रफल एकड़ों में	अभियुक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८
					दक्षिण—[illegible]		[illegible]

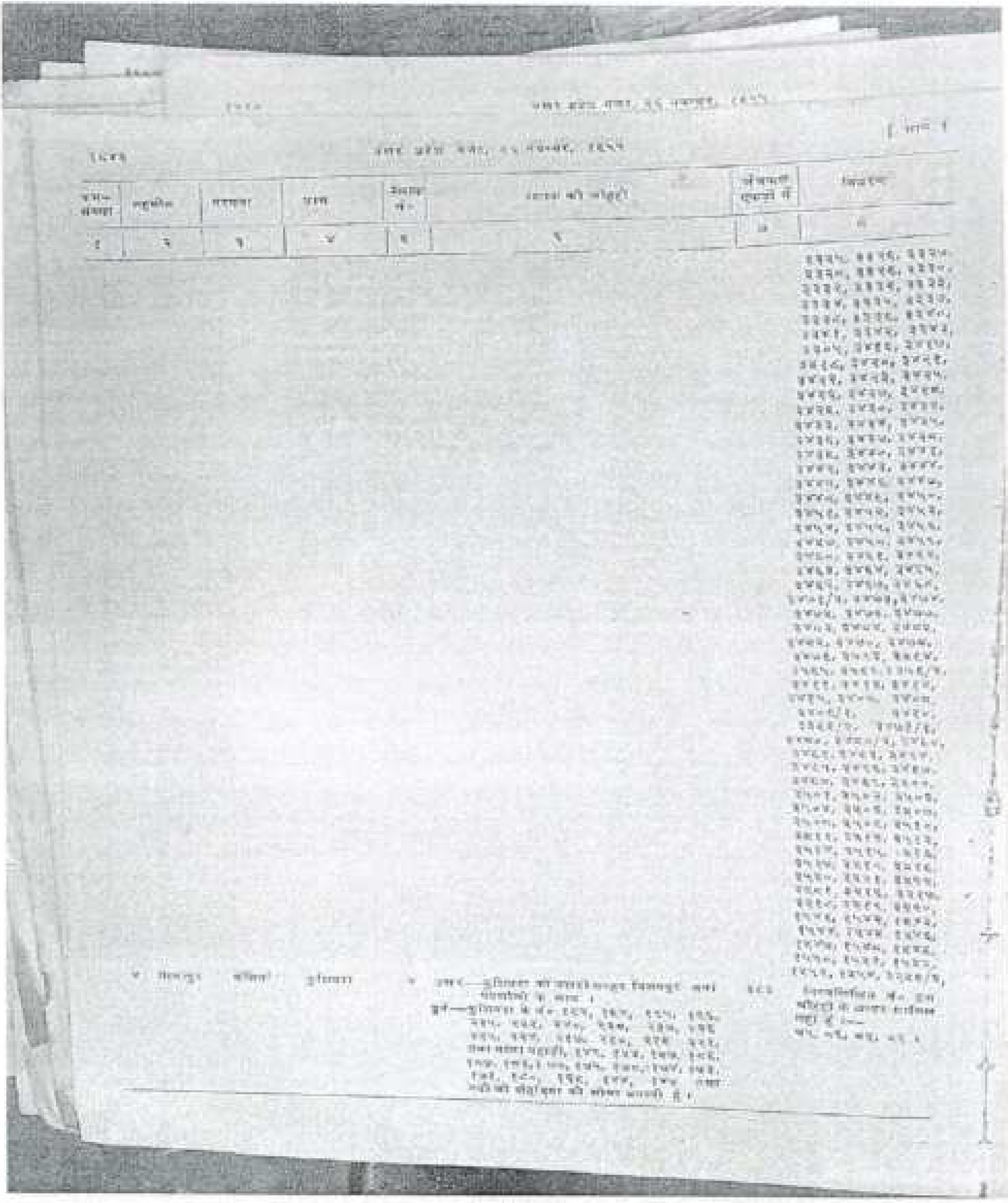

[illegible]

क्रम-संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	[illegible] नं०	[illegible] की चौहद्दी	[illegible]	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] ग्रामों की सीमायें हैं। पूर्व—[illegible] ग्रामों की सीमायें हैं। दक्षिण—नं० [illegible]।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं:— [illegible]।
[illegible]	”	”	”		पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमायें हैं।		
११	”	”	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] की सीमायें। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा। दक्षिण—[illegible] ग्रामों की सीमायें हैं। पश्चिम—[illegible] ग्रामों की सीमायें हैं।	[illegible]	
१२	”	”	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] सीमा। पूर्व—[illegible] की सीमा है। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं:— [illegible]।
१३	”		[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] ग्राम की सीमा। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा है। दक्षिण—नं० [illegible]। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा है।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं:— [illegible]।
१४	”	”	[illegible]	[illegible]	उत्तर—[illegible] ग्राम की सीमा है। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा है। दक्षिण—नं० [illegible] ग्राम की सीमा है। पश्चिम—[illegible] ग्राम की सीमा है।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं:— [illegible]।
१५	”	”	”	[illegible]	उत्तर—नं० [illegible]। पूर्व—[illegible] ग्राम की सीमा है। दक्षिण—[illegible] ग्राम की सीमा है। पश्चिम—नं० [illegible]।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं:— [illegible]।
१६	”	”	[illegible]	[illegible]	उत्तर—नं० [illegible]। पूर्व—[illegible] की सीमा है।	[illegible]	निम्नलिखित नं० इस चौहद्दी के अन्दर शामिल नहीं हैं:— [illegible]।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	विवरण
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

शुद्धि-पत्र

[illegible] ई०

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१	२	३	४
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

शिक्षा विभाग

छुट्टी

[illegible] ई०

[illegible]

नियुक्ति

[illegible] ई०

[illegible]

नाम तथा पद	विद्यालय का नाम	विवरण
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] ई०

[illegible] नियुक्त किया गया।

[illegible] ई०

[illegible] नियुक्ति की गई है।

[illegible]

विज्ञप्ति

[illegible] ई०

[illegible]

प्रतिज्ञा-पत्र

[illegible]

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

Badri Khand on page [illegible] 57

December 27, 1955

No. 5566/XIV.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act (XVI of 1927) and in continuation of notification no. 5056/XIV, dated November 12, 1955, the Governor is pleased to declare that it has been decided to constitute the land shown in the subjoined Schedule in Mirzapur District reserved forests.

Under section 1(c) of section 4 of the said Act, the Sub-Divisional Officers of the sub-divisions named are hereby appointed Forest Settlement Officer and under section 17 of the said Act, the Additional Commissioner, Banaras Division, is empowered to hear appeals from the orders of the Forest Settlement Officers.

Schedule

Tahsil	Pargana	Village	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks
2	3	4	5	6	7	8
			District Mirzapur			
Mirzapur ..	Kantit ..	Rampur Madhan ..	24	*South*—Uttar Dani Forest .. *West*—Fields of Uttar Dani. *North*—Cultivated area of Rampur Madhan village. *East*—Rampur [illegible] village boundary.	113	
Do. ..	Do. ..	Bhari Maganha ..	25	*South*—Gaura village boundary. *West*— Ditto. *North*—Residual Forest. *East*—Cultivated area of Bhari Maganha.	165	
Do. ..	Do. ..	Gibora ..	26	*South*—Village boundaries of Gibora and Maganha Kalan and Khurd. *West*—Dadhauna village boundary. *North*—[illegible] village boundary. *East*—Cultivated area of Karanpura.	545	
Do. ..	Do. ..	Kohi ..	27	*South*—Kohi village boundary. *West*—Majhgawa Forest. *North*—Babahi village boundary. *East*—Babahi and Kohi villages.	281	
Do. ..	Do. ..	Dhari Dubar Khurd ..	28	*South*—Agricultural fields of Dhari Dubar Khurd. *West*—[illegible] village boundary. *North*—Dhari Uttar Forest. *East*—[illegible] Forest.	250	
Do. ..	Do. ..	Barkachha Kalan ..	29	*South*—[illegible] village boundary. *West*—Barkachha Khurd Forest and [illegible] Forest. *North*—Agricultural fields of Barkachha Kalan. *East*—[illegible] Khurd.	3,466	
Do. ..	Do. ..	Babahi ..	30	*South*—Common boundaries of Babahi, Lohi and Kohi villages. *West*—Village boundaries of Kohi and [illegible] village. *North*—Village boundary of [illegible] Khurd. *East*—[illegible] village boundary.	1,192	

By order,
[illegible] HASAN, *Secretary.*

द्वारा प्रति सत्यापित
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

Serial	Pargana	Village	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks	Tahsil	Pargana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					15,791			
[illegible]	Kantit	Belo	55	South—Khhaiti River and Forest. West—Common boundary of Rotura and Belo villages. North—Dadri Forest. East—Dadri and Bansol Forest.	1,153		56 Mirzapur	Kantit
	Do.	Do.	Dadri	56 South—Belo and Bansol Forest. West—Rotura village boundary and Khajuri River. North—South Beola Forest and Bhagwa Darkundha Grant. East—Ghinhaul and Dadri Gohrula Forest.	758			
	Do.	Do.	Dadri Khurd	57 South—Dadri Forest. West—Agricultural fields of Dadri Khurd and Dadri Gohra. North—Bakhaul Forest. East—Darkhuna Forest.	[illegible]			Do.
	Do.	Do.	Madhan	58 South—Cultivated area of Madhan village and [illegible] Forest. West—Dadri Kalan fields. North—Darkhuna Forest. East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	[illegible]			
	Do.	Do.	Bahraha Kalan	59 South—Dadri Ram Forest. West—Dadri Ram village boundary. North—Agricultural fields of Bahraha Kalan village. East—Dadri Ram forest and Pasnahiya fields.	220		Do.	Do.
	Do.	Do.	Bakhaul	60 South—Dadri Khurd and Darkhuna Forest. West—Ghinhaul Forest. North—Agricultural fields of Bakhaul and Dearhi villages. East—Dadri Ram village boundary.	314		Do.	Do.
	Do.	Do.	Dadri Ram	61 South—Common boundary of Madhan and Darkhuna villages and then Dadri Ram and Dadri Kalan. West—Common boundary of Dadri Khurd and Darkhuna villages and then Darkhuna and Bakhaul villages. North—Agricultural fields of Darkhuna village, Bahraha Kalan [illegible] and then Pasnahiya fields. East—Forest boundary of Umaria Bardar and then Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	3,050			Do.
[illegible]	Do.	Do.	Umaria Bardar	62 North—Dadri Ram forest. West—Ditto. South—Ditto. East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar tahsils.	144			
[illegible]	Do.	Do.	Kurmpura	63 South—Common boundary of Kurmpura and Rajpur villages and then Kaira-pur Kalan villages. West—Boundary of Dadri and Magardah Grants. East—Boundary of Belo and Pasnahiya Grants. North—Agricultural fields of Kurmpura and Harwal forest.	1,3[illegible]			
					23,7[illegible]			

छाया प्रति सत्यापित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

सं० २३ (२)३६(ब)/१४-ख—६७—राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को रक्षित वन बनाया जाय;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ए) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और विज्ञप्ति संख्या ५५६४/१४, दिनांक २७ दिसम्बर, १९५५ का आंशिक परिष्कार करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि को रक्षित वन बनाना निश्चित किया गया है।

२—राज्यपाल, उपर्युक्त ऐक्ट की उक्त धारा की उपधारा (१) के खण्ड (सी) के अधीन श्री उमाशरन मिश्र, डिप्टी कलेक्टर, मिर्जापुर को उक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं :

अनुसूची

दाढ़ीराम ब्लाक

जिला	तहसील	परगना	तप्पा	ब्लाक के ग्रामों का क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा प्लाट संख्या	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६	७	८
							बी० बि० बि०
मिर्जापुर	मिर्जापुर	कंतित	८४	१	सुखनई	३७५	७ १६ ०
						३८२	१ ६ ०
						३८३	२ ३ ०
						३८४	३ १८ १
						३८५	३ १४ ०
						३८६	१ १ ०
						३८७	१ ३ ०
						३८८	० ४ ०
						३८९	० ४ ०
						३९०	१ ७ ०
						३९१	० ७ ०
						३९२	० १४ ०
						३९३	० १७ ०
						३९४	१ ११ ०
						३९५	० १३ ०
						३९६	० १६ ०
						३९७	० १३ ०
						३९८	० ४ ०
						३९९	० १० ०
						४००	१ ० ०
						४०१	० १७ ०
						४०२	१ ४ ०
						४०३	० ७ ०
						४०४	१ १० ०
						४०५	० ४ ०
						४०६	१ १ ०
						४०७	० ४ ०
						४०८	० ७ ०
						४०९	० १६ ०
						४१०	१ १६ ०
						४११	० ४ ०
						४१२	१ १० ०
						४१३	० १२ ०
						४१४	० १२ ०
						४१५	० १० ०
						४१६	० ६ ०
						४१७	१ ३ ०
						४१८	० १६ ०
						४१९	० ४ ०
						४२०	० १४ ०

(194)

१	२	३	४	५	६	७	८
							बी० बि० बि०
मिर्जापुर	मिर्जापुर	कंतित	८४	५	उमरियाङ्गीरदार	७५	१० १२ ०
						७६	३ १० ०
						७७	१४ ८ ०
						७८	७८ १२ ०
						७९	७१ ११ ०
						८०	७९ ८ ०
						८१	१ १७ ०
						८२	१५० १० ०
						८३	४४ १ ०
						८४	३६ ७ ०
					६ मड़िहान	१	१ १९ ०
						२	० ८ ०
						३	११२ १२ ०
						४	२७ १३ ०
						२०–मि०	३ ० ०
						४४	१४५ १३ ०
						४५	[illegible]१ ११ ०
						४६–मि०	१ ० ०
					७ परेवर	१	१ १८ ०
						२	४० ११ ०
						१७	१ १० ०
						१८	२ १७ ०
						१९	४ १४ ०
						२३	११ १६ ०
						२४	३ ६ ०
						२५	४७ ८ ०
						२६	३७ ४ ०
						२७	० १० ०
						२८/१	४ ११ ०
						२९	४ १३ ०
						३०	३६ १५ ०
						३३	२ ० ०
						३४	१ ० ०
						३५	५ ० ०
						३६	२ ८ ०
						४२	० ३ ०
						४३–मि०	२९ १२ ०
						४५	० २ ०
						४६	० ११ ०
						४७	३० १९ ०
						४८	८ १ ०
						४९–मि०	१७ ० ०
						५०–मि०	५ ० ०
					८ ददरीखुर्द	१	१५६ १ ०
						२४	१३१ १० ०
						६८	३ २ ०
						७३/१	१४ १५ ०
						७४–मि०	४ ० ०
						१८४	१०५ १२ ०
						१८५	१३ १२ ०
						योग ..	१५,०२६ १५ ०
							अथवा
							९,३३१ ०८ एकड़

20 जुलाई, 1977 ई०

अ० भ० ग०—2

अधिसूचना

सं० 4646/14-2—20(41)-77—अधिसूचना संख्या 33 (2)-36(8)—14-बी-67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 द्वारा अधोलिखित अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट भूमि को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन, आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है; और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूची 'क' में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिनांक 30 जनवरी, 1978 से अनुसूची 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची 'क'

ब्लाक बाड़ी रामे-स्थिति और क्षेत्रफल

1	2 (बी० बि० बि०)
ग्राम—सुखनई	
875	7 19 0
382 ✓	1 9 0
383	2 3 0
384	3 18 0
385	3 14 0
386	1 1 0
387	1 3 0
388	0 4 0
389	0 4 0
390	1 7 0
391	0 7 0
392	0 14 0
393	0 17 0
394	1 11 0
395	0 13 0
396	0 16 0
397	0 13 0
398	0 4 0
399	0 10 0
400	1 0 0
401	0 17 0
402	1 4 0
403	0 7 0
404	1 10 0
405	0 4 0
406	1 1 0
407	0 4 0
408	0 7 0
409	0 15 0
410	1 16 0
411	0 4 0
412	1 10 0
413	0 12 0
414	0 12 0
415	0 10 0

1	2 (बी० बि० बि०)
416	0 9 [illegible]
417	1 3 0
418	0 16 0
419	0 4 0
420	0 14 0
421	0 14 0
422	0 6 0
423	0 2 0
424	0 8 0
425	0 14 0
426	0 3 0
427	0 11 0
428	0 1 0
429	1 7 0
430	1 4 0
431	1 4 0
432	1 4 0
433	1 8 0
434	1 [illegible] 0
435	0 4 0
436	0 15 0
437	0 11 0
438	1 1 0
439	0 8 0
440	0 11 0
441	0 19 0
442	1 4 0
443	1 7 0
444	1 0 0
445	1 7 0
446	1 0 0
447	1 0 0
448	1 0 0
449	0 8 0
450	0 12 0
451	0 10 0
452	0 10 0
453	0 19 0
454	1 0 0
455	0 13 0
456	2 5 0

1	2 (बी० बि० बि०)
457	0 16 0
458	0 14 0
459	1 0 [illegible]
460	1 14 [illegible]
461	1 8 0
462	1 17 0
463	1 1 0
464	2 3 0
465	1 11 0
466	7 3 0
467	6 9 0
468	4 2 0
469	3 3 0
470	8 10 0
471	3 5 0
472	1 1 0
473	0 8 0
474	0 8 0
475	0 14 0
476	2 4 0
477	0 7 0
478	0 9 0
479	0 10 0
480	1 3 0
481	3 10 0
482	0 9 0
483	10 5 0
484	0 6 0
485	1 7 0
486	0 10 0
487—मि०	250 10 0
488	0 9 0
योग	394 4 10
2391—मी०	51 0 0
2506—मी०	00 0 0
932	236 16 0
2525—मी०	153 0 0
2507	2 3 0
2508	158 2 0

1	2 (बी० बि० बि०)
2509	1 12 0
2510	892 14 0
2511	72 6 0
2512	1 6 0
2513	20 7 0
2514	1 11 0
2515	4 19 0
2516	3 14 0
2517	23 19 0
2518	0 16 0
2519	6 4 0
2520	4 0 0
2521	340 1 0
2522	176 12 0
2523	0 18 0
2524	39 10 0
2525	3 8 0
2526	43 11 0
2527	0 16 0
2528—मि०	169 4 0
2529	0 14 0
2542	134 16 0
2543	66 8 0
2544	115 19 0
2545	1 8 0
2546	74 4 0
2547	68 14 0
2548	161 0 0
2549	0 8 0
2550	70 17 0
2551	3 11 0
2552	3 2 0
2553	1 11 0
2554	3 6 0
2555	0 6 0
2556	18 4 0
2557	0 4 0
2558	2 11 0
2559	0 4 0
2560	0 12 0

1	2
	बी० बि० बि०
82	150 10 0
83	44 1 0
84	36 7 0
योग ..	1,108 11 0
ग्राम—महिहुत	
	1 19 0
	0 8 0
	112 12 0
4–मी०	27 8 0
20–मी०	3 0 0
44–मी०	145 1 0
45	1 11 0
46–मी०	1 0 0
योग ..	292 19 0

1	2
ग्राम—गेरेबर	
	बी० बि० बि०
1	1 18 0
2–मी०	40 9 0
17–मी०	1 8 0
18–मी०	2 15 0
19–मी०	4 12 0
23–मी०	11 15 0
24	3 6 0
25–मी०	47 7 0
26	37 4 0
27	0 10 0
28/1	4 11 0
29	4 13 0
30	36 15 0

1	2
	बी० बि० बि०
33–मी०	1 19 15
34	1 0 0
35–मी०	4 17 0
36	2 8 0
42	0 3 0
43–मी०	29 12 0
46	0 11 0
47–मी०	30 9 0
48	8 1 0
49–मी०	17 0 0
50–मी०	5 0 0
योग ..	298 3 15

1	2
ग्राम—एकरी ग्रन्ट	
	बी०बि०बि०
1–मी०	150 1 0
21–मी०	131 9 0
73/1	14 15 0
73–मी०	4 0 0
184	105 12 0
185	13 12 0
योग ..	419 9 0
कुल योग..	14895 17 5 या 9309.52 एकड़ या 3767.594 हेक्टेयर

सीमा का वर्णन

मुनारा संख्या	मुनारे की स्थिति	अगले मुनारे की लगभग दिशा	लगभग बियरिंग अग्रिम	लगभग बियरिंग पार्श्व	अगले मुनारे की लगभग दूरी (जरीबों में)	अगले मुनारे की सीमा का प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
			फारेस्ट ब्लाक नं० 1				
1	कृषि क्षेत्र सं० 546–596 एवं 551 के जोड़ पर	—	—	—	14.32	टेढ़ी लाइन	ग्राम बाड़ी राम व बहुती के दो–हद्दे से उ० पू० कोण 93.00 पं० प० कोण 273.00 दूरी, 17 जरीब 25 कड़ी पर पी० नं० 1 प्रारम्भ
2	कृषि क्षेत्र सं० 546–मी० के दक्षिणी मेंड़ पर	उ०प०उ०	319.00	139.30	5.28	सीधी लाइन	
3	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उभयनिष्ठ सीमा पर	उ०पू०उ०	12.00	192.00	10.25	"	
4	कृषि क्षेत्र सं० 546–मी० के पश्चिमी मेंड़ पर	प०उ०प०	313.00	133.00	6.50	"	
5	"	"	283.00	103.00	3.82	"	
6	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उभयनिष्ठ सीमा पर	पू०उ०पू०	46.00	226.00	8.60	"	
7	कृषि क्षेत्र सं० 546 में	"	118.00	298.00	7.00	"	
7–क	"	"	118.00	298.00	7.00	"	
8	कृषि क्षेत्र सं० 546 व 532 व 551 के जोड़ पर	पू०उ०पू०	118.00	298.00	8.60	"	
9	कृषि क्षेत्र सं० 532 एवं 551 के सीमा पर	प०उ०प०	18.00	198.00	19.60	"	
9–क	वन क्षेत्र सं० 532 में	उ०पू०उ०	18.00	198.00	3.80	"	
10	कृषि क्षेत्र सं० 510 के दक्षिणी मेंड़ पर	द०प०द०	197.00	17.00	12.00	"	
11	वन क्षेत्र सं० 532–मी० के पश्चिमी मेंड़ पर	"	198.00	18.00	3.80	"	
12	कृषि क्षेत्र सं० 533 के उ०पू० कोण पर	प०उ०प०	278.30	9.30	3.21	"	
13	वन क्षेत्र सं० 532–मी० के प० मेंड़ पर	प०प०उ०	204.00	24.00	6.40	"	

120-41

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक- 275 /भी.ए./I.A.-लखनऊः दिनांकःदिसम्बर 20 ,2007

सेवा में,

प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय :- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 संख्या-979 के कम में प्रदेश के समस्त जनपदों में वन स्वरूप क्षेत्रों का चिन्हीकरण।

सन्दर्भ :- उ0प्र0 शासन का अर्द्ध शा0 पत्रांक-3697/14-2-2007, दिनांक 19.12.07

महोदय,

उपरोक्त संदेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 19.12.207 को आयोजित किया गया। समिति द्वारा "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण" हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारण करने की संस्तुति की गयी है:-

- वृक्षों की प्रति हेक्टर न्यूनतम संख्या निम्नानुसार होगीः–

भौगोलिक क्षेत्र	न्यूनतम क्षेत्रफल (हे0)	वृक्षों की न्यूनतम संख्या (प्रति हे0)
विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3	100
तराई एवं मैदानी क्षेत्र	2	50

- वृक्षों से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से उगे बहुवर्षीय प्रजाति के वृक्षों से है ।
- वृक्षों की संख्या की गणना में झाड़ी एवं रूटस्टाक सम्मिलित नहीं होगा।
- भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल का आधार गाटा संख्या वार होगा। परन्तु निजी भूमि के प्रकरण में जहाँ एक गाटा में कई व्यक्तियों के नाम मिंजूमला के रूप में दर्ज है वहाँ प्रत्येक मिंजूमला प्लाट का क्षेत्रफल के मापदण्ड हेतु आधार माना जायेगा।
- निजी या सार्वजनिक भूमि पर किये गये वृक्षारोपण वन स्वरूप क्षेत्रों हेतु चिन्हित नहीं किये जायेगें।

समिति के संस्तुतियों का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण" हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2007 के कम में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(बी0के0 पटनायक)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

संख्या: (1)/14-2-2007-तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5- अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वन संरक्षक, नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

ध्यानाकर्षण श्री प्रवन कुमार (आई०एफ०एस०) सचिव वन

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर
पत्रांक 301 / मीरजापुर/33वन स्वरूप / मीरजापुर दिनांक अगस्त 1, 2008
सेवा मे,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

विषय— माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर रिट पीटिशन संख्या 2002 / 95 टी०एन० गोढा वर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य के कम मे आई०ए० संख्या 979 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम मे वन स्वरूप क्षेत्रो का चिन्हाकन किया जाना ।

सन्दर्भ— आपसे एव सचिव वन से हुई दूरभाष पर हुई वार्ता के कम मे ।

महोदय,

उक्त विषयक के कम मे उपरोक्त वाच्छित संशोधित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 4460 / 33/ मीरजापुर दिनांक 24 जून द्वारा पूर्व मे प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी गयी थी । जो कि सम्भवत आपको प्राप्त नही हो सकी थी । उक्त संशोधित रिर्पोट पुन आपको भेजी जा रही है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ए०के०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुरवन प्रभाग मीरजापुर

संख्या / स समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1— सचिव वन, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ ।
2— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
3— जिलाधिकारी ,मीरजापुर ।
4— प्रभागीय वनाधिकारी, कैमुर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर

शासनादेश संख्या 120 /14–2–2008/49 (एल) /04 दिनांक 18–1–2008 के अनुपालन में चिन्हित की गयी वन स्वरुप क्षेत्र का विवरण

जनपद–मिर्जापुर

क्र संख्या	जिला का नाम	तहसील /रेंज	गांव का नाम	भू–स्वामी का नाम	गाटा संख्या	भूमि कैटेगरी	क्षेत्रफल	कुल वृक्षों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मिर्जापुर	लालगंज/ हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	42 घ	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	8.8020	1200	–
2.	मिर्जापुर	लालगंज/ हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	54ग	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	6.3240	1887	–
3.	मिर्जापुर	लालगंज/ हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	58ग	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	55.000	7000	–
4.	मिर्जापुर	लालगंज/ हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वगै0	59घ	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	7.8260	848	खतौनी में क्षेत्रफल12.6460 अंकित है किन्तु 4.82 है0 वन विभाग के नाम अंकित हो चुका है। इसलिए कालम संख्या 8 में 7.8260 है0 दर्शाया गया है तथा इसी क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या कालम संख्या 9 में दर्शाया गया है।

5.	मिर्जापुर	लालगंज /हलिया	सगरा	1–अजित नरायन वगै0	28/5	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	22.1680	20500	–
				2–अशोक कुमार वगै0	30/1	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	33.4060	4500	–
				3–विरेन्द्र सिंह वगै0	28/5	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	22.1680	20000	–
				4– लक्ष्मी देवी पत्नी मथुरा प्रसाद	33/3	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	6.4120	5000	–
				5– सतीश कुमार वगै0	80/1	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	25.7160	18000	–
				6– बैकुण्ठ नाथ वगै0	40/1	1–क संक्रमणीय भूमिधरी	25.2930	10887	–

जिलाधिकारी
अध्यक्ष/जिला समिति
मिर्जापुर ।

जिला उद्यान अधिकारी
सदस्य
मिर्जापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग
मिर्जापुर

उप कृषि निदेशक
सदस्य
मिर्जापुर ।

मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय वनाधिकारी
वीरभद्र वन प्रभाग
वीरभद्र

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक 266 /मीरजापुर/ 23 दिनांक, मीरजापुर जुलाई,16 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय – SLOTH BEAR CONSERVATION RESERVE IN MARIHAN– SUKRIT- CHUNAR LANDSCAPE OF MIRZAPUR FOREST DIVESION, UTTAR PRADESH.

महोदय,

मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान, सुकृत एवं चुनार रेंज अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण, अध्ययन Vindhyan Ecology and Natural History Foudation, Station Road, Mirzapur के सहयोग से कराया गया, अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को पुस्तक के रूप में संकलित कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– 389 /26–11 (वेल्सपन एनर्जी) लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर, 15 2014

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,उ0प्र0
मीरजापुर।

विषयः– ग्राम ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद मीर्जापुर में मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि0 द्वारा 2X660 एम0डब्लू0 सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan(including wildlife) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1–आपका पत्रांक 1151/मी0 क्षे0/33 दिनांक 18–09–2014।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, मीरर्जापुर वन प्रभाग, मीर्जापुर का पत्रांक 995/33–वेल्सपन दिनांक 09–09–2014।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से प्रेषित विषयक प्रस्ताव का अवलोकन करें। उल्लेखनीय है कि ग्राम ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जनपद मीर्जापुर में, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी. प्राइवेट लि0 द्वारा 2X660 एम0 डब्लू0 सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध इस कार्यालय के पत्रांक 272/26–11(वेल्सपन) दिनांक 24–06–2014 से वांछित आख्या के क्रम मे प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पत्रांक 995/33–वेल्सपन दिनांक 09–09–2014 से स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत परियोजना कैमूर वन्य जीव विहार, मिर्जापुर की सीमा से लगभग 25 किमी0 दूर मीरर्जापुर वन प्रभाग क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है। परियोजना की स्थापना व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा 10 वर्षों हेतु प्रभाग के पादप व जन्तु जगत के संरक्षण उनसे प्रासंगिक विषयों के सन्दर्भ में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में 184.15 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है। उक्त के सम्बन्ध परीक्षण व वांछित आख्या के क्रम में आपके पत्रांक 1151/मी0 क्षे0/33 दिनांक 18–09–2014 से प्रश्नगत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) से सहमति के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके पत्रांक 1151/मी0 क्षे0/33 दिनांक 18–09–2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदित कर संलग्न किया जाता है।

1– उक्त Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करने हेतु उक्त प्रबन्ध योजना में उल्लिखित Monitoring Committee का गठन कर जिसका अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर से प्राप्त करना होगा।

2– जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र में व सन्निकट आरक्षित वन क्षेत्रों में विचरण करने वाले काले हिरन (Black Buck) के विस्तृत अध्ययन व संरक्षण हेतु एक कार्ययोजना वन्य जीव संस्थान देहरादून से तैयार करवा कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 को प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय,

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 309 /उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, (मध्य क्षेत्र), भारत सरकार केन्द्रीय भवन पाँचवा तल, सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव) पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0, कानपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
5. मुख्य प्रबन्धक, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि0 मिर्जापुर।

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\Ramdas-12\Letter.docx

ह0-511

(145)

कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क–सोनभद्र

पत्रांक 221 /10–1, दिनांक, चुर्क, सितम्बर 12 ,2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मिर्जापुर

विषय– मिर्जापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ददरीखुर्द ग्राम में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या–685/10–1, दिनांक, मिर्जापुर, अगस्त 29, 2024।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार,
चुर्क–सोनभद्र

"छाया प्रति प्रमाणित"

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

मिर्जापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज अन्तर्गत दादरी खुर्द ग्राम में अडानी ग्रुप कम्पनी द्वारा अवैध रूप से थर्मल पावर की स्थापना हेतु व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुंचाने विषय में आख्या देने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के पत्र सं0–666/10–1, दिनाँक, मिर्जापुर, अगस्त 29, 2024 द्वारा गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट–

समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक–06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मड़िहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1– प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मिर्जापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज में अवस्थित है।

2– मौके पर मौजूद वन प्रभाग मिर्जापुर के कार्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।

3– प्रश्नगत स्थल पर पत्थरो की घेरावन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेरावन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।

4– निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नही मिला।

5– प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने–जाने के लिए एक कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।

6– निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ो की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।

7– प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं यहां पेडो का घनत्व काफी कम है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

(रामदरश आदिवासी)	(सन्तोष कुमार)	(राम कैलाश आर्य)	(शिवम सिंह)	(सूरज पाण्डेय)
वन रक्षक	वन दरोगा	वन दरोगा	वन दरोगा	वन दरोगा
हलिया रेंज	घोरावल रेंज	गुर्मा रेंज	राबर्ट्सगंज रेंज	का0व0जी0प्र0 चुर्क
/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य

(अजय नारायन मिश्रा)	(सुरजू प्रसाद)	(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी	क्षेत्रीय वन अधिकारी	वन्य जीव प्रतिपालक
हलिया रेंज	घोरावल रेंज	कैमूर वन्य जीव विहार
/समिति के सदस्य	/समिति के सदस्य	चुर्क–सोनभद्र
		/समिति के अध्यक्ष

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

153
हेवा 5/3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या– /33–1 मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर 09, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0–883/2024 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024

सन्दर्भ– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पत्रांक–388/10–1(कोर्ट केस) दिनांक–08.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक–03.07.2024 के संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "Expert flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" का स्वतः संज्ञान लेते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ0ए0सं0–883/2024 के रूप में संस्थित किया गया है।

प्रश्नगत समाचार उत्तर प्रदेश राज्य के मीरजापुर जनपद के मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ददरीखुर्द ग्राम में सन् 1952 में अधिसूचित कथित वन क्षेत्र में भारी मशीनों का उपयोग कर सड़क निर्माण कर क्षेत्र में वन अधिनियम 1980 या वन (संरक्षण एवं सम्वर्द्धन) अधिनियम 2023 का उल्लघंन कर क्षेत्र में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा अवैध रूप से थर्मल पावर की स्थापना हेतु व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुचाने का उल्लेख है।

उक्त वाद में प्रारंभिक स्तर पर मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 23.07.2024 को सुनवाई कर आदेश पारित करते हुये मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तर प्रदेश को प्रतिवादी सं0–2 के रूप में Implead कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है तथा वाद की सुनवाई हेतु 25.10.2024 की तिथि नियत है।

विषयक वाद में नोटिस में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर स्थलीय निरीक्षण कराकर जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त विषयक प्रकरण की जाँच वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में सम्पादित की गयी। संयुक्त जाँच आख्या रिपोर्ट संलग्न है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा विषयक वाद भी उन्हीं से सम्बन्धित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में आवश्यक दिशा–निर्देश देने एवं अपने स्तर अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र मयसंलग्नकों सहित।
2–शासन का पत्र सं0–2685(1)/14–4–93 दिनांक–18.10.1993

भवदीय

(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

संख्या– 1134 / 331 तददिनांक।

प्रतिलिपि–1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रजिस्टर क्रमांक 2359
फाईल
दिनांक 14.10.24

(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

क्षेत्रीय वन अधिकारी

Annexure-18

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0सं0– 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में गठित काम्बिग टीमों की

संयुक्त काम्बिग रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0सं0– 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र महोदय के कार्यालय आदेश दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन इस आशय से किया गया था कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार स्थलीय निरीक्षण एवं गूगल मैप व फोटोग्राफ संलग्न कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जाँच के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 689/मीरजापुर/एन0जी0टी दिनांक 23 अगस्त, 2024 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारियों/ उप क्षेत्रीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कुल 4 काम्बिग टीमों का गठन कर मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में प्रश्नगत स्थल व आस–पास के वन क्षेत्रों में सघन काम्बिग कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार स्थलीय निरीक्षण/जाँच की अपेक्षा की गयी। जाँच के क्रम में समस्त टीमों द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2024 को मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में प्रश्नगत स्थल तथा आस–पास के वन क्षेत्रों में गठित टीमों द्वारा समग्र रूप से सघन काम्बिग की गयी। जिसकी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट बिन्दुवार महोदय के समक्ष प्रस्तुत है।

1. " सघन काम्बिग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा–ठूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ–डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन काम्बिग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस–पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान में अडानी पॉवर की सहायक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 (पूर्व में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के नाम से) के स्व:मित्व मे है, द्वारा परियोजना भूमि को चारो ओर से घेर–बाड़ करने हेतु प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।
4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि/वन क्षेत्रों

(129)

से किसी भी प्रकार की लैन्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

5. जाँच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर-रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेलस्पन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011-12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।
6. प्रश्नगत स्थल पर पहुचने के लिए मीरजापुर-राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) मार्ग से 1.7 किमी0 लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों-कुनवियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस-पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलभ आवा-गमन हेतु मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।

उपरोक्त काम्बिंग ऑपरेशन/स्थलीय निरीक्षण से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" में व्याख्याकित शिकायत प्रथमदृष्टया मनगढ़ंत एवं असत्य प्रतीत होता है। अतः संयुक्त काम्बिंग रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक :- यथोपरि।</u>

महादेव मौर्य उप क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज	राकेश कुमार सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी सुकृत रेंज	राजेन्द्र प्रसाद क्षेत्रीय वनाधिकारी विण्ढमफाल रेंज	आनन्द शेखर 10/9/24 क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज
संजय गुप्ता व०र० वन रक्षक	सतीश कुमार वन रक्षक	प्रमोद कुमार वन दरोगा	विनीत तिवारी उप क्षेत्रीय वनाधिकारी
आशीष सिंह वन रक्षक	मनोज कुमार (व०र०) वन रक्षक	अभिषेक सिंह वन रक्षक	सीतारिंग वन दरोगा

डी.एस. मैथ्यू
D.O. Mathur

Annexure-19

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0सं0– 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में गठित जॉच समिति की

जॉच-रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0सं0– 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र महोदय के कार्यालय आदेश दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जॉच समिति का गठन करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार स्थलीय निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट/जॉच आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। [illegible] 6 [illegible] 869/मीरजापुर/[illegible] दिनांक 23 अगस्त 2024 द्वारा तीन सदस्यीय [illegible] टीमों का गठन कर प्रश्नगत स्थल व आस-पास के क्षेत्रों की सघन कॉम्बिंग करते हुए संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। गठित टीमों द्वारा दिनांक 31.08.2024 को कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दिनांक 10.09.2024 को संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया (संलग्नक-1) जिसका अंश बिन्दु निम्नवत है-

1. " सघन कॉम्बिंग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा-ठूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ-डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन कॉम्बिंग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस-पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि [illegible] कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 (पूर्व में वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 नाम से) के स्वामित्व में है, द्वारा परियोजना भूमि को चारो ओर से घेर-बाड करने हेतु प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।
4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाडियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। [illegible] से किसी भी प्रकार की लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाडियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

5. जाँच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर-रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे कम्पनी द्वारा वर्ष 2011-12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।
6. प्रश्नगत स्थल पर पहुचने के लिए मीरजापुर-राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) मार्ग से ... लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसो-कुनबियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस-पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलभ आवा-गमन हेतु मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।

उपरोक्त काम्बिग ऑपरेशन/स्थलीय निरीक्षण से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" में व्याख्याकित शिकायत प्रथमदृष्टया मनगढ़त एवं असत्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत जाँच समिति के सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं प्रकरण के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे लेख का अवलोकन सहित अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये, जिनका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है-

1. प्रश्नगत स्थल मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में स्थित है, जिसे वेलस्पन एनर्जी यूपी.प्रा0लि0 द्वारा वर्ष 2011 से 2013 के मध्य विभिन्न काश्तकारो से क्रय किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 834.68 एकड़ है।
2. अगस्त 2019 में उक्त कम्पनी का विधिवत हस्तानान्तरण करते हुए अडानी पावर इण्डिया लिमिटेड द्वारा समग्र रूप से अधिग्रहित कर लिया गया, जो वर्तमान में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के नाम पंजीकृत हो गया है।
3. कम्पनी द्वारा क्रय की गयी समस्त भूमि (834.68 एकड़) को नामांतरण के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया। स्पष्ट है कि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा क्रय की गयी भूमि (परियोजना भूमि) मे आरक्षित/संरक्षित/निहित वन सम्मिलित नहीं है।
4. काम्बिग आपरेशन्स में आरक्षित वन क्षेत्र से कहीं भी वृक्षों के कटान की पुष्टि नहीं हुयी है।
5. कम्पनी द्वारा प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब का उपयोग कर मौके पर जो भी निर्माण कार्य कराया गया है वह परियोजना भूमि में स्थित है। आरक्षित/वन भूमि में इस प्रकार का कोई कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

6. [illegible] स्थल पर [illegible] कार्य के दौरान लेन्टाना/वन तुलसी और [illegible] की सफाई कर एकत्रित किया हुआ पाया गया, आरक्षित भूमि से लेन्टाना आदि के कटान की पुष्टि नहीं हुई।
7. एप्रोच वन मार्ग पर लगभग 250 मीटर लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य किया गया था जो वर्षा के कारण लगभग बह गये है।
8. कम्पनी द्वारा परियोजना भूमि में पूर्व में निर्मित एक कमरा सुरक्षा गार्ड तथा वर्तमान में प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर रूम पाया गया। आरक्षित/वन भूमि में कम्पनी द्वारा कोई अवसंरचनात्मक कार्य किया जाना नहीं पाया गया।

जाँच समिति सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के समस्त पहलुओं से जाँच की गयी, जिसमें आरक्षित/वन भूमि से कटान अथवा अन्य कोई अवसंरचनात्मक कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं हुई। कम्बिंग ऑपरेशन/स्थलीय निरीक्षण से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" में व्याख्यांकित शिकायत प्रथमदृष्टया मनगढ़त एवं असत्य प्रतीत होता है।

रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

(सदस्य)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
शेख मुआज्जम	वकिल कुमार	अरविन्द राज मिश्रा
उप प्रभागीय वनाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर	चुनार	मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 6419 /मीरजापुर/10रिट , दिनांक मीरजापुर अक्टूबर 21, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:– मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024** News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के सम्बन्ध में गठित 3 सदस्यीय जाँच समिति की जाँच रिपोर्ट पर आख्या।

सन्दर्भ–1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय पत्र संख्या–417/पीपीएस/एसीएफ–वन/2024–25, दिनांक 21.10.2024 ।

2– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या–को०के०–1346 /6ई–2 (एन०जी०टी०) 21.10.2024 ।

3– आपका पत्रांक–1832/मी०क्षे०/10रिट दिनांक 21.10.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 03.07.2024 के संस्करण में प्रकाशित समाचार "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" का स्वतः संज्ञान लेते हुए मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या–883/2024 के रूप में संस्थित किया गया है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024** NEWS ITEM TITLED "EXPERTS FLAG LARGE-SCALE CLEARING OF VEGETATION IN MIRZAPUR FOREST" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 03.07.2024 के आधार पर मा० न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 23.07.2024 को सुनवाई के क्रम में आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत् है:–

ORDER

1. This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in The Hindustan Times dated 03.07.2024.
2. The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.
3. The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.

(157)

4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory.
5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP).
6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site. 2
7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980.
8. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.
9. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.
10. Hence, we implead following as respondents in this matter:
    (i) Principal Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (Uttar Pradesh) 226001.
    (ii) Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow 226001, Uttar Pradesh.
    (iii) Ministry of Envieonment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020.
    (iv) District Magistrate, Mirzapur, Rambagh Rd, Ramaipatti, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001
11. Issue notice to the above Respondents for filing their response atleast one week before the next date of hearing.
12. List on 25.10.2024.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के क्रम में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–793/मी0/10रिट, दिनांक 16.08.2024 (संलग्नक–1) से प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्यी समिति का गठन किया गया। जिसकी

रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक 1107/मी0/एन0जी0टी0, दिनांक 25.09.2024 (संलग्नक–2) उपलब्ध करायी गयी। साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा अपने स्तर से कार्यालय पत्रांक–689/मीरजापुर/एन0जी0टी0, दिनाक 23.08.2024 द्वारा 03 सदस्यी कुल 04 काम्बिंग टीमो का गठन किया गया, जिसके क्रम मे रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 को उपलब्ध करायी गयी। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखो एवं गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

1– वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर मे प्रस्तावित 1320 (2x660) मेगा वाट ताप विधुत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 (भूमिगत वाटर पाईप लाइन हेतु 5.8162 हे0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विभिन्न प्रजाति के 296 वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/THE/14236/ 2015 द्वारा आनलाइन एवं आफलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे परीक्षणोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2635/मीरजापुर/15 दिनांक 07.03.2016 द्वारा संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। वर्तमान मे उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/ 08/38/2016/एफ0सी0/125 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों में उल्लिखित बायोडायवर्सिटी कन्जवेशन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि–प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–272/26–11 (वेलेस्पन) दिनांक 24.06.2014 द्वारा वेलेस्पन एनर्जी प्रा0लि0 परियोजना से सम्बन्धित बायोडयवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं पर परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को प्रतिहस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसपर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–703/मी0/33 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–995/मी0/33 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–1151/मी0/33 दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–389/26–11 (वेलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (Including wildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया।

2– जनपद–मीरजापुर के मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज मे ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर मे विज्ञप्ति संख्या–617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के विज्ञप्ति संख्या–23(2)36(ब)/14–ख–67 दिनाक 24.07.1967 264.75 एकड़ वन भूमि मा0 महामहिम

(195)

राज्यपाल महोदय द्वारा वन भूमि घोषित हुयी। वन बन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा समस्त विधिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुये भा०व०अ० 1927 की धारा–20 का प्रस्ताव बनाकर शासन/उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विज्ञप्ति संख्या–4646/14-2-20 (41)–77 दिनांक 20.07.1967 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के पत्रांक–VIP-23/14–2019–190जी०/2018 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गयी प्रकिया अनुसार वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में आख्या की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक–1869/जि०भू०व्य०लि०/गैर वन भूमि–टीम गठन–2024, दिनाक 12.02.2024 द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट/विस्तृत आख्या/टिप्पणी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–1916/जि०भू०व्यय०लि०–2023/थर्मल ए० यू०पी० प्रा०लि०, दिनांक 29.02.2024 के साथ संलग्न गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट (संलग्नक–3) के अनुसार "1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग के 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम संख्या–244 व 248 पर रकबा 800 व843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है जो कि ज०वि०अधि० की धारा–117 में निहित/प्रदत्त शक्तियो से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमे वेलस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

3– मा० न्यायालय के उपरोक्त आदेश के समादर में, प्रश्नगत प्रकरण के स्थलीय/अभिलेखीय जॉच हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–689/मीरजापुर/एन०जी०टी०, दिनांक 23.08.2024 को 03 सदस्यी कुल 04 टीम का गठन किया गया। गठित समस्त चारो टीमो द्वारा दिनांक 31.08.2024 को मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में प्रश्नगत तथा आस–पास के वन क्षेत्रो में गठित टीमो द्वारा समग्र रूप से काम्बिंग की गयी, जिसकी संयुक्त निरीक्षण/काम्बिंग रिपोर्ट में स्थलीय/अभिलेखीय आधार पर जॉच रिपोर्ट (संलग्नक–4) प्रस्तुत की गयी, जिसका मुख्य अंश निम्न प्रकार है :–

1. "सघन काम्बिग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा–ठूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ–डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन काम्बिग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस–पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान में अडानी पॉवर की सहायक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० (पूर्व में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० के नाम से) के स्वामित्व मे है, द्वारा परियोजना भूमि को चारो ओर से घेर–बाड़ करने हेतु

(154)

प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।

4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियो की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि/वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।
5. जाँच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि मे एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर-रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेलस्पन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011-12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।
6. प्रश्नगत स्थल पर पहुचने के लिए मीरजापुर-रावर्ट्सगंज (सोनभद्र) मार्ग से 1.7 किमी0 लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों-कुनवियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस-पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलो पर पहुचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई मे वर्षाकाल में सुलभ आवा-गमन हेतु मार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।"

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में गठित 03 सदस्यी समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण /अभिलेखीय परीक्षण किया गया, जिसके कम में तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनाक 23.09.2024 को प्रेषित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत स्थल मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में स्थित है, जिसे वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वर्ष 2011 से 2013 के मध्य विभिन्न कास्तकारो से क्रय किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 834.68 एकड़ है।
2. अगस्त 2019 में उक्त कम्पनी का विधिवत हस्तानान्तरण करते हुए अडानी इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड द्वारा समग्र रूप से अधिग्रहित कर लिया गया, जो वर्तमान में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के नाम पंजीकृत हो गया है।
3. कम्पनी द्वारा क्रय की गयी समस्त भूमि (834.68 एकड़) को नामांतरण के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया। स्पष्ट है कि वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा क्रय की गयी भूमि (परियोजना भूमि) में आरक्षित/संरक्षित/निहित वन सम्मिलित नहीं है।
4. काम्बिग आपरेशन्स में आरक्षित वन क्षेत्र से कही भी वृक्षों के कटान की पुष्टि नहीं हुयी है।
5. कम्पनी द्वारा प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब का उपयोग कर मौके पर जो भी बाउण्ड्री कार्य कराया गया है वह परियोजना भूमि में स्थित है। आरक्षित/वन भूमि में इस प्रकार का कोई कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।
6. कतिपय स्थलों पर बाउण्ड्री कार्य के दौरान लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियो की सफाई कर एकत्रित किया हुआ पाया गया, आरक्षित भूमि से लैण्टाना आदि के कटान की पुष्टि नहीं हुयी।
7. एप्रोच वन मार्ग पर लगभग 250 मीटर लम्बाई मे मिट्टी डालने का कार्य किया गया था जो वर्षा के कारण लगभग बह गये है।
8. कम्पनी द्वारा परियोजना भूमि में पूर्व में निर्मित एक कमरा सुरक्षा गार्ड तथा वर्तमान में प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर रूम पाया गया। आरक्षित/वन भूमि में कम्पनी द्वारा कोई अवसंरचनात्मक कार्य किया जाना नहीं पाया गया।

(193)

उपरोक्तानुसार गठित काम्बिंग टीम द्वारा प्रेषित संयुक्त रिपोर्ट में मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में प्रश्नगत स्थल के आस–पास आरक्षित वन भूमि/वन भूमि से वृक्षों का कटान अथवा बड़े पैमाने पर वनस्पतियों की सफाई नहीं हुई है और न ही वन क्षेत्र में कोई नया सड़क/मार्ग निर्माण कार्य अथवा अवसंरचनात्मक कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुई है, अपितु जो भी कार्य किये गये वह कम्पनी द्वारा क्रय की गयी परियोजना भूमि मे किया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

महत्वपूर्ण/ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 2054 / 10–1 (कोर्ट केस) लखनऊ, दिनांक 03 / जनवरी, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कोर्ट केस,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:– मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में।**

संदर्भ:– 1.कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–2191/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 15.01.2025

2.मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर के पत्रांक–1360/10–1 (कोर्ट केस) दिनांक 28.01.2025

3.मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक–3184/मीरजापुर/10रिट/दिनांक 31.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 28.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में मुख्यालय स्तर पर गठित जांच समिति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक–187/एन0जी0टी0 दिनांक 09.01.2025 की आख्या संलग्न कर प्रेषित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–883/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा 4,5,6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय स्तर से की गयी पृच्छा के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैंमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पत्रांक–2473/10–1 दिनांक 26.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या के संदर्भगत मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर संदर्भित पत्र दिनांक 28.01.2025 द्वारा प्रेषित आख्या तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–2520/(एन0जी0टी0)/मीरजापुर दिनांक 31.01.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को संस्तुति सहित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांकः– 3184 मीरजापुर/10रिट/दिनांक,मीरजापुर,जनवरी 31,2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times Dated 03.07.2024** के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में।

सन्दर्भः– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2009/10–1 (को0कै0) लखनऊ दिनांक 29.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–883/224 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा–4, 5, 6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक–2520/एन0जी0टी0/मीरजापुर/दिनांक 31.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पैरा–4, 5, 6 व 7 के सापेक्ष आख्या उपलब्ध करायी आख्या संस्तुति सहित आपके अवलोकनार्थ अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(सनीप मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

Dy. Cwlw / 31/1/25

PCCF (WL)
31/1/2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक 2520/(एन०जी०टी०)/मीरजापुर दिनांक 31- जनवरी, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः- मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times Dated 03.07.2024 के क्रम में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में।**

सन्दर्भः- कार्यालय प्रधान मुख्य संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2191/6ई-2 (एन०जी०टी०) दिनांक 15.01.2025 तथा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-2009/10-1 (को0के0) लखनऊ दिनांक 29.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयक प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नम्बर-883/224 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा-4, 5, 6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में अपेक्षित प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है-

पैरा-4 The article highlights .... endemic, threatened, and migratory. के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या-

1. मा० न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु-4 में उल्लिखित बिन्दु का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पर्यावरणविद् श्री देबादित्यो सिन्हा, मैनेजिंग ट्रस्टी, विन्ध्यन इकोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री फाउण्डेशन को मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मड़िहान रेंजो के कतिपय क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप व अन्य सर्वेक्षण हेतु प्राप्त अनुमति के क्रम में द्वारा जुलाई 2018 में मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मड़िहान रेंज के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर Sloth Bear Conservation Reserve का प्रस्ताव बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को उपलब्ध कराया गया था, तत्पश्चात कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक-266/मीरजापुर/ 23 दिनांक 16.07.2018 (संलग्नक-1) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान, सुकृत एवं चुनार रेंजो के अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र को प्रेषित किया गया। परन्तु वर्तमान में प्रस्नगत ग्राम ददरी खुर्द व आस-पास के वन क्षेत्रों को Sloth Bear Conservation Reserve घोषित करने विषयक प्रस्ताव वन एवं वन्य जीव विभाग में विचाराधीन नहीं है।
2. वेलेस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2X660) मेगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581है० (भूमिगत वाटर पाईप लाइन हेतु 5.8162 है० एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 है०) आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग

1 विभिन्न प्रजाति के 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे आनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/THE/14236/ 2015 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे परीक्षणोपरान्त कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 2635/मीरजापुर /15 दिनांक 07.03. 2016 द्वारा संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/36/2016/एफ0सी0/125 दिनांक 17.09.2014 द्वारा अपर मुख्य सचिव,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों में उल्लिखित बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि–प्रमुख वन संरक्षक,वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–272/26–11 (वेलेस्पन) दिनांक 24.06.2014 द्वारा वेलेस्पन एनर्जी प्रा0लि0 परियोजना से सम्बन्धित बायोडयवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं पर परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को प्रतिहस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसपर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्राक–703/मी0/33 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से उपरोक्त के सम्बन्ध मे आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–995/मी0/33 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्राक–1151/मी0/33 दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के बायोडायर्वर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–389/26–11 (वेलस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा BiodiversityAssessment and Preparation of Conservation Management Plan (Includingwildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया। (संलग्नक–2)

3. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक 885/एन–1 दिनांक 29 अगस्त 2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जॉच हेतु वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क–सोनभद्र की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी। उपरोक्त के क्रम में कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक 221/10–1 दिनांक 12 सितम्बर 2024 (संलग्नक–3) के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है–

"समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक 06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मड़िहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज में अवस्थित हैं।
2. मौके पर मौजूद वन प्रभाग मीरजापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।
3. प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेराबन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेराबन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।
4. निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।

5. प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने–जाने के लिए कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।
6. निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ों की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।
7. प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं वहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।"

पैरा–5 The article also brings..................Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP), के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या–

1. मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पैरा–5 में उल्लेख करते हुए कहा है कि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1320 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित किया गया था, जिसे बाद में मिर्जापुर एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था। जब परियोजना अभी भी वेलस्पन एनर्जी के पास थी, तब 21 दिसंबर 2016 को देबादित्यो सिन्हा बनाम भारत संघ में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ ने इसकी पर्यावरणीय मंजूरी को खारिज कर दिया था, साथ ही इस स्थल को मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया था। अडानी पावर लिमिटेड की एक सहायक कंपनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड (एमटीईयूपीपीएल) ने अब नए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टीपीपी) के लिए है। पर्यावरणीय अनुमति सम्बन्धित कार्यवाही वन विभाग के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नहीं आता है अतः सम्बन्धित विभाग से ही इस पर प्रतिक्रिया लेना उचित होगा।

पैरा–6 It is further stated..................right inside the project site. के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या–

1. शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक–1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया। सम्यक जाँचोपरान्त विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी मीरजापुर ने अपने पत्र दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक–4) द्वारा उपलब्ध करायी, जिसमें कम्पनी द्वारा क्रय की गयी निजी भूमि में वन भूमि है अथवा नही के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, जिसका उद्धृत अंश–

   "........1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग के 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या–1225 के क्रम संख्या–244 व 248 पर रकबा 800 व843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है जो कि ज0वि0अधि0 की धारा–117 में निहित/प्रदत्त शक्तियो से विसंगति रखता है साथ ही धारा–117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नही आती है।

   अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नही है, एवं वन से आच्छादित नही है।"

2. कथित क्रय की गयी परियोजना भूमि ग्राम ददरी खुर्द, तहसील–सदर, जिला मीरजापुर की सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन, उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में

ढ़ीराम आरक्षित वन स्थित है। जिसमें वन्यजीवों का वास होना स्वाभाविक है। परन्तु वन्यजीवों के स्थल विशेष सम्बन्धित कोई भी आकड़े संधारित नही है।

पैरा–7 The above news item indicates................Forest (Conservation) Act, 1980. के सम्बन्ध मे बिन्दुवार आख्या–

1. मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 में उल्लिखित तथ्यों की जॉच हेतु मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक 793/मी0/10–रिट दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय आदेश दिनांक 23.08.2024 के क्रम में कुल चार कॉम्बिंग टीम का गठन करते हुए विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित स्थल व आस–पास के वन क्षेत्रों का गहन स्थलीय जॉच कराया गया। गठित टीमों द्वारा दिनांक 31.08.2024 को काम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दिनांक 10.09.2024 को संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में आरक्षित वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की कटान व गैर वानिकी कार्यों की पुष्टि नहीं हुई है।

अतः मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024**News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के समादर मे उपरोक्तानुसार अपेक्षित आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक अ/समदिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

4

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक [illegible] /मीरजापुर/ 23 दिनांक, मीरजापुर जुलाई,16 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय :- SLOTH BEAR CONSERVATION RESERVE IN MARIHAN– SUKRIT- CHUNAR LANDSCAPE OF MIRZAPUR FOREST DIVESION, UTTAR PRADESH.

महोदय,

मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान, सुकृत एवं चुनार रेंज अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण, अध्ययन Vindhyan Ecology and Natural History Foudation, Station Road, Mirzapur के सहयोग से कराया गया। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को पुस्तक के रूप में संकलित कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

[illegible] प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 309 /26-11 [illegible] लखनऊ, दिनांक अक्टूबर 15 2014

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
[illegible]
[illegible]।

विषय:- ग्राम [illegible] खुर्द, तहसील-सदर, जनपद मीरजापुर में मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि० द्वारा 2X660 एम०डब्लू० सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan including wildlife) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1-आपका पत्रांक 1151/मी० क्षे०/33 दिनांक 18-09-2014।
2-प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक 995/33-वेल्सपन दिनांक 09-09-2014।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से प्रेषित विषयक प्रस्ताव का अवलोकन करें। उल्लेखनीय है कि ग्राम [illegible] खुर्द, तहसील-सदर, जनपद मीरजापुर में, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी. प्राइवेट लि० द्वारा 2X660 एम० डब्लू० सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध इस कार्यालय के पत्रांक 272/26-11(वेल्सपन) दिनांक 24-06-2014 से वांछित आख्या के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पत्रांक 995/33-वेल्सपन दिनांक 09-09-2014 से स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत परियोजना कैमूर वन्य जीव विहार, मिर्जापुर की सीमा से लगभग 25 कि०मी० दूर मीरजापुर वन प्रभाग क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है। परियोजना की स्थापना व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा 10 वर्षों हेतु प्रभाग के पास्थ में वन्य जीव जगत के संरक्षण सम्बन्धी प्रासंगिक विषयों के सन्दर्भ में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में 104.15 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। जांच के सम्बन्ध परीक्षण व वांछित आख्या के क्रम में आपके पत्रांक 1151/मी० क्षे०/33 दिनांक 18-09-2014 से प्रश्नगत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) को सहमति के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके पत्रांक 1151/मी० क्षे०/33 दिनांक 18-09-2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदित कर संलग्न किया जाता है।

1- उक्त Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करने हेतु उक्त प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित Monitoring Committee का गठन कर जिसका अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, [illegible], कानपुर से प्राप्त करना होगा।

2- जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र में व सन्निकट आरक्षित वन क्षेत्रों में विचरण करने वाले काले हिरन (Black Buck) के विस्तृत अध्ययन व संरक्षण हेतु एक कार्ययोजना वन्य जीव संस्थान देहरादून से तैयार करवा कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 को प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय,

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, (मध्य क्षेत्र), भारत सरकार केन्द्रीय भवन पाँचवा तल, सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव) पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0, कानपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
5. मुख्य प्रबन्धक, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि0 मिर्जापुर।

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संलग्नक-3

पृष्ठ-5/1

173

कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनभद्र

पत्रांक 221 /10-1, दिनांक, चुर्क, सितम्बर 12 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मिर्जापुर

विषय- मिर्जापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के दादरीखुर्द ग्राम में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्र संख्या-605/10-1, दिनांक, मिर्जापुर अगस्त 29, 2024।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
चुर्क-सोनभद्र

"छाया प्रति प्रमाणित"

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

मिर्जापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज अन्तर्गत पथरी खुर्द ग्राम में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा अवैध रूप से थर्मल पावर की स्थापना हेतु व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुँचाने विषय में आख्या देने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के पत्र सं0-895/10-1, दिनांक, मिर्जापुर, अगस्त 29, 2024 द्वारा गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट-

समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक-06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मड़िहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है-

1- प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मिर्जापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज में अवस्थित है।

2- मौके पर मौजूद वन प्रभाग मिर्जापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।

3- प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेराबन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेराबन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।

4- निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।

5- प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने-जाने के लिए एक कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।

6- निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ों की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।

7- प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं वहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

(रामवीर अधियारी) वन रक्षक, हलिया रेंज /समिति के सदस्य
(सन्तोष कुमार) वन दरोगा, घोरावल रेंज /समिति के सदस्य
(राम कैलाश आर्य) वन दरोगा, गुर्मा रेंज /समिति के सदस्य
(शिवम सिंह) वन दरोगा, राबर्ट्सगंज रेंज /समिति के सदस्य
(सूरज पाण्डेय) वन दरोगा, का0व0जी0प्र0 चुर्क /समिति के सदस्य

11/9/2024

(अवध नारायण मिश्रा) क्षेत्रीय वन अधिकारी, हलिया रेंज /समिति के सदस्य
(सुरजू प्रसाद) क्षेत्रीय वन अधिकारी, घोरावल रेंज /समिति के सदस्य
(अरविन्द कुमार) वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनभद्र /समिति के अध्यक्ष

"छाया प्रति सत्यापित"

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

शीर्ष प्राथमिकता/आवश्यक/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर ।

पत्रांक- 1916 /जि0भू0व्य0लि0-2023/थर्मल0यू0पी0प्रा0लि0 दिनांक 29 .02.2024

विषय:- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलपूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 है0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर
वन प्रभाग, मीरजापुर ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के संबंध में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा-20 के अंतर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई । अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के संबंध में शासन के पत्रांक-VIP-23/14—2019-190सी/2018 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में आख्या की अपेक्षा की गई है ।

विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के पत्र संख्या-3123/मीरजापुर/5 दिनांक 10 फरवरी 2020 व अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता, मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट केन्द्र 242/1 प्रथम तल, वबुआ का पोखरा, ब्रह्मपुरी कालोनी मीरजापुर के पत्र दिनांक 08.02.2024 के क्रम में वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जाँचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा किया गया ।

उपरोक्त के क्रम में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 प्राप्त की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत ग्राम ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.86) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना संभव नहीं था एवं वर्तमान में भी संभव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलस्पन के द्वारा क्रय की गई भूमि सम्मिलित है, वह विहित वन के रूप में नहीं है एवं वन से आच्छादित नहीं है ।

अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 के क्रम में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करना स्पष्ट करें ।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

रजिस्टर क्रमांक 5246
फाईल सं०..........
दिनांक 01-03-2024

शासन के पत्र संख्या–1705/81–2–2019–800(64)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 दिनांक 26 अगस्त, 2019 में की गयी अपेक्षा–प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं जिलाधिकारी मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रकियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि 634.68 एकड़ मे वन भूमि निहित तो नहीं है के कम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्र संख्या 2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके कम मे कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 1869/जि0भू0व्य0 लि0/गैर वन भूमि–टीम गठन/2024 दिनांक 12 फरवरी, 2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मीरजापुर, उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर, उपप्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर, मीरजापुर की संयुक्त टीम गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में राजस्व व वन विभाग के विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण की प्रकिया के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये –

1. दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द ग्राम में तथाकथित वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है–"In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act I of 1951), the Governess is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in any holding ....and all forest within the village boundries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, shall subject to the exceptions shown in schedule and hereto. vest in Gaon Samaj established for the circle.

उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागों मे विभाजित है–

Sehedule-1 :- Particulars of uncultivated Land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs – परन्तु इस सूची मे ददरी खुर्द का नाम नही है।

Sehedule-2 :- Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs.

इस सूची के पृष्ठ संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के संदर्भ में कमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। दिनांक 18.10.1952 का वन विभाग का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक–1 है।

2. तत्पश्चात् वन विभाग की धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर, 1955 में जारी हुआ, जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नहीं है। दिनांक 26 नवम्बर 1955 का नोटिफिकेशन संलग्नक–2 है।

3. वन विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर 1955 के धारा 4 के संबंध में जारी नोटिफिकेशन के कम में विज्ञप्ति 5564/XIV

दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः धारा 4 का अग्रिम नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिसके क्रम संख्या 57 पर ग्राम ददरी खुर्द के संबंध में मात्र 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन है, जिसकी सीमा दक्षिण दाती वन पश्चिम ददरी खुर्द व ददरी गहिरा की कृषिक भूमि व उत्तर सुखनई वन व पूरब दाढ़ीराम वन है। दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का धारा-4 का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक-3 है।

4. पुनः वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमे दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन मे ग्राम ददरी खुर्द के गाटो का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है:-

सेड्यूल-2 की परिभाषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 बिस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 बिस्वा	पथरैल
	66	03 बीघा 02 बिस्वा	नाला
	73/1	14 बीघा 15 बिस्वा	पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 बिस्वा	नदी
	184	105 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	योग	423 बीघा 12 बिस्वा या 264.88 एकड़	

इस प्रकार वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के सेड्यूल-2 की परिभाषा एवं 1967 मे धारा-4 मे प्रकाशित ददरी खुर्द के वन भूमि का विवरण एवं 1359फसली खसरा (वर्ष 1952) मे भूमि की प्रकृति से स्पष्ट है कि 1359 फसली खसरे मे पथरैल, नदी, पहाड़ व नाला की भूमि ही वन भूमि के रूप मे प्रकाशित की गयी थी। जो तत्समय मे वन भूमि के रूप मे थी। दिनांक 24 जुलाई 1967 का नोटिफिकेशन संलग्नक-4 है।

5 दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों-01मि0, 24मि0, 73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 संलग्नक-5 है। इसी धारा 20 के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी में 264.23 एकड़ अर्थात 107.030 हे0 रकबा वन विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान खतौनी संलग्नक-6 है।

जहाँ तक वन विभाग द्वारा जारी 1952 की विज्ञप्ति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वन विभाग व राजस्व विभाग मे उपलब्ध अभिलेखो का परीक्षण किया गया, जिसमे निम्नलिखित तथ्य प्रकटित हुए :-

(क) वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के पृष्ट संख्या 1225 के कमांक 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे कमशः 800 एकड़ व 843 एकड़ क्षेत्रफल का उल्लेख है। जो कि कुल मिलाकर 1643एकड़ हो जाता है।

राजस्व विभाग के उपलब्ध अभिलेख 1306फ0 के खेवट मे भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

भूमि का प्रकार	कुल रकबा
परती जजीद व परती कदीम	432.84 एकड
तालाब	1.18 एकड़
नदी नाला	16.93 एकड़
पथरैल	196 एकड़
जंगल	107.40 एकड़
पहाड़	77.15 एकड़
काश्तकारी भूमि	347.38 एकड़

इस प्रकार 1306फसली खेवट मे तालाब, नदी, नाला, पथरैल व पहाड़ की भूमि का कुल 291.26 एकड़ है। इसी प्रकार 1334फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1202.5 एकड़ है, जिसमे 229.375 एकड़ भूमिधरो के नाम तथा 179.375 एकड सीरदारो के नाम भूमि है। तहसील अभिलेखागार में 1359 फसली की खतौनी नहीं मिली परन्तु अभिलेखागार मे उपलब्ध 1359फ0 के खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1209.562 एकड़ है। जिसमे सीर काश्तकार 118.025 एकड़, बंजर 803.718 एकड़, पथरैल 193.062 एकड़, बाग 1.5 एकड़ व रास्ता 0.25 एकड़ व तालाब 1.187 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व पहाड़ 74.5 एकड़ भूमि है। 1359फ0 खसरा मे ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1209.562 एकड है। अतः राजस्व अभिलेख 1306फसली खेवट, 1334फसली खसरा व 1359फसली खसरा से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन मे उल्लिखित वन भूमि का कुल रकबा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है। यह किसी भी स्थिति मे राजस्व ग्राम के कुल रकबा 1209.562 एकड़ से अधिक नही हो सकता।

ख. जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध अभिलेख 1362फ0 की खतौनी का परीक्षण किया गया जो जीर्ण-शीर्ण है। जिसमे कुछ खातो का विवरण उपलब्ध है। इस खतौनी मे श्रेणी-02 – जो सीरदारो के अधिकार मे है, कुल 168गाटा कुल रकबा 901.875 एकड़ पर सीरदारो का नाम अंकित है। जिसपर भौमिक वर्ष 01वर्ष लिखा गया है। जिसका अर्थ यह है कि 1362फ0 खतौनी के निर्माण वर्ष 1955 से 01वर्ष पूर्व 1954 से ही उक्त भूमि 901.875 एकड़ सीरदारो के अधिकार मे थी। अतः स्पष्ट है कि तत्समय नदी, नाला, पहाड व पथरैल की भूमि जो 1952 नोटिफिकेशन के सेड्यूल-2 Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. के रूप मे परिभाषित है जिसका रकबा मात्र 264 एकड़ ही है।

ग. वन विभाग के दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 मे जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर रकबा कमशः 800 व 843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ को सेड्यूल 02 मे रखा गया है तथा सेड्यूल 02 को परिभाषित

करते हुए कहा गया है कि – Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. अर्थात उस भूमि का विवरण जो ग्राम सभा मे नही है तथा तत्समय वन के रूप मे है। राजस्व विभाग का 1359फ0 खसरा जमींदारी विनाश अधिनियम के समय तैयार किया गया आधार वर्ष खसरा है खसरा वह राजस्व दस्तावेज है जो प्रति कृषि वर्ष भूमि की प्रकृति, उसपर लगी फसल, भूमि का स्वामित्व आदि प्रदर्शित करता है। 1359फ0 के खसरा मे 803.718एकड बंजर भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बंजर भूमि रकवा 803.718एकड वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के सेड्यूल–2 के अन्तर्गत नही है। 1359फ0 खसरा मे 803.718 एकड रकवा बंजर भूमि होना यह प्रदर्शित करता है कि तत्समय उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया था। किन्तु इस का अर्थ यह नही है कि उक्त भूमि तत्समय किसी स्वामित्व के अन्तर्गत नही थी। 1359फ0 खसरा मे पथरैल भूमि का रकवा 193.162 एकड़ व नदी 10.562 एकड व नाला 6.375 एकड़ व पहाड 74.5 एकड़ कुल रकवा 284.599 एकड़ था।

घ वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14–ख–67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये गाटा संख्या 1, 24, 68, 73/1, 74‚मि, 184, 185 कुल रकवा मात्र 264 88 एकड(423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1366 से 1368फसली खतौनी मे उक्त गाटो का विवरण व नवैयत निम्नवत है–

गाटा संख्या	क्षेत्रफल	नवैयत
1	151बीघा 1बिस्वा	पथरैल
24	131बीघा 10बिस्वा	पथरैल
68	3बीघा 2बिस्वा	नाला
73/1	14बीघा 15बिस्वा	पथरैल
74मि0	9बीघा 14बिस्वा	नदी
184	105बीघा 12बिस्वा	पहाड
185	13बीघा 12बिस्वा	पहाड
योग–	429 बीघा 6बिस्वा या 268.31 एकड	

उपरोक्त गाटो मे से गाटा संख्या 1,24,73/1, 74,184 व 185 कुल रकवा 423बीघा 12बिस्वा अर्थात 264.88 एकड की विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 विज्ञप्ति संख्या 4846/14–02–20 (41)–77 भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ। जिससे स्पष्ट है कि वन विभाग के 1977 के धारा–20 के प्रकाशन मे केवल पथरैल व नदी व पहाड की ही भूमि का प्रकाशन किया गया था। जिसमे पूर्व की किसी भी बंजर भूमि या सीरदारो की भूमि का प्रकाशन नही था। वन विभाग की धारा–20 की विज्ञप्ति के अनुरुप ही वर्तमान खतौनी मे भी भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसका विवरण निम्नवत है–

वर्तमान गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	पुराना नम्बर
1	13.600हे0	1मि
2	13.360हे0	1मि
3	4.750हे0	1मि
4क	5.000हे0	1मि
4ख	0.250हे0	1मि
5	16.700हे0	24मि
6	10.400हे0	25मि
23छ	2.010हे0	73मि
30	1.750हे0	73मि
31ख	1.010हे0	74मि
32	0.170हे0	68मि
53	6.150हे0	24मि
74	0.450हे0	68मि
198छ	1.310हे0	131मि
219	9.050हे0	184मि
232	9.000हे0	184मि
233	8.000हे0	184मि
234	2.850हे0	185
योग	107.030हे0 अर्थात 423 बीघा 3बिस्वा 3धुर अर्थात 264.23 एकड़	

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–20 के प्रकाशन के समय मात्र 264.98 एकड़ भूमि ही वन भूमि थी। जो 1952 के नोटिफिकेशन मे प्रकाशित कुल रकबा 1643एकड की सत्यता को संदिग्ध करता है।

च. जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–117– कुछ भूमि आदि का ग्रामसभाओ तथा अन्य स्थानिक अधिकारियो मे निहित होना–धारा–01, धारा–04 मे उल्लेखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राजस्य सरकार, (सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा) यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ विनिर्दिष्ट किये जाने के दिनांक से निम्न लिखित सभी या कोई वस्तु अर्थात–

(1) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोडकर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नही.

(2) जगल,

(3) जोत मे अथवा जोत की मेड पर या बाग अथवा आबादी मे स्थित पेडो को छोडकर सभी पेड,

(4) मीनाशय

(5) ऐसी भूमि जिनपर धारा–18 की उपधारा 1 के खण्ड क से ग के उपबन्ध लागू होते हो अथवा धारा–9 मे उल्लेखित स्थलो तथा क्षेत्रो पर लगने वाले हाटो, बाजारो और मेलो से भिन्न हाट, बाजार और मेले,

(6) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालिया, रास्ते व आबादी के स्थल

जो इस अधिनियम मे अधीन राज्य मे निहित हो गये हो, उस सम्पूर्ण गाव या उसके भाग के लिए जिसमे उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित ग्राम सभा या किसी अन्य अधिकारिकी मे अथवा एक ऐसे स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा भी है), और अंशत: दूसरे मे निहित हो जायेगे।

उक्त से स्पष्ट है कि धारा–117 की उपधारा–2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियो पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके कम मे वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा–20 के अन्तर्गत श्रेणी–6 की भूमि नदी, पथरेल व पहाड की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359फसली खसरा मे बंजर भूमि जिसका रकवा 803.718एकड है, उक्त भूमि 1362फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख मे वर्ष 1954 से ही सीरदारो के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अकित नही है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति मे ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध मे पृष्ट सख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड कुल रकवा 1643 एकड का प्रकाशन है। जो कि ज०वि०अधि० की धारा–117 मे निहित/प्रदत्त शक्तियो से विसगति रखता है साथ ही धारा–117 मे उपरिलिखित 6 श्रेणियो की भूमि मे नही आती है।

अत: उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–617 के शेड्यूल–2 के अन्तर्गत ग्राम–ददरी खुर्द मे वन रूप मे उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नही था एवं वर्तमान में भी सम्भव नही है एवं इस प्रकार अन्य खातो की भूमि जिसमें बेलेसपान के द्वारा कय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप मे नही है, एवं वन से आच्छादित नही है।

तहसीलदार सदर, मीरजापुर

उप जिलाधिकारी सदर, मीरजापुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार, मीरजापुर

अपर जिलाधिकारी (भू०/रा०) मीरजापुर
28/02/2024

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर।

पत्र संख्या– 1360 /10–1 (कोर्ट केस) दिनांक, कानपुर, जनवरी 28 ,2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित, अधिकरण नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Items Titled "Expert flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03-07-2024 के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–23.07.2024 के अनुपालन में।

संदर्भ– आपका पत्रांक–1917/10–1(कोर्ट केस) दि0–17.01.2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0–883/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा 4, 5, 6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क–सोनभद्र से आख्या प्राप्त कर अपने पत्रांक–2473/10–1 दिनांक–28.01.2025 इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त के आधार पर मा0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–883/2024 के पैरा 4,5,6 व 7 के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है–

"4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory."

<u>बिन्दु–4 पर आख्या–</u>

प्रश्नगत क्षेत्र विंध्यन पारिस्थितिकी तंत्र (इको सिस्टम) के अन्तर्गत आता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में कैमूर वन्य जीव विहार शासन की अधिसूचना सं0–908/14–3–44–78 दिनांक–10 अगस्त 1982 द्वारा स्थापित की गयी है। जिसमें काला हिरण, चीतल, भालू एवं अन्य वन्य जीव संरक्षित किये जा रहे है। कैमूर वन्य जीव विहार के अतिरिक्त जनपद सोनभद्र एवं मीरजापुर में अन्य कोई वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से उच्च स्तर को प्रेषित नहीं किया गया है।

"5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy (UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on

Dy. Custo / श्री आर के ...

25/01/25

PCCF (WL)
by
29/1/2025

December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP)."

<u>बिन्दु–5 पर आख्या–</u>
टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

"6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified reserve forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur division. The area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site."

<u>बिन्दु–6 पर आख्या–</u>
प्रश्नगत क्षेत्र मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आता है। अतः उक्त पर टिप्पणी प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर से लिया जाना उचित होगा।

"7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980."

<u>बिन्दु–7 पर आख्या–</u>
टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त आख्या वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क–सोनभद्र के द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक–27.01.2025 के आधार पर है। प्रश्नगत क्षेत्र कैमूर वन्य जीव विहार के बाहर मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के अन्तर्गत आता है। अतः उक्त पर टिप्पणी प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर से भी लिया जाना उचित होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एन०[illegible])
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर।